

“मजदूरवाणी”

बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा प्रयोजित रेडियो कार्यक्रम

ऐपिसोड 11 – 35

शोध एवं आलेख
अटल बिहारी शर्मा

प्रायोजक :—

बंधुआ मुक्ति मोर्चा,
7 जन्तर मन्तर रोड
नई दिल्ली – 110 001
फोन : 336 6765, 336 7943, फैक्स : 336 8355
ईमेल : agnivesh@vsnl.com

अनुक्रमिका

<u>ऐपिसोड</u>	<u>प्रसारण तिथि</u>	<u>शीर्षक</u>
11	21–11–2000	प्रवासी मजदूर : आवास की व्यवस्था ।
12	28–11–2000	प्रवासी मजदूर : कौन हैं प्रवासी मजदूर क्या हैं उनके सवाल ?
13	5–12–2000	प्रवासी मजदूर : पासबुक/पहचान पत्र ।
14	12–12–2000	श्रम अधिकार—बुनियादी अधिकार भी है मानव अधिकार दिवस पर विशेष ।
15	19–12–2000	अशफाक के शहादत दिवस पर विशेष बलिदानों से पायी है आजादी और हक ।
16	26–12–2000	प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिये बालवाड़ी ।
17	2–1–2001	प्रवासी मजदूर: प्रवासी मजदूरों की मजदूरी से सम्बंधित जानकारी ।
18	9–1–2001	बंधन टूट गये : मध्य प्रदेश के गंज बसौदा से बंधुआ मजदूर मुक्त ।
19	16–1–2001	नौएडा से मुक्त हुए बंधुआ और बाल मजदूर और राजस्थान मे न्यूनतम मजदूरी दरों की जानकारी ।
20	23–1–2001	गणतंत्र दिवस विशेषांक ।
21	30–1–2001	शहीद दिवस 30 जनवरी, रायगढ़डा गोलीकांड ।
22	6–2–2001	हकों की रक्षा के लिये संगठन जरूरी ।
23	13–2–2001	निर्माण मजदूर – 1, टिहरी, बांध दुर्घटना और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 ।
24	20–2–2001	निर्माण मजदूर – 2, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 ।
25	27–2–2001	निर्माण मजदूर – 3, 1996 के कानून की प्रमुख बातें ।
26	6–3–2001	निर्माण मजदूर – 4, महिला दिवस विशेष नये कानूनों में, औरतों के अधिकारों को जगह ।
27	13–3–2001	निर्माण मजदूर – 5, तमिलनाडू में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड और उसके लाभ ।

28	20-3-2001	निर्माण मजदूर 6 : भगतसिंह शहीदी दिवस पर विशेष निर्माण मजदूरों के संघर्ष की जानकारी ।
29	27-3-2001	निर्माण मजदूर -7 केरल में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड और उसके लाभ ।
22	3-4-2001	हकों की रक्षा के लिये संगठन जरूरी (पुनः प्रसारित) ।
30	10-4-2001	संविधान की पांचवीं अनुसूची ।
31	17-4-2001	सामाजिक सुरक्षा और रोजगार का अधिकार ।
32	24-4-2001	असंगठित मजदूर : उदारीकरण और इंस्पेक्टर राज का खात्मा ।
33	1-5-2001	मजदूर दिवस का इतिहास और न्यूनतम मजदूरी की स्थिति ।
34	8-5-2001	श्रमिक भविष्य निधि (एम्पलाईज प्रोविडेंड फण्ड) ।
35	15-5-2001	रिक्षा चालक के लिये लाईसेंस ।

शोध एवं आलेखः
अटल बिहारी शर्मा

हम मजदूरवाणी कार्यक्रम के लिये निम्नलिखित के सहयोग के आभारी हैं ।

प्रोजेक्ट संकल्पना और संयोजन :-

- स्वामी अग्निवेश, अध्यक्ष, बंधुआ मुक्ति मोर्चा
- प्रो० पांडव नायक, निदेशक, मानवाधिकार प्रकल्प, समाज विज्ञान संकाय इन्‌नू, नई दिल्ली
- श्री आर० श्रीधर, निदेशक, इल्कट्रोनिक मिडिया प्रोडेक्शन सेंटर इन्‌नू, नई दिल्ली

कार्यक्रम निर्माण :-

- | | |
|------------------------|---|
| शोध एवं आलेख :- | अटल बिहारी शर्मा, बंधुआ मुक्ति मोर्चा |
| प्रोड्यूसर :- | सुनील कुमार दास, इ० एम० पी० सी०, इन्‌नू |
| रिकार्डिंग व संपादन :- | चतर सिंह, इ० एम० पी० सी०, इन्‌नू |

कार्यक्रम निर्माण सहयोग :-

श्री जगबीर सिंह, सुश्री महुआ सांतरा, श्री महावीर सिंह, सु श्री मीनाक्षी रामन, श्री सुदर्शन नायक, श्री विनोद मिश्रा
सुश्री उषा जी, सुश्री उर्मिला, श्री उमेश, श्री प्रशांत आदि

बंधुआ मुक्ति मोर्चा – सचिवालय सहयोग :-

प्रो० श्योताज सिंह, महासचिव, श्री एस० पी० मोहन, निदेशक, श्री विष्णु पाल, लेखा विभाग,
सुश्री गंगा मेहरा, सुश्री हेमा शर्मा, श्री मनोज कुमार सिंह,
श्री आनन्द मेहरा, श्री बल बहादुर, श्री राजू शर्मा

इस मजदूरवाणी कार्यक्रम के शोध एवं आलेख के लिये हमें योजना आयोग की समाजिक आर्थिक
अनुसंधान ईकाई से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है । इसके लिये हम योजना आयोग के उपाध्यक्ष
एवं सचिव महोदय के हृदय से आभारी हैं ।

“मजदूरवाणी” कार्यक्रम का प्रारूप

वर्तमान में “मजदूरवाणी” कार्यक्रम प्रसार भारती, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र ‘ए’ स्टेशन से प्रत्येक मंगलवार को रात्रि 8.00 बजे से 8.15 तक प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी पर मजदूरवाणी कार्यक्रम का प्रसारण 16 मई 2000 से किया जा रहा है। मजदूरवाणी कार्यक्रम का आरम्भ निम्नलिखित शीर्षक गीत से किया जाता है।

माटी को सोना बनाने वाले भाई रे,
माटी से हीरा उगाने वाले भाई रे,
माटी से हीरा उगाने वाले भाई रे,
मजदूरवाणी की ये बात सुन ले भाई रे,
धरती भी तेरी, ये अम्बर भी तेरा,
तुझको ही लाना है अपना सवेरा,
कालीरात बंधुआ की, खत्म होने आयी रे,
धरती को सोना बनाने वाला भाई रे।

“मजदूरवाणी” बंधुआ मुकित मोर्चा, द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, मजदूरवाणी की उद्घोषणा के साथ कार्यक्रम प्रारम्भ होता है कार्यक्रम की विषयवस्तु और कार्यक्रम का समापन – अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूरणी। आपके कोई सवाल हैं तो हमें लिखिये। हमारा पता है

मजदूरवाणी,

बंधुआ मुकित मोर्चा,

7 जन्तर मन्तर रोड़, नई दिल्ली – 100 001

विषय संयोजन : स्वामी अग्निवेश, व प्रो० पांडव नायक

शोध एवं आलेख : अटल बिहारी शर्मा

प्रोड्यूसर : सुनील कुमार दास

रिकार्डिंग एवं संपादन : चतर सिंह

कार्यक्रम बंधुआ मुकित मोर्चा और इग्नू की मानवाधिकार ईकाई द्वारा प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम में सहयोग के लिये हम योजना आयोग की समाजिक आर्थिक अनुसंधान ईकाई के आभारी हैं।

“मजदूर वाणी”

(बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला प्रयोजित कार्यक्रम)

“मजदूर वाणी” – एक परिचय

“मजदूरवाणी” बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली ‘ए’ केंद्र से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम है। दिल्ली और उसके आस-पास के हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम की पहुँच है। यह प्रत्येक मंगलवार को रात्रि 8 बजे से 8.15 बजे तक प्रसारित होने वाला साप्ताहिक कार्यक्रम है। आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों के ठीक बाद इस कार्यक्रम का प्रसारण शुरू होता है।

परिकल्पना :—

देश की 92 प्रतिशत से अधिक श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। ये समाज के कमज़ोर एवं वंचित वर्ग के लोग हैं, जिनमें बाल, बंधुआ एवं महिला श्रमिक शामिल हैं, जो तंग मजदूर बस्तियों में जीवन का संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें अपने श्रम का पूरा मूल्य नहीं मिलता, उन लोगों तक कानूनों एवं सूचनाओं की जानकारी पहुँचाकर अधिकार संपन्न बनाना।

उद्देश्य :—

“मजदूर वाणी” कार्यक्रम का उद्देश्य है— समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों, जिनके लिये कानून अधिक महत्व रखते हैं, उनको सरल एवं रोचक तरीके से कानूनों की जानकारी देकर अधिकार संपन्न बनाना, सूचनाओं तक उनकी पहुँच बनाकर, सामाजिक दायित्वबोध का विकास कर समुदायों को अधिकार संपन्न बनाना।

- सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिलाने के लिए श्रमिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कानूनों की जानकारी जन-जन तक पहुँचा कर लोगों एवं समुदायों को अधिकार संपन्न बनाना।
- समाज में कानून, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विमर्श के लिये वातावरण का निर्माण करना।
- सामाजिक और निजी अधिकरों के प्रति जागरूकता पैदा करना।

- सामाजिक रवैये में थोड़ा बदलाव आ पाये इसका प्रयास करना ।
- समुदाय के स्तर पर कार्य कर रही संस्थाओं, देढ़ यूनियन कार्यकर्त्ताओं, नागरिक एवं मानवीय अधिकार कार्यकर्त्ताओं को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, जिससे समुदायों को उनके अधिकारों के लिये संगठित करने में मदद मिले ।
- महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, ताकि वे अपने कुछ खास अधिकारों की माँग कर सकें ।
- नर—नारी समता के प्रचार के साथ ही महिलाओं को समाज में न्यायोचित स्थान मिले, उसके लिये वातावरण निर्माण करना ।
- सभी प्रकार के शोषण, अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध जन—जागरण द्वारा लोगों को शिक्षित करना ।

बंधुआ मुकित मोर्चा पिछले अनेक वर्षों से समाज के अंतिम छोर पर रहे लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाने के कार्य में लगा है । बंधुआ मुकित मोर्चा के प्रमुख कार्यों में बंधुआ मजदूरों की मुकित, बाल मजदूरी प्रथा के कलंक का खात्मा, नागरिक एवं मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष, तथा सती—प्रथा, दहेज, बालिका भ्रूण हत्या, छुआछुत, जातीय एवं लिंगभेद के विरोध में अभियान चलाना आदि मुख्य मुद्दे रहे हैं । इसी के साथ असंगठित क्षेत्र जैसे निर्माण मजदूर, ईट भट्टा मजदूर तथा मजदूर बस्तियों में रहवास की स्थितियों को मानवीय बनाने के लिए बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष करता रहा है । मोर्चे ने अपने कार्य के दौरान अनुभव किया कि अपने देश में ऐसे अनेक कानून हैं जो वंचितों, महिलाओं, दलितों एवं श्रमिकों को एक सम्मानजनक मानवीय जीवन जीने के लिये अधिकार—सम्पन्न बनाते हैं ।

इसी दौरान यह बात भी सामने आयी कि 92 % श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है । इसमें महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा है । असंगठित क्षेत्र के लोगों को कानूनों की जानकारी न होने के कारण कोई भी सामाजिक लाभ जैसे न्यूनतम मजदूरी, प्रसूति अवकाश, बच्चों का स्कूलों में प्रवेश आदि संभव नहीं हो पाता है । महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय है । उनके साथ मजदूरी में भी भेद भाव किया जाता है । शहरों में अधिकांश असंगठित मजदूर तंग बस्तियों में अमानवीय जीवन

जीने के लिये मजबूर है । जीवन के लिये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है । यहाँ तक कि उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रहना पड़ता है ।

अपने कार्य के दौरान यह अनुभव हुआ कि अधिकांश लोग अशिक्षित अथवा अर्धशिक्षित हैं । उनके कल्याण के लिये बने कानूनों तथा नागरिक एवं सामाजिक अधिकारों की जानकारी लगभग नगण्य है ।

यह अनुभव हुआ कि श्रव्य एवं संचार के आधुनिकतम माध्यमों जैसे टीवी०, रेडियों आदि संसाधनों जिनकी पहुँच समाज के इन कमजोर तबको तक है, का उपयोग इनके बीच कानूनी जानकारी एवं सूचनाओं का प्रसार कर अधिकार संपन्न एवं जागरूक बनाने के लिए किया जा सकता है, ताकि वे सम्मान के साथ, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जी सकें ।

बंधुआ मुक्ति मोर्चा पिछले अनेक वर्षों से इस प्रयास में लगा था । अंततः लम्बी कोशिशों के बाद प्रसार भारती, आकाशवाणी की व्यावसायिक प्रसारण सेवा के दिल्ली 'ए' केंद्र पर मजदूरवाणी के प्रसारण का यह अवसर प्राप्त हुआ है ।

संभावनाएँ :-

समुदायों को अधिकार संपन्न बनाने के दिशा में इस रेडियो प्रसारण से एक महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत हो रही है ।

- इस क्षेत्र में किसी भी स्वैच्छिक संस्था की यह अनूठी पहल है, जिसमें अनेक संभावनाएँ हैं । समुदायों के बीच सूचना का प्रसार कर उन्हें अधिकार संपन्न बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी । भविष्य में सामुदायिक रेडियों प्रसारण की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा, ऐसी आशा है ।

लक्ष्य समूह :—

- असंगठित क्षेत्र के स्त्री पुरुष मजदूर दलित, मजदूर बस्तियों में रह रहे लोग ।
- वंचित वर्गों, महिलाओं, बच्चों मजदूर बस्तियों के विकास के लिये कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, मजदूर संगठनों, नागरिक अधिकार संगठनों के बुनियादी स्तर के कार्यकर्त्ता ।
- आकाशवाणी दिल्ली का प्रसारण दिल्ली के साथ—साथ, उत्तर प्रदेश, बिहार (दक्षिणी बिहार को छोड़कर) राजस्थान, मध्यप्रदेश पश्चिमी हरियाणा, पंजाब एवं हिमाचल के समस्त भागों में सुना जा सकता है ।

योजना आयोग भारत सरकार का सहयोग :— इस कार्यक्रम के स्कॉप लेखन एवं अनुसंधान के लिये सामाजिक आर्थिक अनुसंधान ईकाई, योजना आयोग नई दिल्ली, से अनुदान राशि प्राप्त हुई है।

तकनीकी सहयोग :— इस कार्यक्रम के निर्माण के लिये इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के इल्क्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडेक्शन सेंटर एवं मानवाधिकार ईकाई, समाज विज्ञान संकाय से सहयोग लिया जा रहा है।

प्रसारण संबंधी जानकारी :—

1. कार्यक्रम का नाम : **मजदूरवाणी**
2. प्रसारण स्टेशन : **दिल्ली 'ए' आकाशवाणी**
3. प्रसारण समय : **रात्रि 8 बजे से 8:15 बजे तक प्रत्येक मंगलवार**
4. प्रसारण अवधि : **वर्तमान में 15 मिनट (भविष्य में 30 मिनट करने की आकांक्षा)**
5. प्रसारण आवृत्ति : **प्रत्येक मंगलवार / साप्ताहिक**

ऐपिसोड 11—प्रसारण तिथि 21-11-2000

विषयः प्रवासी मजदूर : आवास की व्यवस्था

सूत्रधार

स्वामी जी : मजदूर भाइयो नमस्ते,

मजदूर भाई : नमस्ते महाराज ।

स्वामी जी : इस ठंड के महीने में यहां खुले में क्यों पड़े हो, कहाँ से आये हो और क्या काम करते हो ? ऐ बशेसर बंदकर रेडुआ देखता नहीं कोई आया है ।

(रेडियो बंद हो जाता है)

मजदूर : महाराज आप कौन है, यह सब क्यों पूछ रहे हैं, अपना परिचय दीजिए ।

स्वामी जी : भाइयो मेरा नाम स्वामी अग्निवेश है, मैं बंधुआ मजदूरों, गरीब खदान मजदूरों के लिये काम करता हूँ ।

मजदूर : आइये—आइये स्वामी जी, हम आपका नाम सुने हैं । हमारे गांव के मेहतरु राम से, जिन्हें एशियाड के समय आपने ठेकेदार के चंगुल से बचाया था ।

स्वामी जी : तब भगवन आप लोग उड़ीसा से हैं ।

मजदूर : हौं स्वामी जी, कुछ मजदूर म० प्र० से भी हैं ।

स्वामी जी : आपने यह नहीं बताया कि आप यहाँ सड़क के किनारे खुले में क्यों पड़े हैं ।

मजदूर : स्वामी जी हम यहाँ नजदीक में जो पुल बन रहा है, उसी में काम करते हैं । ये बशेसर सरिया मोड़ने का काम करता है । हम मजदूरी करते हैं, सीमेंट रोड़ी गारा ढोने का काम करते हैं ।

स्वामी जी : आपके सोने के लिए कोई जगह नहीं हैं ?

मजदूर : नहीं स्वामी जी, हम यहीं सोते हैं । हम दो महीने से यहाँ हैं । परन्तु ठेकेदार ने अभी तक सोने का कोई इंतजाम नहीं किया है । हमको ठेकेदार जब गांव से लाया था तो उसने कहा था कि वह हमारे रहने की व्यवस्था करेगा परन्तु उसमें अभी तक कुछ नहीं किया ।

स्वामी जी : आपकी बात से लगता है कि आप प्रवासी मजदूर हैं ? प्रवासी मजदूरों के लिये सरकार ने अनेक कानून बनाये हुए हैं । आपको यूँ खुले में सड़क पर सोने की कोई जरूरत नहीं है ।

मजदूर : स्वामी जी यह प्रवासी मजदूर क्या होते हैं ?

स्वामी जी : प्रवासी मजदूर उन्हें कहते हैं जो अपनी रोजी—रोजगार के लिये अपना गांव—छोड़कर कहीं और काम करने जाते हैं । किसी और प्रदेश में ।

मजदूर : स्वामी जी, इस बात को थोड़ा खोलकर समझायें ।

स्वामी जी : ऐसा कोई भी व्यवित जिसे किसी मालिक ने खुद या फिर किसी ठेकेदार के जरिये एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिये रखा हो । उसको किसी दूसरे राज्य में हो रोजगार देने के लिये इकरार दिया हो । “अंतर—राज्यीय प्रवासी मजदूर” कहलाता है ।

मजदूर : स्वामी जी, हमको तो हमारे बगल के गांव का मोहन 'सरदार' लेकर आया है। उसने कहा था कि दिल्ली की एक बड़ी कम्पनी में पुल बनाने का काम है। हमारे गांव से आठ जने और बगल के गांव से पाँच परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ कुल अट्टिठाईस जने आये हैं। इसमें 10 बच्चे हैं। उसने हमसे फी आदमी पांच-पांच सौ रुपये रेल किराये का भी लिया है।

स्वामी जी : चाहे तो आपको मालिक लाया है या फिर इस मालिक के लिये काम करने वाला ठेकेदार या फिर उसके लिये काम करने वाला 'सरदार' — आप उड़ीसा और म0प्र0 से दिल्ली में काम करने आये हो। आप सभी प्रवासी मजदूर हो। इसीलिए प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये बने कानूनों का लाभ आपको मिलना चाहिये। आप उसके अधिकारी हो।

मजदूर : स्वामी जी, आपने पूछा था कि क्या हमारे पास सोने के लिये जगह नहीं है? क्या 'प्रवासी मजदूरों' के लिये रहने की व्यवस्था करना भी ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

स्वामी जी : हां भगवन, आपके लिये एक उचित और सुरक्षित रहने की जगह का इंतजाम करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

एक अन्य मजदूर : स्वामी जी, हां याद आया जब पिछला ठेकेदार हमें गुजरात लेकर गया था तो उसने कंट्रक्शन साईट पर हमारे ठहराने की व्यवस्था की थी वहीं ईटों का चट्टा लगाकर ऊपर सिरकी का छप्पर डाल दिया था पर स्वामी जी वो कोई रहने की जगह थी। रेल के किनारे सारी रात गाड़ियों की खटर-पटर खुले में खाना बनाना पड़ता था, कब कोई उड़ता पक्षी गंदा डाल दे। आप उस जगह सीधा खड़े भी नहीं हो सकते इतनी नीची छत थी।

स्वामी जी : देखो भगवन, कानून में यह साफ—साफ कहा गया है कि ठेकेदार हर एक 'प्रवासी मजदूर' को रहने की जगह देगा। यहीं नहीं कानून में यह भी साफ—साफ लिखा है कि यह रहने की जगह कैसी हो। इस जगह को सर्दी, गर्मी, बरसात सभी तरह के मौसम बचाव का ध्यान रखकर बनाना होगा। इसमें हवा और धूप के आने के लिये रोशनदान की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। उस जगह का फर्श समतल हो और इस बात का ध्यान रहे कि उसमें बरसात का पानी आदि न घुस पाये। यह रिहायशी जगह काम की जगह से सुविधाजनक दूरी पर होनी चाहिये।

मजदूर : स्वामी जी, पीने के पानी और शौचालय आदि की व्यवस्था के बारे में भी कानून में कुछ लिखा है क्या?

स्वामी जी : हाँ भगवन, पीने के पानी की व्यवस्था और इसी के साथ ही नहाने कपड़े धोने आदि रोजाना की जरूरतों के लिये पर्याप्त पानी की व्यवस्था करना ठेकेदार की जिम्मेवारी है। इसी के साथ मजदूरों की संख्या के हिसाब से शौचालयों और स्नानघरों का निर्माण और रख—रखाव की व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी।

मजदूर : स्वामी जी हमारे साथ हमारी औरत और बच्चे भी हैं क्या उन्हें भी दूसरे मजदूरों के साथ रहना पड़ेगा या फिर परिवार के लिये कोई अलग व्यवस्था है।

स्वामी जी : हां भगवन आपने बहुत अच्छी बात पूछी है | यदि आप परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ हैं तो आपके लिये अलग से एक कमरे की रिहाईश का इंतजाम होना चाहिये | यह रिहाईश कैसी हो इसको भी कानून में साफ—साफ लिखा गया है | यह कम से कम 10 वर्ग मीटर में होनी चाहिये | कमरे के साथ एक बरामदे तथा रसोई बनाने के लिये एक ढकी हुई जगह का होना जरूरी है | इस तरह के तीन परिवारों पर एक शौचालय और स्नानघर होना चाहिये | इन जगहों पर पर्याप्त आड़ होनी चाहिये | जैसे किवाड़ आदि | इसी प्रकार बिना परिवार अकेले आये प्रवासी मजदूर स्त्री—पुरुषों के लिए भी रहने का इंतजाम करना होगा | एक बैरक में या कमरे में 10 से अधिक लोगों को नहीं रखा जा सकता | महिला और पुरुषों के लिये अलग—अलग रहने, नहाने और शौचालय का इंतजाम करना होगा |

मजदूर : स्वामी जी यह जो दस लोग एक साथ रहने की व्यवस्था है इसमें कमरा कितना बड़ा होना चाहिये यह कुछ लिखा है क्या ? एक छोटे से कमरे में 10 लोगों को भेड़—बकरियों की तरह तो नहीं रहना पड़ेगा |

स्वामी जी : नहीं भगवन, कानून में साफ लिखा है कि इस प्रकार के कमरे को कितना बड़ा होना चाहिये कि हर मजदूर के लिये कम से कम साढ़े छः वर्ग मीटर जगह हो इसके अतिरिक्त रसोई बनाने के लिये ढके हुए स्थान की व्यवस्था होनी चाहिये |

याद रखिये

यदि आपको कोई मालिक, ठेकेदार या उसका आदमी, दूसरे प्रदेश में काम के लिए ले जाता है | तो आप "प्रवासी मजदूर" हैं |

सरकार ने 'प्रवासी मजदूरों' की भलाई एवं सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाये हैं |

ऐसा एक प्रमुख कानून है | अन्तर—राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 (उन्नासी सौ उन्नासी) |

अगले अंकों में हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे |

ऐपिसोड 12—प्रसारण तिथि 28-11-2000

विषयः प्रवासी मजदूरः कौन हैं प्रवासी मजदूर क्या हैं उनके सवाल ?

मजदूरः नमस्ते स्वामी जी—राम—राम स्वामी जी, वणकम् स्वामी जी

स्वामी जीः वणकम—वणकम, राम—राम भाई सब लोगों को नमस्ते और क्या हाल—चाल हैं । बहुत—दिन हो गये हैं हम लोगों को मिले हुए । पिछली बार जब आप लोगों से बात हुई थी उसका कोई फायदा आपको हुआ, नहीं हुआ । कुछ पता ही नहीं लगा, मुझे ।

मजदूरः नहीं, स्वामी जी, फायदा तो बड़ा हुआ, तब से ठेकेदार ढंग से बात करता हैं । इज्जत से बात करता है ।

स्वामी जीः अच्छा जी, ये तो बड़ी अच्छी बात बतायी आपने । लेकिन आप अच्छी तरह समझ लो । यदि आप बाहर राज्य से आये हैं, तो आप प्रवासी मजदूर हैं । पहली बात तो अच्छी तरह समझ लीजिये किसी बाहर राज्य से आकर यदि आप काम कर रहे हैं । इसका सीधा मतलब है कि आप प्रवासी मजदूर हैं । आप उड़ीसा, मध्य प्रदेश कहीं से भी आये हैं । अब आप आये हैं दिल्ली में काम करने के लिये । और आप सभी प्रवासी मजदूर हैं । इसलिये आपके हितों की रक्षा के लिये । आप जैसे तमाम् हजार, लाख, करोड़ों मजदूरों की रक्षा के लिये जो कानून बना है उसका पूरा—पूरा लाभ आपको मिलना चाहिये । आप सब इसके अधिकारी हैं ।

मजदूरः पर स्वामी जी वो कानून हैं क्या उनकी पूरी—पूरी जानकारी हमें बताने की कृपा करेंगे ?

स्वामी जीः अब देखिये, राजमिस्त्री हो, सरिया मोड़ने वाला हो, सुपरवाईजर हैं, मुश्ती हैं, कोई भी जो इस तरह का काम करते हैं और चाहे केवल गारे का काम करते हैं । मिट्टी काटने का काम करते हों । यदि वो दूसरे राज्य में काम करने के लिये लाये गये हैं । तो उनको प्रवासी मजदूर की कोटि में, उसकी श्रेणी में रखा जाता है । और जब वो लाये जाते हैं । तो पहली बात तो ये रेल का या बसका, जो भी कुछ जो किराया है । उसके लिये आप से ये जो पांच—पांच सौ रुपया लिया गया है । ये बिल्कुल, सरासर गैर कानूनी है । वो आपसे नहीं ले सकते, ये किराया ।

मजदूरः गैर कानूनी क्यों हैं स्वामी जी ? इतना पैसा तो रेल किराये वगैरह में भी लग ही जाता है ।

स्वामी जीः भई मतलब गैर कानूनी का आप समझिये । गैर—कानूनी से मैं यह नहीं कह रहा कि रेल वाले किराया गलत ले रहे हैं । मेरे कहने का मतलब है कि मालिक ठेकेदार, अपने यहां काम करवाने के लिये दूसरे राज्य से मजदूरों को बुलवाता है । तो अंतर—राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम बना हुआ है । और इस कानून के अंतर्गत मजदूर के आने—जाने का किराया और उसके साथ कुछ यात्रा भत्ता ये सबकुछ मालिक को देना होता है ।

मजदूरः परन्तु स्वामी जी घर से, उड़ीसा से दिल्ली तक आने में तीन—चार दिन लग जाते हैं । रास्ते में खाने आदि पर भी काफी खर्च हो जाता है ।

स्वामी जी : इसीलिये, तो मैं कह रहा हूं। आप लोगों के लिये। आप इसको अच्छी तरह समझिये। इसके लिये कानून में पूरी व्यवस्था है। जब ठेकेदार आपको आपके गांव से लेकर चलता है। तो उसे आपकी एक महीने की पूरी मजदूरी का आधा पैसा या फिर पिछहत्तर रूपया। इनमें से जो भी अधिक बनता है। वो आपको देना होगा। इसे विस्थापन भत्ता भी कहते हैं। तो आज की स्थिति में आपको एक महीने की मजदूरी का आधा पैसा ठेकेदार को देना होगा।

मजदूर : स्वामी जी, बाद में तो ये पैसा कटवाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर हम कर्ज सिर पर क्यों चढ़ायें?

स्वामी जी : ये अच्छी तरह समझो—बार—बार मैं समझा रहा हूं। ये कोई ऐडवांस या कर्जा नहीं है। ये पैसा तो आपको बिल्कुल वापिस नहीं करना है। ये आपको, उसने देना है। किराया देना हैं, आपके खाने—पीने का खर्चा देना है। यात्रा भत्ता देना है। और ये ही नहीं, और जिस दिन से आप अपनी यात्रा, शुरू करते हैं और गांव से जिस दिन आप चल पड़े। उसी दिन से आपको काम पर माना जायेगा। इसका मतलब हुआ कि मजदूरी की जो भी रेट है, दर है वो उसी दिन से लागू हो जायेगी। जैसे आपने बताया घर से दिल्ली तक आने में तीन—चार दिन लग जाते हैं। अब देखिये यात्रा में लगे इन तीन—चार दिनों का, या फिर और भी कितने ही दिन लग जायें, उतने दिनों की मजदूरी का भुगतान ठेकेदार या मालिक को करना होगा।

मजदूर : स्वामी जी इसके अलावा और कौन—कौन से लाभ, हम प्रवासी मजदूरों को मिल सकते हैं कानून के द्वारा?

स्वामी जी : देखिये जो भी ठेकेदार किसी दूसरे राज्य में मजदूर लाता है। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो मजदूरों को समय पर, नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान करवायें। और औरत को और मर्द को, स्त्री—पुरुष के बिना कोई भेदभाव के, जो मजदूरी है, वो पूरी की पूरी दोनों को दिलवायें।

मजदूर : स्वामी जी, हमें तो यहां लोकल मजदूरों से भी कम मजदूरी दी जाती है। ठेकेदार कहता है यदि बराबर की मजदूरी का ही भुगतान करना होता, तो हम तुम्हें उड़ीसा से क्यों लेकर आते।

स्वामी जी : ये क्या मतलब हुआ। मजदूरी के भुगतान में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपको भी स्थानीय मजदूर, जो लोकल हैं यहां के, जितनी उनको मजदूरी मिलती है, उतनी ही मजदूरी का भुगतान, आपके लिये भी करना होगा। इस तरह जो भी काम हैं। उन सभी कामों के लिये एक जैसी मजदूरी का ये कानून बना हुआ है। वो चाहे महिला करे, चाहे आदमी करे, पुरुष करे या फिर प्रवासी मजदूर करे। बाहर के राज्य का मजदूर करे। एक समान मजदूरी का भुगतान न करना कानून में अपराध है और ये मजदूरी, जो घोषित मजदूरी है, न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिये।

मजदूर : स्वामी जी, आपने बताया था कि प्रवासी मजदूर को घर से काम के स्थान तक आने—जाने का किराया, ठेकेदार को देना होगा वापसी का किराया कब मिलेगा आने के बाद या पहले, या काम खत्म होने के बाद में।

स्वामी जी : देखिये, जो वापिस जाने का किराया है, काम खत्म होने के बाद ही मिलेगा । और आप काम खत्म होने की तारीख के बाद घर वापिस जाने लग जायें । अपने परिवार में, या जहां भी आप गांव में रहते हैं । तो फिर आप उस समय वापसी किराया मांगिये, तो उसे जरुर देना पड़ेगा ।

मजदूर : स्वामी जी, मान लीजिये कि नहीं कारणों से, करार के मुताबिक काम खत्म होने की तारीख से पहले ही घर वापिस जाना चाहें । या ठेकेदार समय से पहले ही काम से हटा दे हमें । तो क्या उस स्थिति में भी वापसी का किराया मिलेगा हमको ?

स्वामी जी : जरुर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने देखिये करार के मुताबिक, जो भी समझौता आपने किया है, मालिक के साथ या ठेकेदार के साथ । तो उसके अनुसार आपके काम का समय पूरा हो गया । काम पूरा हो गया । आप अपना वापिस जाना चाहते हैं । तो उस समय आपको पूरा किराया दिया जायेगा और यदि आपको काम से हटा भी दिया जाता है । और आप घर जाने के लिये किराया मांगते हैं । तो उसके भी आप हकदार हैं । और कोई भी कारण से, कोई भी एक, दो, तीन कारण कुछ भी हो सकता है । आपको यदि नौकरी से हटाया जा रहा है । काम से निकाला जा रहा है । तो उस समय मालिक, ठेकेदार को, आपको घर वापिस जाने का पूरा किराया जरुर देना पड़ेगा ।

एक बात और ध्यान दीजिये । ये बात कुछ ऐसी है कि इसको थोड़ा अच्छी तरह समझिये कि किराये का जहां तक सवाल है । कि एक बार ठेकेदार, मजदूर को ले आये, काम कराने के लिये प्रदेश में, और मान लीजिये आपको काम से नहीं हटाया आपको कोई कारण से निकाला भी नहीं है । लेकिन आपको कोई बीमारी हो गई और आप काम कर नहीं सकते । ऐसी हालत में आप नहीं हैं कि काम रोज, रोज करें । कोई चोट ही लग गई, मान लीजिये । और उसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते । तो ऐसी हालत में आप खाली तो बैठे नहीं रहेंगे । आपके ऊपर और बोझ बढ़ता चला जायेगा यदि बैठे खाते रहेंगे तो ।

तो इसलिये जब आप वापिस जाना चाहेंगे । इस हालत में, वो किराया आपको जरुर देगा और देना पड़ेगा ।

इसके साथ—साथ आपको थोड़ा सा ये जरुर ध्यान रखना पड़ेगा । कि मान लीजिये बीमारी या चोट या कोई भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है । और आप कहते हैं कि मैं तो काम नहीं कर पा रहा हूँ । मैं घर वापिस जाऊँगा और मुझे किराया दीजिये । तो आपको किसी डाक्टर से, जिसको भी कहते हैं न कि जिसका रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ हो, जैसे मेडिकल डाक्टर हो सही ढंग का । ये नहीं जो सड़क छाप बैठे हुए हैं इधर—उधर नहीं । कोई अच्छा समझदार पढ़ा—लिखा डाक्टर, उससे आपको लिखवाकर एक सर्टिफिकेट जैसा कोई प्रमाण—पत्र जरुर लेना होगा । उससे आपकी मदद हो जायेगी । और मान लीजिये, न आपको चोट लगी और न वो आपको हटा रहा है । लेकिन यदि मालिक ने जिस काम के लिये, ठेकेदार ने जिस काम के लिये आपको बुलाया था वो ही बंद हो गया । काम रुक गया । किसी वजह से रुक जाये । तो इसमें आपकी तो कोई

गलती नहीं है । आप तो काम करना चाहते थे । काम करने के लिये आये थे । अब कहीं गांव से, घर से । अब उसका काम यदि रुक गया है तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं हैं । सिवाये इसके कि आप वापिस जायें तो ऐसी हालत में भी, उसे आपको पूरा किराया देना पड़ेगा और यदि मालिक ठेकेदार जिस शर्त पर आपको लेकर आया काम करवाने के लिये कि मैं इतने पैसे दूँगा । आपको इतना काम करना पड़ेगा । इतने धंटे करना पड़ेगा । यदि वो जो सेवा शर्त हैं । काम करने के लिये । पहले जो आपसे उसने शर्त लगाया है करार किया है । यदि उसको पूरा नहीं करता और इस कारण से भी आपको तकलीफ है कि मैं तो ये गलत शर्तों पर काम नहीं करूंगा, करूंगी तो भी आप अपने घर जाने के लिये जो किराया मांगेंगे । उसे वो वापसी किराया जरूर-जरूर देना पड़ेगा । अब ये सारी बातें मैंने आपको खोलकर समझाई हैं । कानून के अनुसार समझाई हैं । तो ये मेरी अपनी कोई अग्निवेश के घर की किताब से मैं आपको नहीं बता रहा हूं । मैं आपको अंतर-राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम 1989 जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था । उसको मैंने स्पष्ट, सरल शब्दों में आपको समझा दिया ।

मजदूर : स्वामी जी हमें तो आये हुए दो महीने हो गये हैं । ऐसी कोई व्यवस्था ठेकेदार ने नहीं की है । यहां सड़क के किनारे खुले में सोना पड़ता है । एकसीडैंट का हमेशा खतरा बना रहता है ।

स्वामी जी : यहां तो रहेगा ही खतरा । अब आप लोगों ने, आकर के यहां सड़क पर डेरा डाल रखा है । सारी ट्रैफिक चल रही है । धूल-धकड़, धुआं सब कुछ हो रहा है । वैसे भी एकसीडैंट न हो तो इस गंदी हवा में सांस लेकर के आपका दम टूट सकता है । अब करें क्या ?

आपको काम पर रखने के, पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर रिहायशी व्यवस्था करनी चाहिये थी ठेकेदार को यदि ठेकेदार ने नहीं किया है, तो इस काम का जो असली मालिक है, बड़ा मालिक, उसको आपकी व्यवस्था तुरन्त करनी चाहिये । और इसमें कोई देर नहीं हो सकती । और हर तरीके का इंतजाम जो मैंने अभी आपको खोल-खोलकर सब कुछ विस्तार से बताया है ।

मजदूर : स्वामी जी, ये एक प्रश्न बार-बार मेरे दिमाग में कचोटता है कि यदि कोई दुर्घटना हो जाये तो हमारे घरवालों को भी पता चलेगा कि नहीं । हम मर गये या जिन्दा हैं । ये उन्हें कैसे पता चलेगा उनको ?

स्वामी जी : जब भी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाये । कोई गम्भीर दुर्घटना की स्थिति में, जो आपके नजदीकी रिश्तेदार हैं । और कोई भी जो अधिकारी हैं, वहां उस इलाके के आपके गांव के, जिले के, उनको दुर्घटना की पूरी सूचना देने का काम, जो ठेकेदार आपको लेकर आता है उसकी जिम्मेदारी होती है ।

मजदूर : और यहां प्रदेश में कौन ईलाज करवायेगा जी ?

स्वामी जी : भई, प्रदेश और देश का कोई सवाल नहीं है । ये पूरा देश आपका है । और काम के दौरान कोई दुर्घटना घटित हो जाये । उसमें घायल हो जायें, उसका ईलाज करवाने की जिम्मेदारी मालिक

की है । उसी को आपका इलाज भी करवाना होगा । और आपको उस समय के पूरे पैसे भी देने होंगे । इस विषय पर हम अलग से अपने मजदूर वाणी कार्यक्रम में विस्तार से बतायेंगे ।

गीत –

इंसान का इंसान से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा—हमारा ।
इस धरती पर हो प्यार का घर—घर उजियारा, यही पैगाम हमारा—हमारा ।
इंसान का इंसान से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा—हमारा ।

ऐपिसोड 13 –प्रसारण तिथि 5–12–2000

प्रवासी मजदूर : पासबुक/पहचान पत्र

बंधुआ मुवित मोर्चा द्वारा प्रायोजित 'कार्यक्रम मजदूरवाणी के इस अंक में 'हम लेकर आये हैं प्रवासी मजदूरों की पहचान के 'प्रमुख दस्तावेज पास-बुक' के बारे में जानकारी
(स्पूजिक)

अक्सर 'ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं । जब दुर्घटना में घायल और मौत का शिकार हुए मजदूर' को मालिक पहचानने तक से 'इंकार कर देता है । उसे लावारिस 'या धुसपैठिया बताकर' अपनी जिम्मेदारियों से मुँह मोड़ लेता है । मजदूरों की 'इसी—व्यथा कथा को' समर्पित है यह अंक स्पूजिक ।

मजदूर 1 : स्वामी जी, राम—राम,

मजदूर 2 : नमस्ते स्वामी जी, आइये—आइये स्वामी जी ।

मजदूर 3 : वणकम्, स्वामी जी ।

स्वामी जी : राम राम जी, सबको नमस्ते वणकम्,

गाना

मेरे हक मुझे बता दो, मैं तो हक लेने पर राजी — मेरे हक मुझे बता दो ।

मजदूर : स्वामी जी, इस बात का क्या सबूत है कि कितनी तनख्वाह पर लाया था ठेकेदार और कब लाया था । इसके लिये भी तो कुछ होना चाहिये । कुछ होता है या नहीं ?

स्वामी जी : देखो भाई, ये भी आप अच्छी तरह समझ लो, कानून में इस बात की अच्छी तरह समझ लो, कानून में इस बात की अच्छी व्यवस्था है कि आपको जब ठेकेदार लेकर आये तो आपके लिये एक अलग से पास—बुक बनाकर आपको देना पड़ेगा । एक—एक मजदूर को औरत को अलग, आदमी को अलग ।

मजदूर : स्वामी जी, बैंक वाली पास—बुक क्या ?

स्वामी जी : बैंक—बैंक वाली नहीं भई, ये बैंक में खाता खोला है आपने जो बैंक में, पास बुक मिलेगा आपको, नहीं । यह जो पासबुक है । इसमें आपकी भर्ती की तारीख, जिस दिन से आपको उन्होंने लगाया काम पर, जिस दिन से आपने काम शुरू किया गो तारीख लिखी होगी । आपकी हाजरी में, यदि पीस रेट पर, पीस रेट कहते हैं, जैसे काम के हिसाब से, कि इतनी फुट मिट्टी काटने का या इतना पत्थर तोड़ने का, या जो भी कुछ कहा जाये, उसके हिसाब से यदि काम की मजदूरी कितनी तय हुई है यदि दिहाड़ी के हिसाब से, तो दिहाड़ी वाली रेट लिखनी पड़ेगी ।

आपकी मजदूरी में से कोई पैसा काटा गया है मान लीजिये और वह यह कहे कि मैंने तो आपको यह खर्चा दिया या अमुक कुछ दिया तो मैं इसमें से कुछ खर्चा काट रहा हूं । वो भी

जरूर उस पास—बुक में दर्ज करना पड़ेगा कि कितना काटा, क्यों काटा, कुल कितना पैसा दिया । ये सारी जानकारी उसको समय—समय पर दर्ज कराते रहना पड़ेगा । सब मजदूरी या वेतन बांटने के तीन दिन के अंदर—अंदर करना होगा ।

जैसे आज उसने आपको मजदूरी दे दी, तो उसमें वो लिखेगा आज नहीं लिखे, कल नहीं लिखे, तो परसों । तीन दिन के अंदर—अंदर आपके पास—बुक में सारी जानकारियां दर्ज होनी चाहिये । उसके बाद वह कहे कि मैं दर्ज करूंगा मैंने पिछले हफ्ते या पिछले महीने दिया था आपको ये वो तो उसको काटूंगा — तो वह उसको नहीं कर सकता ।

तीन दिन के अंदर—अंदर जो भी आपका हिसाब किताब है आपका पास—बुक कोई भी देखे, उसको पूरा पक्का पता लग जायेगा कि आपकी देनदारी—लेनदारी कितनी है ।

मजदूर : स्वामी जी, मुझे किछी लिखा—पढ़ा जानी किछुना । कोई—कोई मजदूर साथी अपनी उड़िया भाषा जानता है । तो पास—बुक में कौन भाषा में होगा । हमको कैसे मालूम पड़ेगा ?

स्वामी जी : आप कहां से आप लगता है उड़ीसा से है । चलिये कोई बात नहीं चाहे आप उड़ीसा के हों, चाहे, जैसे हमारी बहन इनकी आवाज सुनने से लग रहा है कि ये दक्षिण भारत से हैं और ये तो हमारे चौथरी साहब तो लगता है जैसे हरियाणा के हों ।

मजदूर : नहीं जी राजस्थान के हैं ये ।

स्वामी जी : हाँ राजस्थान तो राजस्थान के हैं ये । तो ये देखिये कि बात यह है कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं । प्रवासी जैसा मैंने पहले समझाया था, दूसरे राज्य से आकर के काम करने वाला अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में, तो ऐसे जितने भी आते हैं । वो बेचारे असंगठित होते हैं । उनका कोई यूनियन नहीं होता, कोई दफतर नहीं होता, कोई झंडा या इस तरह की कोई चीज तो होती नहीं । तो सबसे बड़ा जो कारण है उनके शोषण होने का, उनके साथ ठगी होने का वह यह कि वो बेचारे अनपढ़ होते हैं । और उनके पास पास—बुक, उसमें लिखा है नहीं लिखा है । वो पढ़ नहीं सकते । तो यह जरूरी है, कि जिस प्रांत से जो मजदूर आया है । जिस भाषा को वो बोलता है, उसके बारे में जानकारी लेकिन उसकी भाषा में लिखना होगा, कोई तेलगू इलाके से आया है आंध्र प्रदेश का मान लो, तो उसकी तेलगू में लिखकर देना पड़ेगा । ताकि वह थोड़ी बहुत अपनी भाषा में अपनी जानकारी ले सके । अब आप उड़ीसा से आये हैं तो उड़िया से आपकी पास—बुक में सारा दर्ज करना होगा । कोई हिन्दी भाषा का है तो हिन्दी में, तमिल का है तो तामिल में कानून में सारी बात स्पष्ट लिखी गई है कि जो जिस इलाके का मजदूर है उस इलाके की भाषा में उसका पास—बुक लिखा जायेगा ।

मजदूर : अच्छा स्वामी जी ! इस पास—बुक में और क्या—क्या बातें लिखी होंगी ? मुझ अनपढ़ को तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरी पास—बुक है या किसी और की ?

स्वामी जी : अरे भई यह आपकी पास—बुक है इसका तो स्पष्ट इसी बात से पता लग जायेगा कि इसमें आपकी फोटो लगी होगी । जब आपकी तस्वीर आपका एक छोटा सा फोटो जैसे होता है । चेहरा, देखकर के आप भी अपनी पास—बुक को सकते हैं । आपका दूसरा साथी भी जानकारी कुछ लेना चाहे तो पढ़कर सुना सकता है और कोई अफसर है, पुलिस वाला है, जो भी जानकारी कुछ लेना चाहे आपके बारे में तो चूँकि फोटो आपका लगा हुआ है तो उस फोटो को देखकर के पास—बुक से आपकी पूरी पहचान एक तरह से यह आपका आई—कार्ड भी बन गया आपके बारे में सारी जानकारी उसके अंदर लिखी हुई है । और क्या—क्या जानकारी होती है । तो भई उस जगह का नाम लिखा होगा जहां आप काम कर रहे हैं । मान लीजिये आपको ये जो फ्लाई ओवर बन रहे हैं दिल्ली में हरियाणा में, इसके ऊपर आपको काम में लगाया है । इस खास मोड़ की इस खास जगह की जहां पर आपको काम पर लगाया जा रहा है वो जगह का नाम स्थान लिखना होगा ।

मजदूर : अच्छा स्वामी जी । थोड़ी सी बात और बताऊं मैं आपको । जो आपका मालिक है न, जिसके लिये आपको लाया गया है । उसका भी नाम उसको लिखकर के देना पड़ेगा कि भई किस कम्पनी के लिये, किस मालिक के लिये आपको लाया गया है । आप तो केवल अपने ठेकेदार को जानते हो, जो आपके गांव का है, आपका सरदार है । उसका नाम आपको पता हो तो पता हो । आप उसके ऊपर का और ऊपर का जो सबसे बड़ा मालिक है या बड़ी कम्पनी है तो आप तो जानते नहीं हो उसको । तो पास—बुक में उस कम्पनी का पूरा एड्रेस, नाम फोन नम्बर जो भी चीज है । यह सब उसमें लिखा होना जरूरी है और आपको किस रेट पर कितनी मजदूरी पर रखा गया है । कल को आप कहो कि मुझे तो 100 रु0 रोज के रेट पर लाया था अब मुझको यह 50 दे रहा है 60 दे रहा है । झगड़ा होगा । जिस रेट पर ला रहा है वो आपको काम करने के लिये वो रेट वहां पर साफ लिखा हुआ होगा ।

ये सारी जिम्मेदारी न0 एक ठेकेदार की है ठेकेदार पूरा नहीं करता है तो यह मालिक की जिम्मेदारी है । और यह सारी जानकारी जितनी भी है वो सरकारी कर्मचारियों को भी एक निश्चित समय पर उसको भेजते रहना पड़ेगा कि मेरे नीचे इतने मजदूर काम कर रहे हैं । उनको दे दिया है । और उसमें मजदूर का कोई नजदीकी रिश्तेदार चाहे यहां हो या गांव में हो उसका भी नाम लिखना पड़ेगा ।

सवाल तो भई इसलिये कि आप घर द्वार छोड़कर आते हो यहां काम करने के लिये भगवान न करे किसी के साथ कोई दुघर्टना हो जाये । कोई भी एक्सीडेंट हो जाये । मान लो आदमी रहे न रहे दुनिया में । तो किसको खबर दी जायेगी । आखिर किसी को तो पता लगना चाहिये न कि मेरे रिश्तेदार के साथ ये घटना हो गई । और अब वो दुनिया में नहीं रहा या क्या हो गया । तो उस पास बुक पर आपके नजदीकी रिश्तेदार का दोस्त का, जिसको भी आप चाहते हो खबर मिले आपके बारे में । उसका नाम पता पूरा दर्ज होगा । कल को कोई बात हो जायेगी

तो पुलिस वाले भी आपकी तलाशी लेंगे । आपकी जेब में से ये पास—बुक तो वो आपके रिश्तेदार को खबर कर देगा ।

मजदूर : तो स्वामी जी क्या दुर्घटना होने पर ठेकेदार हमारे घर वालों को सूचना देगा ?

स्वामी जी : ओ सूचना, सूचना उसको पूरी देनी होगी । सूचना का मतलब खाली ऐसे नहीं कि बता दिया उनको सारी जानकारी देनी होगी क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ । पूरी जानकारी देगा । मान लीजिये फिर मैं कहता हूँ भगवान् न करें कोई प्राण घातक हो गई जिससे मर ही गया कोई मजदूर । शरीर की कोई हड्डिया वगैरह टूट गई इस तरह की कोई भी चीज हो जाती है जिसमें मजदूर बेचारा खुद कुछ भी जानकारी नहीं भेज सकता । अपने गांव में अपने घरवालों को । तो वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी हो सके, बिना कोई देर किये वो सारी जानकारी घर वालों को भी देगा । और दोनों राज्य के जिस राज्य में काम हो रहा है उसके जो सम्बधित अधिकारी हैं लेबर डिपार्टमेंट के उनको भी, और मजदूर जिस राज्य का मूल निवासी है वहां भी । दोनों राज्य के श्रम विभाग के अधिकारियों को उस दुर्घटना की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी । और जो आपके परिवार वाले हैं उनको तार के द्वारा, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो सूचना उसको भेजनी पड़ेगी और उस समय उसको यह बताना पड़ेगा कि किस जगह पर किस तरह की दुर्घटना हुई । कितनी छोट लगी है । अभी अस्पताल में है तो कि कौन से अस्पताल में, कितने नम्बर बेड पर सारी बात बतानी पड़ेगी । और यह 24 घंटे के अंदर—अंदर ये अधिकारियों को जो रिश्तेदार हैं उनको यह सारी जानकारी उसको भेजनी पड़ेगी ।

लिखकरके भेजनी पड़ेगी । रिपोर्ट के रूप में देनी पड़ेगी । वो सारी बातें भी बतायेगा कि भई देखो ऐसी—ऐसी बात हो गई मैं इसके रख—रखाव के लिये, ईलाज के लिये या पोस्टमार्टम करवाने के लिये मैं ये—ये कार्यवाही कर रहा हूँ । 24 घंटे के अंदर—अंदर यदि वो ऐसा नहीं करे तो मालिक को करनी पड़ेगी और मालिक को भी और 24 घंटे मिलेंगे । मतलब ठेकेदार के लिये 24 घंटे का समय है और मालिक के लिये ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे का समय है जिसके अंदर वो ये सारी जानकारी सरकारी अधिकारियों को भी दे और मजदूर के नजदीकी रिश्तेदार को भी दे ।

मजदूर : स्वामी जी, मालिक या ठेकेदार यदि ऐसा नहीं करता है तो ?

स्वामी जी : कैसे नहीं करेगा, कानून बताइये उसको । कानून में हमें कार्यवाही करनी पड़ेगी । यदि ऐसानहीं करता है । मालिक न करे ठेकेदार न करे तो उसके खिलाफ बहुत सख्त, बहुत कठोर कार्यवाही हो सकती है ।

याद रखिये

कानून में मजदूरों की 'पहचान के दस्तावेज' पास—बुक की व्यवस्था है ।

'काम शुरू करने के पहले 'ठेकेदार से 'पास—बुक अवश्य मांगिये ।

पास—बुक न देना 'गैर कानूनी है ।

ऐपिसोड 14 – प्रसारण तिथि 12–12–2000

विषय : श्रम अधिकार–बुनियादी अधिकार भी हैं ।

मानव अधिकार दिवस पर विशेष

सूत्रधार :

इस अंक में प्रस्तुत है “श्रम अधिकार बुनियादी अधिकार भी हैं ।”

दो दिन पहले पूरी दुनिया में 10 दिसम्बर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया ।

हमारे देश के संविधान एवं कानूनों में नागरिकों के मानवाधिकार सुनिश्चित किये गये हैं ।

मानवाधिकारों की रक्षा के लिये हमारे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सजग रहे हैं । देश के स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग काम कर रहा है । जिसने थोड़े ही समय में अनेक महत्वपूर्ण फैसले किये हैं, महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं ।

परन्तु क्या इस सबके बावजूद भी गरीब मजदूरों को मानवाधिकार मिल पाये हैं? आजादी के 53 वर्षों बाद भी असंगतित क्षेत्र के करोड़ों बेजुबान मजदूर – मानव अधिकारों से वंचित हैं । इन्हीं बेजुबानों को समर्पित है मजदूरवाणी का यह अंक ।

स्वामी जी : नमस्ते मजदूर भाइयो, नमस्ते ।

मजदूर : नमस्ते स्वामी जी नमस्ते ।

मजदूर : स्वामी जी, पिछले दिनों एक वकील साहब हमारी बस्ती में आये थे, बोले जिन अंतर–राज्यीय प्रवासी मजदूर कानूनों के बारे में स्वामी जी, आपको बता रहे हैं । उनको ठेकेदार ना माने, मालिक ना माने तो म्हारे बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हो जा है जी, और न्यूं बोले जी के म्हारे इंसानी हकों का उल्लंघन हो जा है । इन्सानी हकों के खिलाफ बात है ।

स्वामी जी : वह बहुत ठीक कह रहा था, उसने बहुत सही बताया, बहुत सही सलाह दी उसने आपको । देखो दो तरह के अधिकार होते हैं । एक होते हैं सामान्य अधिकार जिसको कह देंगे हम कानूनी अधिकार । लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं, जिनको हम कहेंगे फंडामेंटल राईट्स – जिन्हें हम कहेंगे बुनियादी हक हैं । अब बुनियादी हक का मतलब हो गया कि किसी भी हालात में कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता । चाहे वह सरकार हो, ठेकेदार हो, या मालिक हो कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ।

नहीं, सब इंसान हैं, और इंसान के नाते से जो आपका हक बनता है वह कानून ने सुरक्षित किया है ।

बुनियादी अधिकार आपके जीने का अधिकार जो हैं । जीना मतलब कीड़े–मकोड़े की तरह जीने को जीना नहीं कहते । सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है लाइफ लाइफ विद डिग्निटी – मतलब सम्मान के साथ ।

मजदूर : इज्जत के साथ जी ।

स्वामी जी : जिसको कहते हैं इज्जत के साथ जीना वह है जीना । उसमें यदि न्यूनम मजदूरी नहीं मिल रही हो, आपके बच्चे के लिए किसी तरह की सुविधा नहीं है, वहां काम की जगह पर । बड़े बच्चों की पढ़ने की सुविधा नहीं है और जो भी बातें कानून में कहीं गई हैं वो वहां पर नहीं हैं । तो ये माना जायेगा कि वहां पर मजदूरों को बंधुआ बनाकर रखा गया है । तो बाकी सारे कानून एक तरफ और एक ओर कानून बड़ा सख्त बना है बंधुआ मुक्ति अधिनियम 1976 का ।

मजदूर : अच्छा स्वामी जी ।

स्वामी जी : हां उसमें तो मालिकों को तीन साल की सजा हो जायेगी । कोई गाली—गलौज भी करने की जरूरत भी नहीं है ।

आप तो प्यार से, हिम्मत से, अपने कानूनी अधिकारों को समझो और उसको लागू करवाने के लिए इकट्ठे हो जाओ ।

तो भई संविधान का बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ कोई मालिक, कोई ठेकेदार यदि पकड़ा जायेगा तो उसको बड़ी सख्त सजा है । बंधुआ मजदूर यदि रखा हुआ साबित हो जायेगा । जैसा कि हमने पिछले दिनों एशियाड केस में करवाया । उसके बाद बंधुआ मुक्ति मोर्चे का केस भी चला सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी यह लागू हुआ और हजारों हजार बंधुआ मजदूर छूटे । मैं आपको एक उदाहरण देकर बताता हूं — जैसे हमारे यहां जब ये एशियाड खेल के लिए तैयारियां हो रहीं थीं ।

मजदूर : हां जी दिल्ली में हुए थे जी 1982 में, हाथी जी हाथी ।

मजदूर 2 : 82 में जी 82 में ।

स्वामी जी : हां 1982 में, नवम्बर के महीने में वो खेल होने थे अब एक—डेढ़ साल पहले यहां दिल्ली में बड़ा लम्बा—चौड़ा काम स्टेडियम बनाने का, पुल, होटल न जाने क्या—क्या । करोड़ों—करोड़ों रुपये लगाकर ।

मजदूर : हां जी हाथी नाच रहा था जी, अपू, जी—अपू कहें जिसे ।

स्वामी जी : खाली अपू ही नहीं और भी बहुत से खेल हुए थे, तुम्हें मालूम नहीं । तुम लोग तो बस अपना काम करते हो ।

मजदूर : उसमें भी हम काम करते थे जी ।

स्वामी जी : करते थे ना, आप लोग आये होंगे । कभी न कभी इधर—उधर भटकते हुए । लेकिन अब बात यह है कि जब उस समय मजदूरों को उनके हक नहीं मिल रहे थे । तो एक पी०यू०डी०आर० नाम की संस्था ने केस दर्ज किया । हम लोगों ने उसमें मदद की और हम सबने जांच पड़ताल करके जानकारी दी । सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देखिये, ये मजदूर हैं बेचारे । पूरे देश भर से लाये गये हैं गरीब से गरीब मजदूर हैं इनके रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं है । तम्बू तक नहीं हैं इनके पास तम्बू तक । जिसको कहते हैं ना सड़क के किनारे खुले में पड़े हुए हैं । पीने का पानी नहीं, टट्टी—पेशाब करने की जगह

नहीं है। उनके छोटे-छोटे बच्चे वैसे वहीं पत्थर और धूल में पड़े हुए हैं, यानि उनके लिए पालनाघर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कानून किसके लिए बना रखा है। जब हमने यह मुकदमा डाला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई और पता लगाया कि ये जो बहुत कानून का उल्लंघन हो रहा है तो फिर उन्होंने इसके बाद फेसला दिया। जबरदस्त फेसला है। ऐतिहासिक फेसला जिसको कहते हैं। हमारे उच्चतम न्यायालय का एक ऐतिहासिक फेसला आया। 1982 के उस मामले को लेकर।

मजदूर :

वह कौन सा है स्वामी जी?

स्वामी जी :

उसमें जो बातें खास-खास लिखीं हैं ना। वैसे फैसले का नाम तो पी०य०डी०आर० वर्सेस यूनियन आफ इंडिया एण्ड अदर्स।

मजदूर :

यूनियन ऑफ इण्डिया क्या हो जी? हमारी तरह की यूनियन?

स्वामी जी :

नहीं जी, यूनियन का मतलब हुआ भारत सरकार। यहां पर उसका मतलब हुआ, यूनियन ऑफ इण्डिया का मतलब हुआ भारत सरकार। और जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ —

मजदूर :

ये दिल्ली की सरकार जी दिल्ली की सरकार।

स्वामी जी :

हाँ, दिल्ली वाली जो बड़ी सरकार है। पार्लियामेंट और दिल्ली की जो सरकार है उसको कहेंगे यूनियन आफ इंडिया। उसके खिलाफ यह मुकदमा लड़ा गया था। और यह अपने आप में पहली बार एक नई चीज हुई, भारत में। कि मजदूरों की तरफ से कुछ लोगों ने लिखकर दे दिया कोर्ट को, और कोर्ट ने तुरंत उसको पीटिशन को दर्ज कर लिया। और तुरंत जांच करने भेजा अपने कमिश्नर को। और वो सब जगह गये, जांच की, और पता लगाया। और तो पता लगा कि ये जो बातें बतायी जा रही हैं। ये जो शिकायत की जा रही हैं। यह 100 फीसदी सच है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही। 14 साल से कम उम्र के बच्चे लगा रखे हैं, काम करने के लिये, बाल मजदूर लगा रखे हैं। अब इन सारी चीजों पर जब सुप्रीम कोर्ट ने बहस की, वकीलों की बहस हुई और ये सब प्रमाण इकट्ठे हुए। तो उन्होंने साफ बता दिया उन्होंने कि यह जो भी निमार्ण का काम होता है, पुल बने, सड़क बने, कोई भी इस प्रकार की चीज बनती है। तो उसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे। प्रवासी मजदूर के बच्चे भी काम नहीं करेंगे। क्योंकि यह खतरनाक है। इसलिये उन्होंने कहा कि यह खतरनाक है। इसलिये उन्होंने कहा कि यह बच्चे काम करते हैं, तो यह न केवल कानून का उल्लंघन है। बल्कि उस बच्चे के बुनियादी अधिकारों का भी उल्लंघन है। बुनियादी अधिकार हमारे देश के संविधान में अलग से लिखे हैं। कुछ बुनियादी अधिकार हैं जिनको कोई बड़ी से बड़ी सरकार न केंद्र की, न राज्य की सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जिसे कोई बड़ी से बड़ी सरकार भी, न आपकी केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती।

मजदूर : तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कानून बनाये हैं हमारे लिये ।

स्वामी जी : सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाये । सुप्रीम कोर्ट तो कानून को लागू करा देता है । लागू करवाने के लिये जब ये सरकारी अफसर या दूसरे ये आना—कानी करते हैं । तो उनको स्पष्ट समझाता है साफ—साफ, कि देखो कानून की किताब में जो लिखा है उसका अर्थ यह है । उसकी स्प्रिट, यह है, मतलब उसकी आत्मा ।

मजदूर : भावना जी, भावना ।

स्वामी जी : उसकी भावना यह है । अच्छा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो वह अपने आपमें एक नया कानून बन जाता है । एक तो पहले पार्लियामेंट ने, या राज्य सरकार ने कानून बनाया । उसको जब ठीक से लागू नहीं करते, सरकारी कर्मचारी या अफसर मालिक, ठेकेदार, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है । सुप्रीम कोर्ट जिस दिन फैसला दे देता है । इस तरह का कोई भी ऐतिहासिक फैसला । तो वह अपने आप में एक नया कानून मान लिया जाता है । तो इस चीज को आप लोग देखिये कि इन सब सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक, जो—जो बड़े—बड़े फैसले दिये हैं । उसके अनुसार यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं माना जा रहा है, अब भारत में । ये आपके बुनियादी अधिकारों का, मानवीय अधिकारों का, मानवाधिकार भी जिसको कहते हैं उसका उल्लंघन माना जा रहा है, और इसके लिये बहुत सख्त सजा है । और ऐसे ढंग से जो मजदूर पाये जायेंगे उनको मुक्त किया जायेगा, छुड़ाया जायेगा । उनके लिये सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि उनको फिर से बसाया जाये । अपने पैरों पर खड़ा किया जाये । ताकि वो दुबारा किसी गलत ठेकेदार के चंगुल में न फंसें, और गुलामगिरी उनको न करनी पड़े, बंधुआ मजदूरी न करनी पड़े । जानवरों की तरह से उनकी खरीद फरोख्त न हो । जैसे यह पर्ची देकर के कि इतने हजार रूपये दो तो और इस मजदूर को ले जाओ कोई भी । खरीद बेचते हैं ।

मजदूर : ऐसा ही होता है जी, पिछली बार महावीर को ही ले गये थे । हजार रूपये देकर ।

स्वामी जी : अजी हजार के पांच हजार रूपये बना लिये ब्याज लगा—लगा कर ।

स्वामी जी : ये ही सब बातें हैं । इस तरह से खरीदने—बेचने का जानवरों की तरह, पशुओं की तरह जब धंधा होता है तो इसी को बंधुआ मजदूरी कहते हैं, गुलामगिरी कहते हैं । और इसके खिलाफ उन्हें कोई अधिकार नहीं है । हर इंसान, गरीब से गरीब भी होगा मजदूर से मजदूर भी होगा, उसको एक जीने का पूरा अधिकार है । और इस इज्जत की जिन्दगी को कोई भी छीनता है । तो उसके खिलाफ संविधान और कानून की धाराएं सख्ती से लागू होंगी ।

लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, अब कह रहा हूं, और आगे भी कहूंगा कि संगठन बनाइये और संघर्ष करने के लिये तैयार रहिये । आप भूखे मरते हुए भी संघर्ष के रास्ते से विचलित न हों । इस पर जरूर चलिये । यही आपको आगे, सही मुक्ति के रास्ते तक पहुंचायेगा ।

मजदूर : लेकिन स्वामी जी आपको हमारा साथ देना होगा ।

स्वामी जी : हम तो आपके साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं, बहन जी । आप बिल्कुल न घबरायें । आप लोग अपना संगठन बनायें और मैं समझता हूं कि मजदूर असंगठित जब तक रहेगा, तब तक वह बेजुबान रहेगा । उसकी कोई आवाज नहीं होगी और जब वो संगठित होना शुरू कर देगा, धीरे—धीरे सही, पचास साल की आजादी के बाद सही । लेकिन जिस दिन संगठित होना शुरू होगा । उस दिन नया राज आयेगा, लेकिन जिस दिन संगठित होना शुरू हो जायेगा इस दिन नया सवेरा होगा । नया जमाना आयेगा । आओ साथ मिलकर उस नये जमाने के लिये एक नारा तो लगाओ — मैं कहूंगा कमाने वाला—याद है न ? आपको, कमाने वाला खायेगा, नया जमाना आयेगा, लूटने वाला जायेगा, लूटने वाला जायेगा । नया जमाना आयेगा नया, जमाना आयेगा ।

—जरूर आयेगा भाइयो, जरूर आयेगा बहन जी । आप सब संगठित हों । मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सबारीहिको नमस्ते— राम—राम ।

मजदूर : स्वामी जी, आपने तो असली दवाई बता दी संगठन की ।

गीत

फर्ज तो है, हक भी है हमारा, कहता है यह कानून हमारा,
फर्ज तो है, हक भी है हमारा, कहता है यह कानून हमारा,
चाहे हो महिला, चाहे पुरुष हो, काम मिल सकता है दोनों को,
कुँवारी हो चाहे, शादी—शुदा हो, नौकरी पर रख सकते दोनों को,
चाहे हो महिला, चाहे पुरुष हो, कहने को मन की बात है हक सबको ।
कहता ये कानून हमारा, फर्ज तो है, हक भी है हमारा—
फर्ज तो है, हक भी है हमारा कहता ये कानून हमारा, फर्ज तो है, हक भी है हमारा ।

ऐपिसोड 15 – प्रसारण तिथि 19–12–2000

विषयः अशाफाक के शहादत दिवस पर विशेष

बलिदानो से पायी है आजादी और हक

सूत्रधारः

यह अंक समर्पित है। भारत माता के उन बलिदानी कांतिकारी पुत्र-पुत्रियों को, जो देश, और देशवासियों की आजादी के लिये अपने जीवन का बलिदान कर गये। शहीद हो गये। और जान हथेली पर रख, भारत माता की बेड़ियां काटने के लिए यह गीत गाते हुए, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े।

गीत

हे आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं,
टकराते हैं जो इस ताकत से, वो मिट्टी में मिल जाते हैं।

स्वामी जी : मजदूर भाइयो और क्या हाल है।

समवेत स्वर में मजदूरः स्वामी जी, नमस्ते—नमस्ते, राम—राम, आइये।

स्वामी जी : तो बहन जी नमस्ते और सब अच्छे हैं।

मजदूरिनः हाँ जी, सब बढ़िया।

स्वामी जी : बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। इस बीच काफी और तब्दीलियां हुई हैं। हमारे मुल्क में, हमारे देश में, लेकिन मैं आज एक खास बात करना चाहता हूं, आपसे। आप जानते हैं कि आज क्या तारीख है?

मजदूर : आज 19 दिसम्बर है जी।

स्वामी जी : ये उन्नीस दिसम्बर हमारे देश के इतिहास में, ऐसा दिन है, जब एक—एक नौजवान को, मजदूर को, किसान को प्रेरणा लेनी चाहिये। बहुत बड़े कांतिकारियों की शहादत से। उन कांतिकारियों का नाम जानते हैं? जो आज के दिन शहीद हुए।

मजदूर : नहीं स्वामी जी, हमें नहीं पता। हम तो सुबह से शाम तक मजदूरी करें हैं जी, हमें क्या पता क्या चल रहा है दुनिया में।

स्वामी जी : लेकिन भगवन! ये तो कम से कम पता होना चाहिये आपको कि जिन नौजवानों ने भरी जवानी में, जवानी के सुखों को लात मारकर के, फांसी के फंदों को ऐसे चूम लिया जैसे गले का हार हों। और वो आपके लिये मरे।

मजदूर : भगत सिंह का नाम सुना है जी, हमने। अशाफाक का सुना है हमने। सुना है हमने।

स्वामी जी : तो वो जो भगत सिंह के साथ आपने अशाफाक का नाम सुना है, ना। अशाफाक उल्ला खां, इस देश का पहला मुसलमान, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते—लड़ते शहीद हुआ था, आज के दिन, 1927 में।

मजदूर : 73 साल पहले जी ।

स्वामी जी : 73 साल पहले । और उसके साथ उसके बड़े भाई की तरह, उसके दोस्त की तरह, जो बहुत ही करीबी उनके साथी थे । उनको प्रेरणा देने वाले थे अशफाक को, उनका नाम था शहीद राम प्रसाद बिस्मिल ।

मजदूर : हां सुना है जी, इनका नाम सुना हुआ है ।

मजदूर 2: हां जी, टेलीविजन में भी आता है जी उनका गाना ।

मजदूर : हां वोई, आपको याद है गाने का कोई स्वर ?

मजदूर : हां जी सरफरोशी की तमन्ना ।

स्वामी जी : हां वो इनका लिखा हुआ जो गीत है – सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है । देखना हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है । सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है । ये जो कांतिकारी गीत उन्होंने गाये कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है । तो उस समय की भावना को याद कीजिए । कि जब वो किसान मजदूर के बेटे सिर पर कफन बांधकर घरों से निकल रहेथे । तो उनके दिलों में क्या अरमान थे । क्या बलवले थे ? क्या तूफान थे ? क्यों वो चाहते थे कि गोरा अंग्रेज जाये ? क्यों चाहते थे वो ? आजादी का नक्शा उनके दिमाग में क्या था ?

मजदूर : वो देश को आजाद करवाना चाहते थे जी ।

स्वामी जी : वो तो ठीक है, लेकिन आजाद देश का कुछ नक्शा तो उनके दिमाग में रहा होगा ?

मजदूर : जी, हमारी सरकार, हम नेता बनेंगे देश के ।

मजदूरिन : हम मजदूर

स्वामी जी : नहीं, मजदूर क्या करेंगे ? मजदूरों के बारे में उन्होंने कुछ सोचा था ? आप जानती हैं, आप मजदूर हैं एक, गिट्टी तोड़ती हैं यहां पर, पत्थर तोड़ते हैं, सड़क मकान बनाते हैं ।

मजदूरिन : हमको तो बस यही पता है, हमारा तो वही दिन का रोज सुबह से शाम तक यही जीवन है ।

स्वामी जी : नहीं, आपलोगों को अपने देश के उन महान कांतिकारियों के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिये । अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं । अब देखिये बिस्मिल कहते हैं । किसानों के लिये, गरीब मजदूर खेतीहर मजदूरों के लिये उनके दिल में क्या दर्द है । वो अपनी जो कहानी लिखते हैं, जेल में मरने से पहले, फांसी के फंदे पर लटकने से तीन दिन पहले, वो क्या लिख रहे हैं । राम प्रसाद बिस्मिल ।

मजदूर : तीन दिन पहले लिखा स्वामी जी !

स्वामी जी : तीन दिन पहले लिख के, उन्होंने चुपचाप किसी के हाथों उसको बाहर भिजवा दिया ।

मजदूर : स्वामी जी मरने के पहले तो डर हो जा है इतना । हमें पता चल जाये कि इस दिन मरेंगे ...

स्वामी जी : नहीं, वो तो बहुत बहादुर नौजवान थे । और राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही ईश्वर विश्वासी था । उसके साथ ही साथ देशभक्त था और उसके दिल में गरीब किसान, मजदूर के लिये जिस प्रकार का दर्द था वो सुनो उसी की लिखी किताब

मजदूर : वो सच्चे मुसलमान थे जी अशफाक साहब ।

स्वामी जी : अशफाक एक बहुत अच्छे मुसलमान थे लेकिन बिस्मिल एक बात कहते हैं कि यदि एक किसान को जमीनदार की मजदूरी करने, या हल चलाने की नौकरी करने पर गांव में आज से 20 साल पहले दो आने रोज या चार रूपये महीना मिलते थे, तो आज भी वही वेतन बंधा चला आ रहा है । 20 साल पहले मैं अकेला था, अब उसकी स्त्री तथा चार संतान भी हैं । पर आज तक भी वहीं वेतन चल रहा है । उसी वेतन में उसे गुजारा करना पड़ता है । उसे उसी पर संतोष करना पड़ता है । सारे दिन जेठ की लू तथा धूप में गन्ने के खेत में पानी देते समय उसको रत्नाधी आने लगती है । अंधेरा होते ही ऑख से दिखाई नहीं देता, पर उसके बदले मैं आधा सेर सड़े हुए शीरे का शरबत या आधा सेर चना या छः पैसे रोज मजदूरी मिलती है, जिसमें ही उसे अपने परिवार का पेट पालना पड़ता है ।

मजदूर : बिल्कुल सही बात है जी ।

स्वामी जी : सही बात है, ना ।

मजदूर : आज भी । यही होता है, जी । इसीलिये तो हम यहां गांव छोड़कर शहर में आये हैं, काम करने के लिए । पत्थर तोड़ने

स्वामी जी : अब देखिये ये बात जब बिस्मिल ने अपनी ऑचों से देखी जब वो जंगलों में छिपते-फिरते थे । और अंग्रेजों की सी0आई0डी0 अंग्रेजों की पुलिस उनके पीछे-पीछे पकड़ने के लिए घूम रही थी । उनके साथ कई मुखबिर भी थे । जो मुखबरी भी कर देते थे । मतलब अंग्रेजों को खबर भी कर देते थे । कि वह आज यहां छिपे हैं वहां छिपे हैं । इस दौरान उन्होंने गरीबों की हालत को काफी नजदीकी से देखा ।

मजदूर : बिल्कुल एकदम सही बात लिखी भई ।

स्वामी जी : तो ये जो बात लिखी है, वो दुःख दर्द था, वो उनको फांसी के तख्ते तक ले गया । अब आगे देखिये वो कहते हैं । आगे के लिये कि देखो हिन्दुस्तान के नौजवानों हम तो जा रहे हैं ।

अपने बारे में बिस्मिल लिखता है । अच्छे शायर थे वो ।

मजदूर : अच्छा जी ।

स्वामी जी : वो बहुत अच्छी कविता करते थे, शायरी करते थे । वो जैसे ये सरफरोशी की तमन्ना अभी आपने सुनी । इसी तरीके से वो कहते हैं । आने वाले पीढ़ियों से, नौजवानों से, कि हम इस रास्ते पर क्यों गये ? क्या हमें मां-बाप प्यार नहीं करते थे । कहते हैं – नहीं, कहते हैं :—

हम भी आराम उठा सकते थे, घर पर रहकर,
 हमको भी मां-बाप ने पाला था दुःख सह-सह कर /
 वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी न आया कहकर,
 आँख से आँसू जो टपके बहकर, तिफ्ल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को

मजदूर : तिफ्ल किसे कहते हैं, स्वामी जी ।

स्वामी जी: तिफ्ल कहते हैं, छोटे बच्चे को, गोद के बच्चे को तिफ्ल कहते हैं । देखिये वो कहता है अपनी मां से, कि मां हम बहुत दूर जा रहे हैं । तुमने हमें बहुत दुःख उठा-उठाकर पाला है, बड़ा किया है । लेकिन कि आज हम तुझसे इतनी दूर जा रहे हैं, इतनी दूर-इतनी दूर जा रहे हैं कि जब तुझको हमारी मौत की खबर मिलेगी । तब हम तेरे पास नहीं आ सकेंगे, आखिरी बार मिलने के लिये । उस समय मां, तू रोयेगी, झटपटायेगी, तेरी आंख से आँसू बहकर के निकलेंगे । तेरा बेटा, तेरे जिगर का टुकड़ा, तो तेरी गोद में वापिस नहीं आयेगा, लेकिन मां, अपने आंख के आसुओं में से, एक बूँद अपनी हथेली पर रखकर के, उसे अपना तिफ्ल उसे ही अपना बेटा समझकर के जी बहला लेना ।

इतना दिल में दर्द, इतना बड़ा तूफान । और उन मजदूर और किसानों कि लिये वो हंसते-हंसते फांसी के फंदों को चूम गये । आगे वो लिखते हैं अपने देश के नौजवानों के लिये, अपनी वसीयत करके जा रहा है, रामप्रसाद । क्या कहता है ? वो कहते हैं जिसके हृदय में भारतवर्ष की सेवा के भाव उपरिथित हों या जो भारत भूमि को स्वतंत्र देखने या स्वाधीन बनाने की इच्छा रखता हो, उसे उचित है कि ग्रामीण संगठन करके कृषकों की, किसानों की दशा सुधार कर, उनके हृदय से भाग्यवाद को हटाकर उद्योगी बनने की शिक्षा दे । कल-कारखाने, रेलवे, जहाज, तथा खानों में जहां कही भी मजदूर हों, श्रमजीवी हों उनकी दशा सुधारने के लिए मजदूरों की यूनियन, श्रमजीवियों के संघ, उनकी स्थापना की जाय, ताकि उनको अपनी अवस्था का ज्ञान हो सके । और कारखाने के मालिक मनमाने अत्याचार न कर सके ।

गीतः

पगड़ी संभाल ओए— पगड़ी संभाल ओए,
 पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल ओए — पगड़ी संभाल ओए,
 तेरा लूट गया माल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा— पगड़ी संभाल जट्टा ओए,
 तू धरती की मांग सँवारें, सोए खेत जगाये— सोए खेत जगाये ।
 सारे जग का पेट भर, तू अन्नदाता कहलाये ।
 फिर क्यूं भूख तुझे खाती है — फिर क्यूं भूख तुझे खाती है ,
 और तू भूख को खाये — और तू भूख को खाये ।
 लूट गया माल ओए तेरा — लूट गया माल ओए , पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए ।

मजदूर : स्वामी जी, इस देश में तो दो किस्म की दुनिया हो गई ।

स्वामी जी : दो किस्म की दुनिया इसलिये है, मेरे भाई, क्यों कि हम असली आजादी अभी तक हासिल नहीं कर पाये हैं । और हमारे शहीदों का सपना अभी अधूरा है । आज के दिन हमें कसम खानी चाहिये और कसम आज हम अपने शब्दों में नहीं अशफाक के शब्दों में, देखो क्या सपना था, उसके दिल का । वो कहते हैं । अपनी मां को चिट्ठी लिखते हुए कहते हैं कि – मौं, मेरे दिल में एक सपना है मैं हिन्दुस्तान की ऐसी आजादी का ख्वाहिशमंद हूँ । जिसमें गरीब खुश और आराम से रहें । खुदा मेरे बाद वो दिन जल्द आये । जब छत्तर मंजिल लखनऊ में अब्दुल्ला मिस्त्री और लोको – वर्कशॉप में, धनिया चमार किसान भी और मिस्टर खलीक–उल–जम्मा और जगत नारायण मुल्ला और राजा साहब महमूदाबाद के सामने कुर्सी पर बैठे नजर पड़े ।

मजदूर : मतलब, गरीब और अमीर में कोई अंतर न हो ।

स्वामी जी : गरीब और अमीर अंतर न हो । ये हैं न बात । ये था सपना । आने वाली पीढ़ियां तिरंगे को हाथ में लेकर के लाल किले पर फहरायेंगे । और जब देश आजाद होगा तो गरीब–अमीर के बीच कोई भेद–भाव कोई फर्क नहीं होगा । उस दिन हर किसान, हर मजदूर को, औरत को मर्द के बराबर अधिकार मिलेंगे । पूरी तरह से आजादी मिलेगी । ये था उनके दिलों का सपना, और इसलिये उन्होंने ये गीत गया था, फांसी के फंदे को चूमते समय बिरिमिल कहता है : –

वतन कि आबरू का पाश देखें कौन करता है, वतन कि आबरू का पाश देखें कौन करता है ।

सुना है मक्तल में आज हमारा इस्तिहां होगा । जुदा मत न हो मेरे पहलू से ऐ दर्द–ऐ–वतन हरगिज,

न जाने बाद ए मुर्दन, मैं कहां, और तू कहां होगा ।

शहीदों की चिताओं पर, जुड़ेगे हर वर्ष मेले,

वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशां होगा,

इलाही वो भी दिन होगा, जब अपना राज देखेंगे ।

जब अपनी ही जमीं होगी, अपना आसमां होगा । ये हैं बात ।

गीतः

कोई भी दिवार, आयेगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जायेंगे ।

ऐ वतन–ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जां तक लुटा जायेंगे ।

ऐ वतन –ऐ वतन ।

ऐपिसोड 16 – प्रसारण तिथि 26–12–2000

विषय : प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिये बालवाड़ी

सूत्रधार :

इस अंक में हम लेकर आये हैं, प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए बालवाड़ी के बारे में जानकारी ।

मजदूर भाई : स्वामी जी, नमस्ते नमस्ते, आइये, आइये बैठिये पधारिये । स्वामी जी राम, स्वामी जी वणकम् ।

स्वामी जी : मजदूर भाइयो, नमस्ते ।

मजदूर : स्वामी जी बहुत उधमी बालक हैं, सारा दिन उधम उतारते रहते हैं । कभी इसको मार, कभी उसको मार, नाक में दम कर रखा है ।

स्वामी जी : अब जैसे छोटे—छोटे बच्चे हैं, वे परिवार के साथ तो आयेंगे ही आयेंगे । उनको मां या पिता उनको अपने गांव में तो छोड़कर आ नहीं सकते ।

मजदूर : स्वामी जी, ये हमारे साथ महिलायें आर्यों हैं 20–30 महिलाएं हैं । और उनके बच्चे देखो वहां खेल रहे हैं ।

स्वामी जी : हाँ, देख रहा हूं बहुत बुरा हाल है, इनका ।

मजदूर : ये ऐसे ही खेलते रहते हैं, दिनभर परसों यह गिर गया था, ट्रक से बाल—बाल बचा है ।

स्वामी जी : यह तो बहुत बुरी बात है ।

मजदूरिन: स्वामी जी हम भी बच्चों को पढ़ाना—लिखाना चाहते हैं । उनकी अच्छी परवरिश करना चाहते हैं पर मजदूर हैं ।

मजदूर: स्वामी जी, हम भी बच्चों को पढ़ा—लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं । उनकी अच्छी परवरिश करना चाहते हैं परंतु मजबूर हैं । रोजी—रोटी के लिये भटकते रहते हैं । कहीं—कहीं एक साल, कहीं छह महीने काम मिलता है । तो कहीं दो महीने । 7–8 महीने का बच्चा जब कंकड़—पत्थर पर पड़ा रोता है तो कलेजा फटता है । पर क्या करें । कौन सुनेगा हमारी ? कौन बनायेगा बालवाड़ी ?

स्वामी जी : देखिये कि इन सबके लिए कानून में व्यवस्था है । अब आप लोग मांग नहीं करेंगे । इसके लिए संगठन नहीं बनायेंगे । कोई जरा भी आवाज नहीं उठायेंगे । तो कोई थाली में आपको वैसे ही परोस कर देगा नहीं । और ये ये जो छोटे—छोटे बच्चे हैं । इन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है । इन बच्चों के लिए, यहां पर पूरी तरह से बालवाड़ी का इंतजाम होना चाहिये । ताकि वहां ये बच्चे कुछ खेलें, कुछ पढ़ें, कुछ सीखें, कोई चीज ऐसी जरूर होनी चाहिये । और जो छः साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए तो बालवाड़ी, और जो छः साल से ज्यादा के बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिये । और बीस महिलायें इनको पन्द्रह दिन के अंदर—अंदर ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिये । जैसे एक नं० पर आपको, कान खोलकर सुनना चाहिये । छोटे बच्चों के लिये एक छोटा कमरा ।

एक पालना घर, मान लीजिये उसी को पालनाघर कह दिया तो वहां बच्चे आराम कर सके। खेलते—कूदते इधर—उधर या सड़क के किनारे इस तरीके से नहीं पड़े रहें।

यदि ठेकेदार, मान लीजिये, यह सारा इंतजाम करके नहीं देता है, तो पन्द्रह दिन के अंदर—अंदर जो मुख्य मालिक है उसको यह सारा इंतजाम करके देना होगा। ठेकेदार, मालिक या दोनों मिलकर के या दोनों में से कोई एक बच्चों के लिये खिलौने भी लाकर देगा। ये बच्चे धूल मिट्टी में कंकड़—पत्थर से नहीं खेलेंगे। कुछ खिलौने उनकों दें। बच्चों के सोने के लिये खाट, चटाई, दरी वगैरह का इंतजाम करके देगा।

इन कमरों में कोई सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, हवा, सीलन आदि से बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। साफ—सुथरे कमरे जो पालनाघर बने। उनमें यह सब इन्तजाम होना चाहिये। जो कमरे हैं, उनमें ताजी हवा आये। प्रकाश आने—जाने की व्यवस्था हों। तो तब बच्चों से कोई काम नहीं करा सकेगा।

मजदूर: अजी बच्चों से तो रोज काम करा लेवे हैं।

स्वामी जी : तो बच्चों से काम कराना। ये 1986 के कानून का, जो बाल मजदूरी उल्लंघन का कानून बना हुआ है, उसका उल्लंघन माना जायेगा। और जो बच्चे हैं, और उनकी उम्र है पढ़ने—लिखने की, तो उनके लिए वहां पर बालवाड़ी जिसको कहो, या पालनाघर बने। छोटे बच्चे छः महीने के आठ महीने के या दो साल के बच्चे हैं, उनके लिए वहां पर।

मजदूर : पिछली बार जहां काम करा था, हमने, वहां थी जी।

मजदूरिन : उसकी बहुत जरूरत है।

मजदूर : कनाट प्लेस में था वो।

स्वामी जी : सब जगह होती नहीं है, कोई—कोई कर देता है। लेकिन आप लोगों को यह ध्यान रखना है, इसकी मांग करनी है, कि छोटे बच्चों के लिए इस प्रकार पालनाघर जरूर होना चाहिये। और वो बच्चे, यूँ इसी तरह ही धूल पत्थर में नहीं पड़े रहें।

मजदूर : देखो, लीला की छोरी चम्पा, देखो जी वहां खेल रही है।

स्वामी जी : अब बात यह है कि बच्चा जो होगा, तो वो अब थोड़ी देर में रोयेगा, दूध के लिये तो कुछ उसका मन बहलाये रखने के लिये, बिस्कुट या टाफी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें। कुछ न कुछ बच्चे को चाहिए, वहां। खिलौने भी दें, ताकि बच्चा खेलता रहे।

मजदूर : अच्छा तो खिलौने भी देंगे स्वामी जी!

स्वामी जी : तो खिलौने भी देंगे, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, पालनाघर उसको कुछ भी कह लो। वहां पर उसे बच्चे को बहला फुसलाकर वह रखेगा। मां काम करती रहेगी। बीच—बीच में उसको दूध पिलाना है, तो आकर दूध पिला जायेगी, फिर काम करेगी। फिर शाम को जब उसका काम पूरा।

मजदूर : यदि स्वामी जी बच्चे को वहां पर नींद आ गई तो?

स्वामी जी : तो वहां उसके लिये थोड़ा अच्छा इंतजाम होना चाहिये । ताकि बच्चा सो सके आराम से, मच्छर से, गर्भी से परेशान ना हो, ये जब चीजें इसी कानून में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि ऐसी बालवाड़ी का इंतजाम वहां पर करना पड़ेगा । थोड़ी उम्र ज्यादा है मान लो बच्चे की, पांच—साल छः साल का है और उसकी उम्र पढ़ने—लिखने की है और वहां पर उस पुल पर, या सड़क पर 30—40 ऐसे प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं । अलग—अलग प्रांत के ही हैं, चाहे । उनके लिये एक तम्बू डालकर बढ़िया सा, उनके लिये एक मास्टर रखकरके, उनकी पढ़ाई का इंतजाम करना होगा ।

गीत :

शिक्षा की रेल चली जाये रे, शिक्षा की रेल चली जाये रे, हे—हो
शिक्षा की रेल चली जाये रे, शिक्षा की रेल चली जाये रे ।
ऐसे वाले छोरे भीतर घुस ही गये, गरीबों के बच्चे देखो कौसे बाहर हो रहे,
ऐसे वाले छोरे भीतर घुस ही गये, गरीबों के बच्चे देखो कौसे बाहर हो रहे,
परछे छोरी चढ़ जाये कभी उत्तर—उत्तर आये,
शिक्षा की रेल चली जाये रे, शिक्षा की रेल चली जाये रे,
कितने सारे स्टेशन आते, जब रुक जाती गाड़ी,
कभी ऐसा, कभी बीच में आ जाती है शादी ।
कितने सारे स्टेशन आते, जब रुक जाती गाड़ी,
कभी ऐसा, कभी बीच में आ जाती है शादी ।
कित छोरी चढ़ जाये, पीछे नीचे उत्तर आये ।
शिक्षा की रेल चली जाये रे, शिक्षा की रेल चली जाये रे ।

सूत्रधार : याद रखिये आपके बच्चों की शिक्षा की रेलगाड़ी रुकनी नहीं चाहिये । कानून का लाभ उठाइये । बालवाड़ी की मांग कीजिए ।

मजदूर : मालिक यूं कहे हैं जी कि पढ़—लिखकर क्या करेंगे बच्चे ऐसे ही दहाड़ी करनी है तुमने भी ।

स्वामी जी : नहीं, क्यों करनी है । मालिक भी बन सकते हैं ये बच्चे, कल को । ठीक है ना, ये बच्चे डाक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं । देश के नेता बन सकते हैं ।

मजदूर : अजी कहां है कानून हमारे लिये ? हमें तो यही पत्थर ढोने हैं ।

स्वामी जी : नहीं, नहीं, इसीलिये, तो आप लोगों को निराश नहीं होना है । कानून में सारी बातें आपके लिये लिखी हुई हैं । बच्चों को पढ़ाने के लिये, सब व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिये, कोई चोट लग जाये, फर्स्ट एड का वहां पर इंतजाम होगा । यदि ये सब चीजें नहीं होती । यूं तो ये बातें लगती हैं बड़ी मामूली, छोटी—छोटी बातें और आप इनको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं ।

यह मजदूर वाणी का प्रोग्राम आ रहा है उसको ध्यान से सुनो , सुनकर इसपर आपस में बातचीत करो | कि यह जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हमें कानून की बात, क्या यह केवल भाषण देने के लिये है ? या इससे हमारी जिन्दगी में कुछ बदलाव भी आ सकता है ? यदि बदलाव आ सकता है, तो क्यों ना लाया जाये ? क्यों न मिलकरके कोई संगठन बनायें ? क्यों न हम अपने अफसरों से बात करें ? सरकार ने हमारे लिये अफसर बना रखे हैं , आखिर उनको जो तनख्वाह मिल रही है | वह इसी बात के लिये मिल रही है, कि वो हमारी देखभाल करें | और सरकार में भी सबलोग बुरे नहीं होते | सरकार में, कुछ तो अच्छे अफसर आपको मिलेंगे ही | जो आपकी मदद करेंगे | ठेकेदार भी कोई सारे बुरे नहीं होते | आप पड़ गये होंगे किसी गलत ठेकेदार के चंगुल में | तब वह आपको तंग भी कर सकता है | लेकिन तंग होने से परेशान होने की जरूरत नहीं है | मजबूती से लड़ने की जरूरत है | और एक—दो मजदूर, चार—दस मजदूर यदि इकट्ठे हो गये | तो आप देखेंगे कि एक दूसरे को देखकर ताकत मिलती है | और ये नहीं सोचना चाहिये, कि दूसरा मजदूर परेशान हो रहा है, तो मैं क्या करूँ ? नहीं , आज आप परेशान हैं, और वो तमाशा देखे | और कल वो परेशान हो और आप तमाशा देखो, ये नहीं | यूनियन का और संगठन का मतलब ही यह हुआ सीधे—सीधे, कि हम सब एक परिवार, एक बिरादरी है | हम सब घर से दूर राज्य में, आये हुए मजदूर हैं | इसलिये हमें कानून की मदद तो बाद में मिलेगी, पहले हम एक—दूसरे की मदद करना सीखें | एक—दूसरे के सुख—दुःख में शामिल हों | ये भाईचारा क्या होता है ? यहीं तो है भाईचारा | हम सब परमात्मा की संतान हैं | हम सब, एक ईश्वर को मानने वाले हैं | तो हमारे साथ एक ये भी रिश्ता जुड़ना चाहिये | कि हममें कोई बिहारी है, कोई उडिया है, कोई राजस्थानी है, कोई किसी जात का है, कोई किसी मजहब को मानता है, कोई हिन्दू है, कोई मुसलमान है | ये सब चीज नहीं | अलग—अलग करने वाली चीजें नहीं | वो एक जोड़ने वाली जो बातें हैं | कि हम मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करके अपनी दालरोटी कमा रहे हैं | हमसे ज्यादा पवित्र, हम से ज्यादा धार्मिक कोई नहीं हो सकता | ओर ये विश्वास लेकर के कि असली धर्म के ऊपर हम चल रहे हैं | हम इस देश को बना रहे हैं, हम निर्माण कर रहे हैं | हम निर्माण मजदूर हैं | हममें से कोई मकान बना रहा है, कोई सड़क कोई पुल, कुछ न कुछ निर्माण कर रहे हैं | आप से बड़ा कौन देशभक्त हो सकता है ?

ते ये अहसास, अपने दिलों में जगाइये आप लोग और संगठित होकर के चलिये मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा | और सारी तकलीफें आपकी दूर होंगी | और मैं समझता हूँ | मजदूर जब तक असंगठित रहेगा | वो बेजुबान रहेगा उसकी कोई आवाज नहीं होगी |

जब वो संगठित होना शुरू कर देगा धीरे—धीरे सही, पचास साल की आजादी के बाद सही लेकिन जिस दिन संगठित होना शुरू होगा उस दिन इस देश में नया सवेरा होगा, नया राज आयेगा, नया जमाना आयेगा । आओ मेरे साथ मिलकर उस नये जमाने के लिये एक नारा तो लगाओ मैं कहूँगा —

कमाने वाला—याद है ना आपको
कमाने वाला—खायेगा, लूटने वाला जायेगा—जायेगा । नया जमाना आयेगा । और जरूर आयेगा भाईयों, जरूर आयेगा । बहन जी, सब संगठित होओ, मेरी सबको बहुत हार्दिक शुभ कामनाएं — सबको राम—राम

याद रखें

किसी भी कार्य स्थल पर, 'जहां 20 या उससे अधिक औरतें काम करती हैं' । और काम तीन महीने से अधिक चलने वाला है । वहां मजदूरों के छह साल से छोटे बच्चों के लिये बालवाड़ी खोलना ठेकेदार और मालिक की जिम्मेदारी है ।

जिस दिन भी कार्यस्थल पर 20 या उससे अधिक औरतें काम शुरू करें । उसके 15 दिन के अंदर—अंदर बालवाड़ी खुलनी चाहिये । ठेकेदार के ऐसा न करने पर मालिक को बालवाड़ी खोलनी होगी । अगले 15 दिन की मोहलत कानून में मिली इस तरह किसी भी हालत में एक महीने के अंदर—अंदर बालवाड़ी खुल जानी चाहिये ।

बालवाड़ी के लिये उचित आकार के दो अच्छे कमरे—एक बच्चों के खेलने के लिये । दूसरा—आराम के लिये होने चाहिये ।

ऐपिसोड 17 – प्रसारण तिथि 2–1–2001

विषय – प्रवासी मजदूर : प्रवासी मजदूरों की मजदूरी से सम्बंधित जानकारी

सूत्रधार :

इस अंक में लेकर आये हैं प्रवासी मजदूरों की मजदूरी से सम्बंधित जानकारी (संगीत)

मजदूर : नमस्ते स्वामी जी, राम—राम स्वामी जी वणकम्

स्वामी जी : राम—राम जी भाई सब लोगों को ।

तो आप जिस कोटि के मजदूर हैं, अर्थात् सबसे नीचे के, आपसे नीचे, आपसे ज्यादा गरीब, आपसे ज्यादा असंगठित कोई नहीं है मजदूर इस समय देश के अंदर ! आप एक प्रांत से उज़झकर दूसरे प्रांत में आये हैं । यहां आपकी भाषा जानने वाला कोई नहीं होगा । यहां आपकी रिश्तेदारी नहीं होगी । आप सोचेंगे कि आप तो परदेश में आ गये । अब परदेश का क्या सवाल पूरा देश आपका है । पूरा का पूरा भारत काश्मीर से कन्याकुमारी तक, आपको जरा नहीं घबराना चाहिये । भारत का कानून पार्लियामेंट का कानून हर नागरिक के लिये समान रूप से लागू होगा ।

गीत

गरीब हमारी जिन्दगी, हम मेहनतकश मजदूर

हम मेहनतकश मजदूर, हैं इतने क्यों मजबूर

गरीब हमारी जिन्दगी हम मेहनतकश मजदूर

मजदूर : स्वामी जी मुझे इस कंस्ट्रक्शन साईट पर काम करते हुए चार महीने हो गये हैं ठेकेदार न अभी तक मेरी मजदूरी का भुगतान नहीं किया है । केवल दो टाईम खाना देता है और वो भी लंगर से ।

स्वामी जी : अरे भई वाह । आपको इतनी बार समझा लिया । एक—एक चीज समझानी पड़ रही है । लोकिन अच्छा है । आपको पूछना भी चाहिये और मैं समझूँगा भी । आपको । और देखो अभी—अभी आपको बताया था मैंने कि दुर्घटना हो जाये तो रिश्तेदारों को खबर की जाये, ये और सारी बातें । अब जैसे मजदूरी है तो यह नहीं हो सकता कि वो आपको दो टाईम खाना देता रहे, लेगर से दे या कहीं से भी दे । ऐसा नहीं होगा । आपके लिये या तो वो तय करेगा कि मैं रोज की शाम की मजदूरी रोज शाम को दे दूँगा या पन्द्रहवीं को दूँगा या महीने को दूँगा । इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है । रोज का हो, या हफ्ते—हफ्ते का हो, पन्द्रहवीं का हो या महीने का हो । उस समय पर जो भी तय किया है । आपसे वो पूरा नकद पैसा जो मजदूरी का बनता है उसमें कोई कटौती वो नहीं कर सकता । वो पूरा पैसा आपको देगा ।

यदि ठेकेदार ऐसा ना करे तो मालिक की जिम्मेदारी है कि वो पूरा दिलवाये और उसकी पूरी जिम्मेदारी ले वो । यदि वो नहीं दिलवाते हैं तो ये एक गेर कानूनी काम होग और

इसके लिये मालिकां के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। कानून तो बहुत साफ—साफ लिखता है इसमें जरा भी कोई ना कोई नुनच नहीं है कि भुगतान होगा, पैसा कब दिया जायेगा। यह पाक्षिक, कि मासिक और किसी भी सूरत में, महीने के अंदर—अंदर ये सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। महीने से ज्यादा वो कहे, जी मैं तो महीने बाद या छः महीने बाद जब तुम घर जाने लगोगे, तब मैं भुगतान करूंगा या फिर हिसाब करूंगा ये कहने का अधिकार किसी ठेकेदार या किसी मालिक को नहीं है।

महीने के आधार पर यदि आपको जैसे तन्खाह होती है और मजदूरों की संख्या टोटल मिलाकर मानलो जितने आप काम कर रहे हैं। यहां तो आप थोड़े हैं और एक हजार से कम हैं। एक हजार से कम मजदूर जहां भी काम करेंगे। ऐसे लोगों की महीने वाली, मजदूरी भुगतान की जो पद्धति है। वो अगले महीने की सात तारीख से पहले—पहले हो जाना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा अगले महीने की सात तारीख को वो दे देगा। पिछले महीने की पूरी तन्खाह या जो भी मजदूरी है और यदि एक हजार से ज्यादा है, मजदूर मान लीजिये वो सात तारीख के बाद एक—दो दिन और लगा सकता है। दस तारीख तक उसको जरूर—जरूर पेमेंट कर देनी पड़ेगी। दस तारीख के बाद यानि अगले महीने की दस तारीख के बाद भी, यदि वो पेमेंट करने का झंझट करेगा। तो फिर मुसीबत में पड़ेगा वो। और यदि मजदूर को काम से हआ दिया गया तो जिस दिन से भी काम से हटाया। आज माल लीजिये आपको हटाया, दो दिन के अंदर आपका हिसाब किताब करके आपके हाथ में जितनी आपकी मजदूरी या जो भी हक आपका बनता है।

मान लीजिये पांच सौ बना, हजार बना, दस हजार बना वो आपको, दो दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा, उसको। और यदि मजदूरी का सारा भुगतान नियत तारीख को, और जो समय पर करने के लिये कहा गया है, यदि नहीं करेगा। जगह पर जहां पर आप काम करते हैं यदि वहीं पर नहीं करेगा। तो वह झंझट में पड़ेगा तो कानून में उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

और यदि निर्धारित समय से पहले ही काम खत्म हो गया। और काम खत्म होने के अड़तालीस घंटे के अंदर—अंदर, यदि आपको पूरी मजदूरी का वेतन, बकाया, जितना भी हिसाब—किताब है यदि वो नहीं करता। अड़तालीस घंटे के अंदर—अंदर आपका पूरी बकाया का भुगतान नहीं करता तो भी, ऐसा ठेकेदार, ऐसा मालिक कानून के शिकंजे में फँसेगा।

और ये देखो, आप लोगों के लिये खाली मजदूरी का रेट—वेट इतनी ही बातें नहीं हैं जो स्वास्थ्य वगैरह भी है, मान लो आप बीमार वगैरह पड़ जाते हैं तो ईलाज करवाने के लिये और ईलाज की बात क्या है। ये अंतर—राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम। 1979 में जब

बनाया गया तो इसमें जबरदस्त बातें लिखी गईं । इसमें तो यहां तक लिखा है कि मान लो आप अपने इलाके से उठकर आ गये । उड़ीसा से आये हैं, तो उड़ीसा में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती । अब आपको हिमाचल में, जम्मू में, काश्मीर में काम पर लगा दिया किसी ठेकेदार ने ।

मजदूर : हां जी ! पिछली बार ले गये थे मुझे कश्मीर में, वहां पर एक बांध बन रहा था, । पैर जम गये, पूरे लगने लगे थे ।

स्वामी जी : वहां तो बर्फ पड़ती है बर्फ ।

मजदूर : हमारे देश में तो बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती है । यहां तो बहुत ठंड पड़ती है ।

स्वामी जी : आप तो दक्षिण भारत से लगती हैं, बहन जी । यहां तो बहुत ठंड पड़ती है । अब दिल्ली-दिल्ली में ही देखिये, तो कानून में साफ लिखा है कि 18 डिग्री से कम, जिस दिन तापमान हो जाये । जहां जिस इलाके में तो वहां पर ठेकेदार को, मालिक को आपको गर्म कपड़े देने पड़ेंगे ।

मजदूर : अच्छा स्वामी जी, गर्म कपड़े ।

स्वामी जी : हां गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े देने पड़ेंगे ।

मजदूर : हमें तो आज तक किसी ने दिये नहीं ।

स्वामी जी : अब देखिये ठंड आप बरदाश्त कर नहीं सकते । इतनी ठंड पड़ती है दिल्ली में । और आगे हिमाचल ओर काश्मीर की तो बात ही छोड़ दो । कैसे आदमी जिन्दा रहेगा वहां पर । इस सबके लिये कानून में साफ लिखा है कि इतनी डिग्री से कम होगा टम्परेचर तापमान तो ये गर्म कपड़े भी देने पड़ेंगे ।

और मान लो किसी खदान में आपको काम करने के लिये कह रहे हैं या कहं ईट ढोना है या कहीं कुछ करना है तो उसके हिसाब से कहीं हेलमेट देना होगा, बूट देना पड़ेगा । धूल का अंदेशा है मान लो, तो कोई ऐसा काम होता है न जैसे केशर वगैरह के ऊपर ठेकेदार न लगा दिया ।

मजदूर : हां जी बहुत खांसी उठे हैं जी, बड़ी धूल होने बड़ी खांसी उठे हैं ।

स्वामी जी : तो ना केवल वो आपको गुड़ दे, साथ में ये वो बहुत सी चीजें वो आपको ये जो नाक के ऊपर लगाने का होता है ।

मजदूर : मुंह छीका सा जी ?

स्वामी जी : हां, वो एक ऐसा, मास्क बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में, लेकिन वो ऐसा देंगे । जिससे सांस तो आप लेते रहेंगे । लेकिन धूल के कण उसमें नहीं जायेंगे । आपकी कलेजे में । वो सब भी आपको देना पड़ेगा । आप अपने घर से तो लेकर के नहीं आ सकते । क्योंकि घर में या गांव में या उस इलाके में तो इतनी ठंड पड़ती नहीं । तो आपको ये सब चीजें देने की जिम्मेदारी ठेकेदार की हो जाती है ।

- मजदूर :** स्वामी जी, ये बातें तो आप बहुत अच्छी अच्छी बता रहे हैं कि कानून में ये लिखा है संविधान में ये लिखा है | पर हम गरीब मजदूरों की जिन्दगी क्यों नहीं सुधरती ? कौन लागू करेगा इन कानूनों को ?
- स्वामी जी :** केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी भी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो इंस्पेक्टर लगाये | इंस्पेक्टर लगाकर के बार—बार खुद वो इंस्पेक्टर घूमते रहें, देखते रहें कि ये सब कानून लागू हो रहे हैं कि नहीं |
- मजदूर :** लोकिन पिछली बार ठेकेदार मुझे हिमाचल प्रदेश में काम करवाने के लिये ले गया था | मेरी मजदूरी का पूरा भुगतान किया नहीं और गायब हो गया | आजतक कोई मजदूरी मुझे वहां से मिली नहीं हैं | अब किस से लूँ मजदूरी ?
- स्वामी जी :** भई आपका काम पूरा होने के साथ ही, आपके सभी बकायों का भुगतान हो जाना चाहिये | परन्तु किन्हीं कारणों से ठेकेदार एक निश्चित समय पर आपकी मजदूरी और अन्य जितना बकाया है वो भुगतान नहीं करता है | तो मजदूर के बकाया पूरे पैसे का भुगतान करना, प्रोजेक्ट मुख्य मालिक की जिम्मेदारी है | जो भी प्रमुख मालिक होता है उसकी जिम्मेदारी है |
- उदाहरण के लिये अब आप ये बताइये कि हिमाचल में आपने कहां काम किया था |
- मजदूर :** स्वामी जी हिमाचल में, एक होटल बन रहा था बहुत बड़ा उस पर मैंने काम किया था |
- स्वामी जी :** अब उस होटल के मालिक की यह जिम्मेदारी है कि वो आपके बकाया जितने पैसे हैं उनका पूरा—पूरा भुगतान करे और मान लो उसने किसी ठेकेदार को ये पूरा काम करने के लिये दे रखा था | अब आप पहले सुनो थोड़ी मेरी बात समझों, इसको और वो ठेकेदार भुगतान नहीं कर रहा है तो वो मालिक पहले आपको पूरा पेमेंट करेगा और फिर अपने ठेकेदार से वो वसूल कर सकता है |
- मजदूर :** स्वामी जी, मालिक कह सकता है कि उसे नहीं मालूम कि ठेकेदार ने तुम्हारी मजदूरी का भुगतान किया या नहीं मैं नहीं जानता !
- स्वामी जी :** भगवन ! ऐसा हो नहीं सकत, ये कानून को आप अच्छी तरह समझने की कोशिश करो | मैं बार—बार ये बात समझा रहा हूं कि दो तरीके के लोग हैं | एक है असली मालिक एक है उसका ठेकेदार | ये जो असली मालिक हैं | ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने एक आदमी की यह ड्यूटी लगाये, जोक ठेकेदार द्वारा मजदूरों के भुगतान के समय | वहां पर रहे | सामने रहे | इस आदमी की यह जिम्मेदारी होगी ड्यूटी होगी कि वो देखे कि मजदूरी का पूरा, सही भुगतान हो रहा है या नहीं हो रहा और इसके लिये, उसे एक तरह से तस्दीक करनी पड़ेगी कि मतलब उसको इसकी जांच करके बताना पड़ेगा कि हां ये मैं पुष्ट करता हूं | ये मैं तस्दीक करता हूं कि इसको पूरी मजदूरी दी गई | और वो ठेकेदार को भी यह जिम्मेदारी होगी कि वो मालिक के जो प्रतिनिधि होंगे | या उसका जो भी

रिप्रजेंटिटिव होगा । उसके सामने मजदूरी का भुगतान करे तो इस प्रकार कानून द्वारा सरकार ने ठेकेदार और मालिक दोनों को, बात अच्छी तरह सुनों । दोनों को ठेकेदार अकेला नहीं, ठेकेदार और मालिक दोनों को मजदूरी के सही भुगतान की जिम्मेदारी सौंपी है । अब इसमें यदि कहीं भी कोई कोताही होती है । मजदूर को उचित समय पर मजदूरी नहीं मिलती तो अन्तिम तौर पर आखरी से आखरी जो जिम्मेदारी होगी वो जो बड़ा मालिक है । असली मालिक है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं । प्रिंसीपल एक्प्लॉयर मतलब मुख्य जो मालिक है । उसकी जिम्मेदारी होगी, मजदूरी के पूरे भुगतान के लिये । ये सारी बातें हैं लेकिन संगठन संगठन संगठन, बार—बार, बार—बार में ये दोहराना चाहता हूं कि संगठन बनेगा तो संघर्ष करोगे तो थोड़ा बहुत तकलीफ भी उठानी पड़ती है न्याय पाने के लिये संघर्ष तो करना पड़ता है । भाई देखो तकलीफ होगी एक को होगी, दो को होगी । शुरू—शुरू में जो लोग लड़ेंगे उनको भुगतान पड़ेगा । बाकी जो फिर बाद में चलने वाले होंगे । उनके लिये रास्ता साफ हो जायेगा ।

गीत

ले मशाले चल पड़ी मजदूर बहने देखिये — ले मशाले चल पड़ी मजदूर बहने देखिये—

अब अंधेरा जीत लेंगी, मिलकर बहने देखिये ।

याद रखिये

मजदूरी नकद मिलनी चाहिये । इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिये ।

महीने में कम से कम एक बार मजदूरी का भुगतान जरूर होना चाहिये ।

मजदूरी के नियमित भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की है ।

मजदूरी के भुगतान के समय, मालिक के किसी प्रतिनिधि को होना चाहिये ।

मजदूरी में से ठेकेदार कमीशन नहीं काट सकता

आपके कोई सवाल हैं तो जरूर लिखिये ।

ऐपिसोड 18 – प्रसारण तिथि 9–1–2001

विषय : बंधन टूट गये : मध्य प्रदेश के गंज बसौदा से बंधुआ मजदूर मुक्त

सूत्रधार

आज चारों तरफ खुशनुमा माहौल है। और क्यों ना हो। नया साल, नई आशाएं, नया उत्साह लेकर आया है। लोकतंत्र के त्यौहार – गणतन्त्र दिवस की तैयारियाँ धूम-धाम से चल रही हैं। मजदूरवाणी सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों के लिये भी एक खुशी की खबर है। हाल ही में, बंधुआ मुकित मोर्चा के प्रयासों से मध्य प्रदेश के गंज बसौदा से, 200 से भी अधिक बंधुआ मजदूर मुक्त कराये गये हैं। तो हैं ना, ये नाचने गाने की बात, मंगल त्यौहार मनाने की बात।

गीत :

आओ नाचो – नाचो गाओ, नाचो, धूम मचाओ, नाचो।

नाचो – नाचो गाओ, नाचो, धूम मचाओ, नाचो।

आया मंगल त्यौहार, लेकर खुशियाँ हजार।

नाचो गाओ – नाचो गाओ, धूम मचाओ।

इन खुशियों को मनाने में महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया है – बंधुआ मुकित मोर्चा के कार्यकर्त्ता काशीराम ने, जो साल डेढ़ साल पहले तक खुद एक बंधुआ मजदूर थे। उन्हीं की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जबानी : –

काशीराम : हम भी बंधुआ मजदूर थे, हरियाणा में दिल्ली के बहुत आगे है वो, और भिवानी जिला है। कपूरी पहाड़ी में हम बंधुआ मजदूर थे। महा सिंह ठेकेदार के पास। वहां पे हमने रिपोर्ट की। स्वामी जी ने छापे देकर हमको पुलिस द्वारा निकाले। दिल्ली लाये, दिल्ली लाकर 15–20 दिन बिड़ला मंदिर में हमको राखे, उन्होंने खाना पीना सब कुछ पूरी व्यवस्था की फिर यहां गुना जिले से दो बस ना एक बस मंगवाई। बस आई फिर दिल्ली से एक आदमी रवाना करा, गुना कलैक्टर के पास हमको पहुंचाया। फिर उन्होंने हमें दस–दस बीघा जमीन दिलवाई घर मकान बनवाये पूरी व्यवस्था की हमारी।

स्वामी जी : ये जो काशीराम जो एक खुद बंधुआ मजदूर था। एक बंधुआ मजदूर उठा, जो अपनी आजादी के लिये छटपटाया। और छटपटाते हुए उसने कुछ जानकारी हमें दी, हमारे दफ्तर में आकर।

मजदूर : वो खुद बंधुआ मजदूर था जी?

स्वामी जी : वो खुद बंधुआ मजदूर था। वो खुद पत्थर तोड़ता था। वो एक सहरिया आदिवासी जो हमारी बिरादरी होती है, उसका एक सदस्य। और उसकी पत्नी भी, और उसके परिवार के लोग, और उसके गाँव के लोग सब बंधुआ बनाकर रखे गये थे। तो वो सब लोग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से बंधुआ चल रहे थे। उनको जब आजादी मिली, और उनको कुछ जमीन

मिली गुना है मध्य प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री जी का, अपना इलाका भी है दिग्विजय सिंह जी का । वहां उन लोगों को जमीन मिली और वो लोग बसाये गये । बड़ी मुश्किल से बड़ा संघर्ष करना पड़ा ।

मजदूर : सचमुच में जमीन मिली है जी !

स्वामी जी : जमीन मिली है, सचमुच में मिली है । और लोगों को आश्चर्य होता है कि बंधुआ मजदूर कई बार वैसे ही रिहा करके भगा दिये जाते हैं । लेकिन इन लोगों को प्रत्येक को पांच—पांच एकड़ जमीन मिली । रहने के लिए एक—एक मकान ।

मजदूर : पांच—पांच एकड़ !

मजदूर 2 : ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जी ।

स्वामी जी : और उसके बाद, उनको वहां पर मकान बनाकर दिया सरकार ने । और उनके आजकल आप जाकर देखेंगे, तो बच्चे घरों में खेल रहे हैं, या स्कूल में पढ़ रहे हैं । एक नई जिन्दगी उन्होंने शुरू की, जिसको सही मानने में आजादी कहा जाये, उनकी जिन्दगी में तो अब आया है ।

मजदूर : सही कह रहे हैं जी ।

स्वामी जी : एक साल के अंदर पहली बार उन्होंने आजादी क्या होती है । उसको देखा है । समझा है, जाना है । लेकिन उससे भी बड़ी बात हुई, और वह यह कि आज काशीराम जैसा नौजवान, जो बंधुआ मजदूर था खुद । वो वहीं पर चुप नहीं बैठा । वो फिर धूमने लगा, मजदूर के भेष में इधर—उधर धूमते—धूमते मजदूरों का पता लगाकर के, हमारे पास खबरें देता रहा ।

मजदूर : आखिर ये सब क्यों करता है काशीराम !

सूत्रधार : उन्हीं से सुनते हैं कि क्यों करते हैं यह सब ।

काशीराम : स्वामी जी से मिलकर मेरे मन में ऐसी लगी कि चाहे अपन बंधुआ मजदूर थे । अपन अब खुले हैं तो मैंने कहीं यहां पर भोपाल है, विदिशा है, इन्दौर है, रतलाम है, इन सब जगहों में जाकर झांसी, ग्वालियर, भिंड इन सब जगहों में जाकर ट्राई करूंगा । हाथ पैर हैं हीं सही सलामत । जहां भी जाऊंगा, काम करूंगा । इअगर ऐसे बंधुआ मजदूर मुझे कहीं मिलेंगे, तो मैंने कई उनके नाम वाम लिखकर स्वामी जी से मिलकर, उनको मुक्त करवाऊंगा । क्योंकि बंधुआ मजदूर पिताजी था मेरा ।

स्वामी जी : हां उसके अन्दर एक भावना हुई कि भई मैं तो आजाद हो गया । भई दूसरों को भी आजाद करवाऊं । तो दूसरों के बारे में भी जानकारी इकट्ठी करके, बंधुआ मुक्ति मोर्चा के दफ्तर तक पहुंचाऊं । तो वो लगातार धूमता रहता है । राजस्थान के कोटा से उसने पता लगाया । कोटा एक जिला है, वहां की पत्थर खदानों में बंधुआ मजदूर थे । जब उनकी जानकारी हमें मिली । तो हमने अपना जो राजस्थान में दफ्तर बनाया हुआ है । जहां

राजेश याज्ञिक जी अलवर में बंधुआ मुक्ति मोर्चा चला रहे हैं । उन तक खबर भेजी । और उन्होंने जाकर के, कोटा के एस0डी0एम0, डी0एम0 की मदद से उन तमाम् मजदूरों को न केवल रिहा करवाया, बल्कि उनका भी बहुत अच्छा पुनर्वास करवाया । अब हाल में देखिये वो जो नौजवान है काशीराम वो घूमते—घूमते पहुंच गया म0प्र0 । तो गंज बसौदा की पथर खदानों में हजारों की संख्या में बंधुआ मजदूर पड़े हुए हैं तड़प रहे हैं और छटपटा रहे हैं ।

मजदूर :

हजारों की संख्या में बंधुआ मजदूर आज की तारीख में !

स्वामी जी :

हजारों की संख्या में तो क्या, हमारे देश को यदि आप पूरा देखेंगे, तो लाखों की संख्या में क्या, करोड़ों की संख्या में हैं बंधुआ मजदूर आज की तारीख में ।

मजदूर 2:

आज की तारीख में !

स्वामी जी :

आज की तारीख में, यह गणतंत्र दिवस हम जरूर मनाने जा रहे हैं, समझ रहे हो 51वां । लोकिन यदि ईमानदारी से, कानून की नजर से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नजर से देखा जाये तो आज भी हमारे देश में करोड़ों—करोड़ों मजदूर आजादी से दूर, बहुत दूर बंधुआ मजदूरी की लानत झेल रहे हैं । गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं । उनकी जिंदगी में कोई सवेरा, कोई उजाला, कोई इस प्रकार की चीज नहीं आयी है, जिसको हम कह सकें कि वो आजाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं ।

तो इस लड़ाई को लड़ने के लिये जब वो नौजवान वहां पर पहुंचा गंज बसौदा की पथर खदानों में । वहां उसने देखा कि यहां हजारों मजदूर उसी तरह से झटपटा रहे हैं । तो वो एक दो साथी, राम प्रसाद वगैरह को लेकर, हमारे पास दफ्तर में आया ।

मजदूर :

अच्छा जी !

स्वामी जी :

आकर के, जब उसने सारी बाते बताई । तो रोंगटे खड़े हो गये हमारे सुनकर के, कि हाय, इतना जुल्म हो रहा है । तो हम लोगों ने तुरंत बंधुआ मजदूरों की लिस्ट बनाई और उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दिया ।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस समय पूरी तत्परता के साथ, तेजी के साथ, पूरे देश में बंधुआ मजदूरों की पहचान, उनकी मुक्ति, उनके पुनर्वास ये सारे काम को अपने हाथ में लिये हुए हैं । जस्टिस जे0एस0 वर्मा, जो पहले हमारे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे । उन्होंने पूरा एक कमेटी का नया गठन किया है । केवल बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिये, वो पूरा अलग से एक कमेटी बना रहे हैं । और उसमें हमारे एक साथी विवेक पंडित हैं । तो मानवाधिकार आयोग की उस कमेटी की बैठक में, जब मैंने चर्चा की कि इस प्रकार से गंज बसौदा की रिपोर्ट हमने बनाकर के दी हैं, मानवाधिकार आयोग को । और पूरी तरह से अभी सब लोग नहीं छूटे हैं । पता नहीं लग पाया कि क्या हुआ ? तो विवेक पंडित जी ने कहा कि नहीं, आप केवल इन अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहिये । हम

खुद चलते हैं, वहां। उन्होंने अपने एक सहयोगी बहन परमिता दास को फोन किया तत्काल। वो तुरंत वहां पर पहुंचीं। हमारे मजदूर साथी काशीराम की मदद से, वो वहां खदानों में गई। और जाकर के जो उन्होंने हालत देखी और एक-एक करके बंधुआ मजदूरों के सवाल पर उन्होंने अदालत में जाकर, भरी अदालत में जाकर के, धुस करके, उन्होंने आवाज लगाई कि यहां क्या हो रहा है? अदालत की कुर्सियों पर बैठे हुए लोग क्यों नहीं देखते हैं कि बाहर मजदूरों की हालत कितनी खराब है? तो एस0डी0एम0 बाहर निकले, दूसरे अधिकारी बाहर निकले, तहसीलदार को भेजा सारे मजदूरों का पता लगाया। और देखते-देखते रातोंरात, दो सौ से ज्यादा बंधुआ मजदूर औरत, आदमी, बच्चे वो सारे के सारे रिहा किये गये।

मजदूर :

गौरमेट तो यू कहे हैं कि कोई बंधुआ मजदूर ही नहीं है।

स्वामी जी :

नहीं! अब तो सब पता लग रहा है। पहले यही मध्य प्रदेश की सरकार थी। जो सुप्रीम कोर्ट में लिखकर देती थी, कि हमारे राज्य में, पूरे मध्य प्रदेश में एक भी बंधुआ मजदूर नहीं है।

मजदूर :

और वहां से दो सौ छुड़वा दिये जी।

स्वामी जी :

वहां राजधानी के पास भोपाल के पास गंज बसौदा से 200 बंधुआ मजदूर अभी छूटे हैं अभी एक महिना भी नहीं हुआ। इस एक महीने के अन्दर-अन्दर उनको तुरंत एक दो दिन में ही तो पहले प्रमाण-पत्र मिल गया, मुक्ति प्रमाण-पत्र। मुक्ति प्रमाण-पत्र मिलने के साथ-साथ, हर एक मजदूर को आठ-आठ सौ रुपये का खाने-पीने का सामान जो होता है दाल-चावल तेल वगैरह।

मजदूर :

राशन जी राशन।

स्वामी जी :

तो वो राशन मिल गया। राशन के साथ दो-दो सौ रुपये उनको नकद भी मिल गये। अब उनको वहां पर पन्द्रह एकड़ जमीन दी गई है। उन दो सौ मजदूरों को, जितने भी है। उनके जितने परिवार बनेंगे, उन सबके लिये मकान बनाने का काम शुरू हो गया।

मजदूर :

उनका तो जी गणतंत्र हो मन गया।

स्वामी जी :

उनका तो मन गया। अब उनके आधार पर उम्मीद है कि आगे और भी हजारों मजदूर उस इलाके से रिहा किये जायेंगे। आजाद किये जायेंगे। और गंज बसौदा में जो आर्य समाज है, वहां के जो नौजवान हैं, जिन्होंने वहां पर अपना बनाया है आर्यवीर दल। वो नौजवान भी उसमें बड़ी रुचि ले रहे हैं। बड़ी मदद कर रहे हैं।

मजदूर :

तो आर्यवीर दल वाले लोग भी उसमें मदद कर रहे हैं।

स्वामी जी :

जी बिल्कुल। ये आर्य समाज ने, तो देश की आजादी के लिये, बहुत बड़ी कुर्बानियां दी थीं।

मजदूर :

अच्छा जी!

स्वामी जी : वो जो पिछली बार मैंने बताया था न रामप्रसाद बिस्मिल, अशफांक उल्ला खां उनकी जो कहानी सुनायी थी वो आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर में रहते थे, उत्तर प्रदेश के । तो वहाँ से उन्होंने ये आजादी के गीत गाये थे, तराने गाये थे ।

तो आजादी का सपना देखने वालों का असली काम जो है, ये अब आया है । हमें आजाद हुए और गणतंत्र हुए,, इक्यावन साल तो हो गये । लेकिन, जिस देश में करोड़ों—करोड़ों संतान आज भी गुलामी की जंजीर में हो, जिस मां की संतान गुलाम हों, वो मां, अपने आपको आजाद कैसे कह सकती है ? सोचो जरा, इस बात के ऊपर विचार करो ।

तो ये बंधुआ मजदूरी मुक्ति दिलाना आजादी की एक बड़ी ठोस और मजबूत लड़ाई है । और गंज बसौदा के उन तमाम मजदूरों को मैं बधाई देना चाहता हूं । आज इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, कि उन्होंने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया है कि कानून को यदि अमल में लाने के लिये कोई कोशिश करेगा । कोई झटपटायेगा । तो निश्चित रूप से कानून लागू होगा ।

गीत :

छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नये दौर में लिखेंगे, मिलकर नयी कहानी,
हम हिन्दुस्तानी – हम हिन्दुस्तानी – हम हिन्दुस्तानी ।

पत्र

हमें मिल रहे पत्र बताते हैं, कि आपको मजदूर वाणी कार्यक्रम पंसद आ रहा है । एक मजदूर साथी ने अलीगढ़ से एक लम्बा—चौड़ा पत्र लिखा है । उन्होंने अपना नाम पता नहीं दिया । पत्र में एक पीतल का सामान बनाने वाली कम्पनी की कारखानों में मजदूरों के शोषण की जानकारी दी गई है ।

तो भई आपका पत्र हमें मिल गया है । मजदूरों के बारे में पूरी जानकारी उनकी पूरी लिस्ट बनाकर अपने नाम पते के साथ हमें भेजिये हम इस बारे में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेंगे ।

हां एक बात और हम सरकार नहीं है । जी हां, हम गर्वनमेंट नहीं हैं । आप जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का संगठन हैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा ।

ऐपिसोड 19 – प्रसारण तिथि 16–1–2001

विषय : नौएडा से मुक्त हुए बंधुआ और बाल मजदूर और
राजस्थान मे न्यूनतम मजदूरी की दरो जानकारी

सूत्रधारः

इक्यानवें गणतंत्र दिवस की चहल—पहल ओर उत्सवपूर्ण माहौल में, एक के बाद एक उत्साह की खबरें मिल रही हैं। अपनी पिछली कड़ी को जारी रखते हुए। इस अंक में कुछ और बंधुआ और बाल मजदूरों के मुक्त होने की जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। आओ कल की बातें भूलकर नये जगत से नाता जोड़ें।

गीत

छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी
 नये दौर में लिखेंगे, मिलकर नयी कहानी
 हम हिन्दुस्तानी, हम हिन्दुस्तानी, हम हिन्दुस्तानी
 आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं,
 क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं /
 चंद के दर पर जा पहुंचा है, आज जमाना
 नये जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं /
 नया खून है, नई उमंगे, अब हैं नई जवानी हम हिन्दुस्तानी /

- स्वामी जी :** मजदूर भाइयों, सबको नमस्ते, राम—राम सबका सलाम, सब लोगों को। एक बार फिर बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला।
- मजदूर :** स्वामी जी, आजकल बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर का बहुत शोर सुनायी देता है। आपकी संस्था का तो नाम ही बंधुआ मजदूर मोर्चा है?
- स्वामी जी :** नाम है हमारा बंधुआ मुक्ति मोर्चा।
- मजदूर :** अच्छा! बंधुआ मुक्ति मोर्चा
- स्वामी जी :** ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। लेकिन इसका मतलब भी समझिये कि बंधुआ मजदूरी कहते किसे हैं। किसी से भी जबरदस्ती काम कराने का मतलब, उसकी मर्जी के खिलाफ आप उससे काम करवा रहे हैं। वो बंधुआ मजदूरी है सीधी सी बात है।
- मजदूर :** हमारी मर्जी के खिलाफ में?
- स्वामी जी :** आप क्या कह रहे हैं।
- मजदूर :** जबरदस्ती काम कराना तो गुलामी ही हुई जी?
- स्वामी जी :** वही गुलामी को ही बंधुआ मजदूरी, एक नया नाम दिया। गुलामीगिरी कहो या बंधुआ मजदूरी कहो एक ही मतलब है। इसलिये इन सवालों के ऊपर जो कानून बने हुए हैं।

आजाद करवाने के लिये । मुक्ति कराने के लिये उसका कानून का नाम है । बंधुआ मुक्ति अधिनियम 1976 । उस कानून के बनने के बाद देश में बंधुआ मजदूर नहीं रहना चाहिये । फिर तो सब छूट गये होंगे ?

मजदूर : स्वामी जी : नहीं सब नहीं छूटते । जो—जो लोग कानून का सहारा लेते हैं वो छूटते हैं । जो नहीं लेते, वो रह जाते हैं ।

मजदूर : स्वामी जी पचास साल देश को आजाद हुए हो गये ज्यादा ही हो गये । आजाद देश में कोई कैसे गुलामी करवा सकता है ?

स्वामी जी : गुलामी इस तरह करवा सकता है कि जिस नागरिक को, जिस देश के मेहनतकश को पता ही नहीं है कि तेरी आजादी के लिये । तेरी मुक्ति के लिये इस देश के सर्वोच्च अदालत में, ऐसे—ऐसे बड़े—बड़े फैसले लिखे हुए रखे हैं । और उसको पता ही नहीं है । कोई उसका शोषण कर रहा है । कोई उसके साथ अन्याय कर रहा है और वो अपनी मुक्ति और आजादी के लिये छटपटा भी नहीं रहा है । तो ऐसी हालात में लोग पड़े हुए हैं । गुलामी की जंजीरों में, जकड़े हुए अभी भी पड़े हैं ।

देखिये बंधुआ मजदूरों की पहचान करते रहना । उनको छुड़वाते रहना और छूटे हुए बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास उनको फिर से बसाने का काम करते रहना ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है । राज्य सरकार का मतलब हो जाता है कि जो जिले का बड़ा अधिकारी है जिसे जिलाधिकारी हम कहेंगे । एस० डी०एम० है । ये सब उनके पास अधिकार दे कानून में कि वो लगायें और उनको छुड़वायें और उनको फिर से बसायें ।

ये काम उनको करना है और यदि न करते हों तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं । राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में, या आप शिकायत कर सकते हैं अपने प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के सामने ।

मजदूर : आज तक स्वामी जी कोई छूटें हैं क्या ?

स्वामी जी : देखिये जगह—जगह पर जहां लोग कुछ आवाज उठा रहे हैं । वहां पर लोग छुड़ाये जा रहे हैं । अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि गंज बसौदा के पास, भोपाल के पास बंधुआ मजदूर छुड़वाये गये । दो सौ के लगभग । उनको बसाया जा रहा है । इसी प्रकार पहले अलवर में, उससे भी पहले, बाड़मेर के बालोतरा में, जाकर के कोई देखें हमारे कर्णाटक में एक पूरा का पूरा इलाका है । एक जिले के अंदर वहां, और उन्हें बसाया गया है तीन हजार बंधुआ मजदूरों के मकान उनके लिये पांच—पांच एकड़ जमीन उनको बैल और हल सब चीजें देकर के उनको बसाया गया है । शिमोगा जिला है, वहां का ।

मजदूर : कर्णाटक में जी !

स्वामी जी : कर्णाटक में, चिन्नगिरी ताल्लुका है । जगह—जगह जाकर के देखेंगे आप तो पता लगेगा कि जिस इलाके के मजदूर ने कुछ छटपटाकर के कुछ चिल्लाकर के आवाज दी, कुर्बानी

दी और फिर वो आजादी के लिये आगे आये । और फिर वो आजाद हुए भी और नई जिंदगी उन्होंने शुरू की और अभी आपको मैं बताना चाहता हूं । हमारा ये जो दिल्ली के पास नौएडा है ।

मजदूर :

हां जी दिल्ली के पास में ही है नौएडा । दिल्ली ही है, जी ।

स्वामी जी :

दिल्ली ही है एक तरह से । ये हमारा यू०पी० में पड़ जाता है । लेकिन नौएडा में आप जाकर पूछिये, पता लगाइये । वहां काम करने वाले छोटे-छोटे बच्चों तक को, छुड़ाया गया है । बंधुआ मजदूरी से, और उनके मालिकों के ऊपर कानूनी कार्यवाही की गई है । कोई ८९ के लगभग नब्बे के लगभग तो बंधुआ मजदूर जो बड़ी उम्र के हैं उनको छुड़ाया गया मालिक के चंगुल से !

मजदूर :

नौएडा में जी दिल्ली के पास ! बंधुआ मजदूर !

स्वामी जी :

हां, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता । दिल्ली के पास तो, बहुत बड़ी संख्या में, और दिल्ली के अंदर भी, बहुत बड़ी संख्या में बंधुआ मजदूर हैं । न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही इसका मतलब बंधुआ मजदूर हो गये । और उन मालिकों के ऊपर मुकदमा लम्बित पड़ा हुआ है ।

मजदूर :

मुकदमा चल रहा है जी मालिकों पर ?

स्वामी जी :

ये तो थे नब्बे के करीब बड़ी उम्र के बंधुआ मजदूर और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी उनके चंगुल से जो मालिक हैं जिनके पास वो काम करते थे । वहां से उनको आजाद करवाया गया है और आजाद करवाकर उनके मालिकों पर बीस—बीस हजार का जुर्माना किया है ।

मजदूर :

अच्छा जी ! जुर्माना भी कर दिया बीस—बीस हजार ।

स्वामी जी :

बीस—बीस हजार रूपये प्रत्येक बच्चे के हिसाब से, यदि किसी के पास दो बच्चे, चार बच्चे काम कर रहे हैं तो बीस—बीस हजार रूपये प्रति बच्चे के हिसाब से उसको वहां पर जुर्माना हुआ । वो पैसा सारा का सारा उस बच्चे के नाम पर, बैंक में एकाउन्ट खोलकर जमा करवाया गया । और ऐसे अींतके तक नौएडा—नौएडा के अकेले इलाके में वहां के जो उप श्रमायुक्त हैं घनश्याम त्रिपाठी जी ।

मजदूर :

घनश्याम त्रिपाठी जी ?

स्वामी जी :

हां । उप श्रमायुक्त हैं, अस्सिस्टेंट, लेबर कमीशनर बोलेंगे, अंग्रेजी में । तो उन्होंने बताया कि साढ़े पांच सौ बच्चों को, दाखिला भी दिया गया है जिला के जो भी अलग—अलग विद्यालय हैं । उनके निरीक्षकों की मदद से ।

मजदूर :

ये बंधुआ बच्चे थे जी ?

स्वामी जी :

बंधुआ थे, किसी न किसी ढाबे में किसी न किसी फैक्टरी में, कोई काम करते थे । उनको रिहा करवाया गया । उनके नाम पर बीस—बीस हजार रूपये जमा भी हो चुके हैं और अभी

जानकारी और ली जा रही है और ज्यादा रोज—रोज छापामार करके कार्यवाही की जा रही है । उनमें बच्चों का पता लगाया जाये ।

मजदूर : अजी, ये तो अच्छा अफसर अच्छे भी मिलते हैं । आमतौर से अफसर बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे । पर कोई—कोई तो अच्छे हैं इनके अंदर । हमारी कोशिश ये होनी चाहिये कि जो अफसर अच्छे हैं उनके अंदर, उनका हौसला अफनाई करें । उनको शाबाशी दें । उनका धन्यवाद करें । और जो गलत अफसर हैं उनके खिलाफ ऊपर के अधिकारियों को शिकायत भी करें कि ये काम नहीं करते ठीक से, ये पैसा खा जाते हैं । मालिकों से या दूसरों से और चुपचाप अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर देते हैं कि कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कोई बाल मजदूर नहीं है । इस प्रकार से लीपा—पोती कर देते हैं ।

मजदूर : खुलकर ही बतानी चाहिये जी, ये सारी बात ।

स्वामी जी : और आप लोग भी झुग्गियों में जाइये, उनके अंदर ये चेतना पैदा कीजिये उनको ये अहसास दिलवाइये कि कोई वजह नहीं है कि आज के जमाने में तुम गुलाम रहो । आज के जमाने में तुम बंधुआ मजदूर रहो, किसी की जबरिया मजदूरी करो । ये सारी चीजें अब आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती हैं । इस काम को आप कीजिये और एक बार फिर नया भारत, एक सुंदर भारत जिसमें अमीर और गरीब के बीच का फासला नहीं होगा जिसमें गांव और शहर के बीच की दूरियां नहीं होंगी । जिसमें औरत और आदमी दोनों को बराबर का सम्मान और स्वाभिमान मिलेगा । इसमें जांत—पांत, ऊँच—नीच की खुराफात ये सारी चीज, ये सारी बीमारियां नहीं होंगी । ऐसा सुंदर भारत बनाने का सपना लेकर के आप और हम सब आगे बढ़े । ये होगा हमारा नया भारत, नयी शताब्दी का, इस नये वर्ष की शुरुआत इस संकल्प के साथ करें ।

मजदूर : नमस्ते स्वामी जी, राम—राम जी

स्वामी जी : नमस्ते और राम—राम, धन्यवाद ।

पत्र

अब बारी है आपके पत्रों की ।

सूत्रधार : स्वामी जी, जिला अलवर राजस्थान से रामकरण बलई का पत्र आया है । भाई रामकरण ने लिखा है कि मजदूरवाणी कार्यक्रम को हम सब साथी लगातार सुनते हैं । इसमें हम मजदूरों के हकों की अच्छी जानकारी रहती है । उन्होंने आगे कहा है कि उन्हें और उनके साथियों को ठेकेदार चालीस रुपये रोज के हिसाब से मजदूरी देता है । औरतों को पैंतीस रुपये रोज के हिसाब से मजदूरी मिलती है । उनका काफी शोषण हो रहा है ।

रामकरण जी जानना चाहते हैं कि राजस्थान में घोषित न्यूनतम मजदूरी की दरें क्या हैं ?

स्वामी जी : अरे वाह ! भाईयो ये जानकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग लगातार मजदूरवाणी कार्यक्रम सुन रहे हैं । इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है । जो हमारे

अनऑर्गनाइजड, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। उनके अधिकारों की जानकारी हम उन्हें देते हैं। अब आपने जो असली सवाल पूछा अब उस पर आता हूँ। ये राजस्थान में मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी की दरें क्या हैं?

तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आजकल राजस्थान में, न्यूनतम मजदूरी की दरें – जो अकुशल मजदूर कहलाते हैं वो साठ रूपये रोज मतलब जैसे मिटटी डालना इधर-उधर, इस तरह का ईट सिर पर उठाना इस तरह का जो काम है। जिसमें ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है उसके लिये तो साठ रूपये आठ घंटे की मजदूरी के लिये रोज और जो अर्धकुशल हैं और थोड़ा सा जो कारीगरी जानते हैं। वो चौसठ रूपये रोज और जो कुशल मजदूर हैं और कारीगर हैं उनको अड़सठ रूपये रोज ये तय किया गया है।

एक रोज का मतलब जैसे मैंने अभी बताया आठ घंटे की मजदूरी। इससे ज्यादा करें तो ओवर टाईम।

मतलब ये कि एक अकुशल मजदूर को आठ घंटे काम करने के बदले राजस्थान में साठ रूपये मजदूरी मिलेगी। इससे अधिक घंटे काम करने पर आप ओवर टाईम लेने के हकदार होंगे।

जहां तक बहनों को, जैसे औरतों को आदमियों से, जैसे आपने बताया न कि कितना? आपने बताया था कि चालीस मिलते हैं। मर्दों को और पैंतीस रूपये रोज के हिसाब से औरतों को।

तो कम दे रहे हैं। तो ये जो आदमियों से औरतों को कम मजदूरी देने की बात है ये बिल्कुल, सरासर गैर कानूनी बात है।

सूत्रधार : अच्छा, मतलब बराबर मिलना चाहिये।

स्वामी जी : बिल्कुल, यह मजदूर कानूनों के उल्लंघन के ही साथ-साथ, भारत के संविधान का भी अपमान है।

गीत :

अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं–

अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं।

सिर कटा सकते हैं, लेकिन सिर झुका सकते नहीं,

—सिर कटा सकते हैं, लेकिन सिर झुका सकते नहीं।

ऐपिसोड 20 – प्रसारण तिथि 23–1–2001

विषय : गणतंत्र दिवस विशेषांक

सूत्रधार : मजदूरवाणी का यह विशेषांक समर्पित है लोकतंत्र के उत्सव, गणतंत्र दिवस को और उसको सम्भव बनाने वाले भारत मां के बलिदानी बेटे—बेटियों को ।

गीत :

ये भर—भर के आँखों में पानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी—ये माटी सभी की कहानी कहेगी ।
स्वातंत्र्य का ऐसे संग्राम आया, कि हर आदमी देश के काम आया । लड़ी वीर झाँसी की रानी—भवानी ।
हजारों ने, लाखों ने जौहर जलाया । ये कुर्बानियां खुद जुबानी कहेंगी ।

स्वामी जी : मजदूर भाईयो, सबको नमस्ते, राम—राम सलाम । सब लोगों को बहुत खुशी हुई एक बार फिर आप लोगों से मिलने का मौका मिला । और जानते हैं आप लोग आज क्या तारीख है ? मजदूर भाइयो, मजदूर बहनो ! आज 23 जनवरी, 2001 । आज का दिन हम सबके लिये, खासकर मेहनतकश मजदूरों के लिये, एक बहुत ही कांतिकारी प्रेरणा का दिन है । आज के दिन हमारे देश के एक महान सपूत, भारत मां के बहुत बड़े सपूत, उनका नाम बच्चे—बच्चे की जुबान पर है, सुभाष चंद्र बोस । जिसे सारी दुनिया नेताजी के रूप में जानती है । नेताजी का जन्म हुआ था 23 जनवरी के दिन । और आज हम जब उनको याद करते हैं, तो हम याद करते हैं, उनके उस सपने को, हम याद करते हैं, कि जब और भारत की आजादी के लिये लड़ रहे थे । तो किस तरह का भारत वो चाहते थे । उन्होंने एक संगठन बनाया । उन्होंने एक आजाद हिन्द फौज खड़ी की । और जब वो भारत के बाहर रंगून के जंगलों में अपनी आजाद हिन्द फौज को लेकर के, भारत की आजादी के लिये मचल रहे थे । उसमें भी उन्होंने औरतों के लिये, महिलाओं के लिये एक अलग से, रानी झांसी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक पूरी की पूरी टुकड़ी का गठन किया ।
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंग्रेजों की गुलामी से, भारत मां को और उसकी करोड़ों संतानों को मुक्त कराने के लिये जब खड़े हुए । और उन्होंने वहां से एक नारा दिया । बर्मा के जंगलों से उन्होंने ललकारा भारत के नौजवानों को और कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा । तो दिल्ली के लालकिले पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराने का एक सपना देखते—देखते सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली की तरफ दिल्ली चलो का नारा देकर कूच किया था ।
आज जब हम इस सपूत को याद करते हैं । तो हमारे दिलों में वो सारी भावनाएं पैदा होती हैं, जिनको लेकर के सुभाष चंद्र बोस, और उनके लाखोंलाख साथी देश के लिये कुर्बान होने का जज्बा लेकर आगे बढ़े । और जब 15 अगस्त, 1947 को दिल्ली के लालकिले पर

वो झंडा फहराया गया ,तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस बहुत बड़े सपने का एक छोटा सा हिस्सा उस दिन साकार भी हुआ ।

मजदूर :

स्वामी जी, 26 जनवरी को जब दिल्ली के राजपथ पर कदमताल करते भारत के रणबांकुरे गुजरते हैं, तो आम भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है । परन्तु स्वामी जी जब आज हम तीन दिन बाद भारत का गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं । क्या हम सीने पर हाथ रखकर, सच्चे मन से कह सकते हैं, कि गणतंत्र का दीपक, उसका उजाला, हर भारतवासी की झोपड़ी में पहुंच गया है, उजाला लेकर ।

स्वामी जी :

देखिये जिस उजाले की बात आप कर रहे हैं । वह उजाला तभी आयेगा जब हिन्दुस्तान के गरीब से गरीब की झोपड़ी में रोटी हो, कपड़ा हो और उसकी झोपड़ी—झोपड़ी न रहकर के मकान बने । बात तो तब आयेगी, उजाले की । और आज हम यूं जरूर कहते हैं कि दिल्ली के लालकिले पर हमारा तिरंगा झंडा फहरा रहा है । हमें खुशी होती है । हमारा सिर, सचमुच में सम्मान से ऊंचा उठता भी है । और थोड़ा लगता है कि हम एक आजाद देश के नागरिक हैं । लेकिन, दूसरे ही नजर में जब हम देखते हैं, हम अपने फुटपाथ के ऊपर गरीबों को सोये हुए । जब हम खेतों में काम करते हुये मजदूरों को, या ईट भट्टे के मजदूरों को देखते हैं । पत्थर खदान के मजदूरों को देखते हैं । तो फिर उनकी हालत देखकर के, सचमुच इतनी तकलीफ होती है, और लगता है—आजादी ! किसके लिये आई आजादी । कौन छीन करके ले गया । इन गरीबों की आजादी, जिसके लिये नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे हजारों लाखों लोगों ने, अपनी जिंदगी दांव पर लगाई । तो ये हैं एक सवाल जिसे आजके दिन हमें, खास गम्भीरता के साथ सोचना पड़ेगा ।

मजदूर :

स्वामी जी, आज जब हम गणतंत्र का 51वां दिवस मनाने जा रहे हैं । बहुत सारे लड़ू भी बटेंगे स्कूलों में, और फौजी लोग भी चलेंगे दिल्ली की राजपथ में । तो हम लोग, गरीब लोग रह रहे हैं, जिनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता । कानून उनके लिये कुछ करेगा या कुछ किया है कानून ने ?

स्वामी जी :

अब कानून की बातें मैं आप लोगों को पिछले कई—कई सप्ताह से समझा रहा हूं । और यह जो गणतंत्र दिवस हम कहते हैं—छब्बीस जनवरी, हर बार जब भी 26 जनवरी आती है । और हमारी सेना के जवान परेड करते हैं, राजपथ पर । ऊपर हेलीकाप्टर से फूलों की वर्षा होती है । और लोग अलग—अलग रंग—बिरंगी पोशाकों में आते हैं, कोई घोड़े पर, कोई ऊंट पर, इस तरह से वो वह दृश्य बड़ा मनोहारी होता है । देखने लायक होता है । उस सबसे आंखों को तो अच्छा लगता है । लेकिन जिसके पेट में, भूख की आग सुलग रही हो, और उसे भर पेट खाने को रोटी नहीं मिल रही है । वह जरूर कहीं न कहीं रुक कर के पूछता होगा । कि ये तंत्र तो तुमने खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा । पर क्या, गण के लिये है ये ? गण का मतलब हुआ हिन्दुस्तान के आम नागरिक । तो अपने आप से यह सवाल पूछिये

कि जिसको हम गणतंत्र कह रहे हैं। उसमें कहीं तंत्र ही तंत्र, तो नहीं रह गया। गण के लिये कितनी जगह है। क्या यह तंत्र, गण के लिये बना है। तंत्र में एक बहुत बड़ा तंत्र है, यह हमारी आकाशवाणी का, यह हमारे दूरदर्शन का, यह हमारे और तमाम् जितने सूचना प्रसारण के तंत्र हैं। अब देखिये कि इसमें से एक छोटा सा कोना, छोटा सा ये पन्द्रह मिनट का आकाशवाणी में ये मजदूरवाणी, और ये भी 50 साल के बाद, अभी शुरू हुआ है ना। इससे पहले देखिये कि मजदूरवाणी या गरीब से गरीब मजदूर जो पैंतीस करोड़ हैं। आज हिंदुस्तान में, इनके लिये कोई वाणी ही नहीं। इनके लिये कोई आवाज ही नहीं। अब आप देश के दूरदर्शन पर किकेट का मैच देखिये, टेनिस का मैच देखिये।

मजदूर : खूब आते हैं जी ! 35 करोड़ जी !

स्वामी जी : 35 करोड़ का मतलब हो गया, देखिये एक तिहाई से भी ज्यादा आबादी। और उन्हीं की मेहनत से ये दौलत पैदा हो रही है। उन्हीं का खून पसीना है, जो पूरे भारत को खींचकर उठा कर आगे ले जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि गणतंत्र दिवस के नाम पर सारी बातें होती हैं। और इस गण को भुला दिया जाता है।

उस गण को याद कराने के लिये, आइये, हम मजदूरवाणी में एक बार फिर संकल्प लें। कि इन 50—51 सालों में, 26 जनवरी, 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना था। और आज 51 साल पूरे हो रहे हैं। तो इन इक्यावन सालों में, जितने भी कानून बनाये हैं, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी विधानसभाओं ने। अरे भई उन्हें लागू तो करो। क्या कानून किसी दीमक को चाटने के लिये बनाये थे। अलमारी में सजाने के लिये रखे थे। या उनको जनता तक पहुंचाकर के, उनकी जानकारी, और उनको लागू करने के लिए बनाये थे। जब तक हम इन कानूनों को अमली जामा न ही पहनायेंगे। तब तक ये कानून किताबों में रखे रहेंगे। और कागजी शेर की तरह से दहाड़ेंगे। उसमें कोई ताकत नहीं होगी। और उससे कोई हिंदुस्तान बदलेगा नहीं।

इसीलिये हमने यह मजदूरवाणी कार्यक्रम शुरू किया है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का एक हिस्सा है।

यह हमारे गणतंत्र को संवारने वाले जो हमारे शहीद हुए उनकी आंखों का एक सपना है ये मजदूरवाणी। और आज आइये मजदूर भाईयो और बहनों, हम मिलकर के फिर सोचें कि हमने इसको गणतंत्र बनाना है। वास्तविक अर्थों में गणतंत्र बनाना है। तो हमें क्या—क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से अपने अधिकारों के लिये, मानवीय अधिकारों के लिये, कैसे संगठित होकर के संघर्ष करना पड़ेगा।

तो यह आज का हमारा मुख्य मुददा है।

ये आजादी का मतलब होता है कि हिंदुस्तान का मेहनतकश अपने आपको सचमुच का राज समझ सके। उसका, उसको अंदर से अहसास हो, कि तुम हो इस देश के मालिक,

इस धरती के मालिक, इस आकाश के मालिक | तो फिर तब लोगों को यह अहसास हो कि जो शहीदों का खून बहा था | तो वह सचमुच में हमारे लिये बहा था | हम सबके लिये बहा था | कोई हिन्दू है, कोई मुसलमान है, कोई सिक्ख है, ईसाई है | कोई किसी मजहब को मानता हो, बहन हो भाई हो, सबके लिये उन्होंने अपना खून दिया था |

इसीलिये आज हमें सुभाषचन्द्र बोस का जन्मदिन मनाते हुए बड़ी खुशी हो रही है | भगत सिंह ने जो इंकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया था | जो सपने नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने दिये, उन सबको लेकर के आइये, हम 23 जनवरी, 2001 में संकल्प करें कि हम अपने सपने को इतनी तेजी से साकार करें कि आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान में कोई एक भी ऐसा भाई—बहन नहीं होना चाहिये | जिसके सिर पर छत न हो, जिसके शरीर पर पूरे कपड़े न हों, जिसके पास खाने के लिए भरपेट भोजन न हो | जिसके घर में एक भी बच्चा ऐसा न हो जो स्कूल न जाता हो, पढ़ता—लिखता न हो | इस प्रकार का एक सुन्दर सपना आज हमें साकार करने का संकल्प लेना है |

आओ एक बार फिर मिलकर नारा लगाओ—

कमाने वाला—खायेगा, लूटने वाला—जायेगा, नया जमाना—आयेगा | और जरूर आयेगा भाइयो |

गीत :

ये कुर्बानियाँ खुद जुबानी कहेंगी, ये माटी सभी की कहानी कहेंगी /
वो स्वतंत्रता संग्राम नहीं, बगावत थी बगावत, म्यूटिनी यही इतिहास कहता है इतिहास |
जलादो—जलादो, ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे—जर्रे पर, सच है लिखा रे,
जुल्म वो तुम्हारे, सितम वो तुम्हारे, करो उफ याद कारनामे वो कारे /
कि पत्थर से आँसू की धारा बहेंगी, ये माटी सभी की कहानी कहेंगी, ये माटी सभी की कहानी कहेंगी /

ये माटी है तब से, जब तुम थे न आये, ये माटी रहेंगी, जब तुम ना रहोगे,
इस माटी के नीचे दबीं हैं कथाएं, वो खुद ही कहेंगी रे, तुम क्या कहोगे /

ऐपिसोड 21 – प्रसारण तिथि 30-1-2001

विषय : शहीद दिवस 30 जनवरी, रायगढ़ा गोलीकांड

सूत्रधार :

आज शहीद दिवस है । आज के ही दिन एक उन्मादी ने गांधी जी की हत्या कर दी थी ।

गीत :

रघुपति राजा राजाराम, जब—जब तेरा बिगुल बजा,
 जवान चल पड़े थे, और किसान चल पड़े ।
 हिन्दू हो, मुसलमान, सिक्ख, पठान चल पड़े,
 कदमों पर तेरे कोटि—कोटि प्राण चल पड़े ।
 फूलों की सेज छोड़कर दौड़े जवाहरलाल,
 साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल ।

गांधी जी के विचार में हमेशा ही, सबसे अंतिम व्यक्ति, दलित, के कल्याण का ध्यान रहता था ।

सुनिये गांधी जी का यह जंतर :

तुम्हें एक जन्तर देता हूं । जब भी तुम्हें सन्देह हो या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी आजमाओँ :

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा । क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा ? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा ? यानि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है ? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है ।

परन्तु क्या हमारे प्रशासक/योजनाएँ बनाते हुए इस जंतर को ध्यान रखते हैं ?

मजदूर: अजी, गांधी जी को तो गोली मार दी थी, तीस तारीख को, तीस जनवरी को ।

स्वामी जी : 30 जनवरी गांधी जी को गोली मारी । नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, और गांधी जी धड़ाम से वहीं पर गिर पड़े । हे राम कहते हुए उनका देहावसान हो गया । वो शहीद हो गये । इतनी बड़ी शहादत गांधी जी की, जिसने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया ।

तो हमें ये सोचना चाहिए कि गांधी जी का क्या सपना था । अहिंसा का पुजारी, शांति का एक दूत, सारी जिन्दगी, सारी जिन्दगी संघर्ष किया । क्या दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद भारत, और भारत के कौने—कौने में जाकर के, सुदूर बिहार के चंपारण जिले के गरीब किसानों में जाकर के, या बारडोली में जाकर के, या नमक सत्याग्रह करके तरीके—तरीके से उन्होंने ।

मजदूर : चरखा चलवाया जी उन्होंने ।

स्वामी जी : उन्होंने चरखा चलवाया, घर—घर में चरखा चलवाया । स्वदेशी की आवाज बुलंद की उन्होंने । स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत पहले, गांधी जी से भी पहले, स्वदेशी की बात की थी । तो गांधी जी ने उस स्वदेशी के आंदोलन को, अपना आंदोलन बनाया ।

मजदूर : स्वामी जी कौन से बताये जी आपने ।

स्वामी जी : वो आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती, उन्होंने सबसे पहले ये आवाज उठायी, कि हमें अपने देश की बनी हुई चीजों का व्यवहार करना चाहिये । और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज राज तो कर रहा है, और बहुत से लोग ये मानते थे कि उनका राज हमारे लिये बहुत फायदेमंद है । बहुत ही अच्छा राज कर रहा है ।

मजदूर : आज भी कई—कई लोग कहते हैं जी कि अंग्रेज अच्छे थे आज से तो ।

स्वामी जी : खैर, पागल लोग हैं, ऐसे बेवकूफ, आपको हर जगह मिलेंगे जो आज भी कहेंगे कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे । लेकिन स्वामी दयानंद लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में । कि कोई भी विदेशी, चाहे कितना ही अच्छा राज क्यों न कर रहा हो, हमें मंजूर नहीं है । हमें अपने देश का ही व्यक्ति चाहिए, जो राज करे । हमारे देश में हमारी हुकूमत होनी चाहिए । न कि कोई विदेशी हम पर राज कर सके ।

जो आजादी के लिये पहली ललक, पहली तड़प पैदा की स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और स्वदेशी का सपना देखा था । आज उन सब चीजों को हमें याद करना चाहिये ।

अपने आप से पूछना चाहिए कि गणतंत्र दिवस, ये महात्मा गांधी जी की कुर्बानी, ये सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, ये महात्मा घासीदास का जन्म दिन, ये संत रविदास ये सबके सब हमें क्या कह रहे हैं ! चिल्ला—चिल्ला कर क्या बता रहे हैं ? कि उठो !

मजदूर : आज तो हम आजाद हैं जी, हमारे अपने लोग राज करे हैं ।

स्वामी जी : आपको भी लग रहा होगा कि हमारे अपने लोग राज कर रहे हैं । लेकिन क्या राज है ! एक सिपाही को देखकर के, गांव के लोग डर जाते हैं । एक दफ्तर में जाओ तो अफसर कुर्सी पर बैठा हुआ है, और जो देश का मालिक है, वो किसान है, वो मजदूर है, वो उस अफसर को, हुजूर माई—बाप, सरकार कह रहा है । वह हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा है, टुकड़ों के लिए । तो ये आजादी नहीं है । आजादी का मतलब होता है कि हिन्दुस्तान का मेहनतकश अपने आपको सचमुच का राजा समझ सके । सचमुच का उसको, उसके अंदर से एहसास हो कि तुम हो इस देश के मालिक, इस धरती के मालिक ।

मजदूर : कब और कैसे होगा स्वामी जी ये ?

स्वामी जी : कब और कैसे होगा ! ये हम इंतजार न करें, किसी और को बताने का, कोई हमें बतायेगा । कब होगा कि कैसे होगा । नहीं, अपने आप से शुरू करें । आज, अभी, इसी समय, इसी समय से मुटिठया भीचों दांत पीसकर के खड़े हो जाओं । और अपने सामने जो तुम्हारी कमाई जो लूटी जा रही है, तुमसे । जो आप मेहनत करते हैं, खून और पसीना

बहातें हैं, और उसके बावजूद आपका ठेकेदार, आपका मालिक जो लोग भी बिचौलिये बने हुए हैं। आपकी मेहनत को लूटने के लिये। वो आपको आपकी कमाई का पूरा पैसा न दे। ये आप बरदाश्त करते कैसे हैं? ऐसा बरदाश्त करना ही जुल्म को बढ़ावा देना है। आप बरदाश्त करना बंद कीजिये। मुटिरयां भी चना शुरू कीजिये। संगठित होना शुरू करिये। फिर देखिये कैसे जुल्म रहेगा, नहीं रह सकता।

मजदूर : संगठन बनाना पड़ेगा मतलब।

मजदूर 2 : स्वामी जी ये लूट बंद हो जाये तो देश खुशहाल ही न हो जाये सारा।

स्वामी जी : लूट बंद हो सकती है। आप खुद भी तो सोचिये। आप कर क्या रहे हो, अलग—अलग पड़े हैं। यहां भी आप झुग्गियों में रहते हैं। तो कोई अपने को राजस्थानी कह रहा है, तो कोई अपने आपको छत्तीस गढ़ी बता रहा है, कोई अपने आपको बिहारी बता रहा है। अरे भाई, इस प्रकार के धर्म, मजहब रीति—रिवाज जॉत—पाँत इन्हीं झगड़ों में पड़े रहेंगे? और जब तक पड़े रहेंगे। तब तक आप बिखरे रहेंगे, टूटे रहेंगे। एक हिन्दुस्तानी बनकर के खड़े हो जाओ। और हिन्दुस्तान की किसी भी अदालत का कोई भी फैसला है, वह सबके लिये है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिये है। यह आवाज लेकर के कि उसको लागू करवाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है।

मजदूर : ये तो ठीक बात कही जी आपने।

स्वामी जी : इसी सवाल को लेकर आज हमें आगे बढ़ना है।

आदिवासी मजदूर सुदर्शन: स्वामी जी आमि काशीपुर, रायगढ़डा जिला से आस्चे, सेठे रे, एक कारखाना होउ छी, हमें तो उजाड़ देंगे स्वामी जी, फिर हम क्या करेंगे, कहां जायेंगे?

मजदूर : स्वामी जी, ये उड़ीसा से आये हैं, वृदाबन इनका नाम है। वह चार दिन पहले आये हैं। काशीपुर है, रायगढ़डा जिला में वहां से आये हैं, स्वामी जी।

स्वामी जी : क्या चीज का बाक्साईट का, एलूमीना, फैक्टरी ना, अभी मैं भी गया था वहां। अभी थोड़े दिन पहले मैं वहां गया। और वहां मैंने जांच की। काशीपुर, जिसका अभी आप नाम ले रहे हैं। उसके पास एक गांव है, मायकंज। मायकंज गांव में गोली चली। 16 दिसम्बर को, गोली चली। हमारे 3 आदिवासी नौजवान भाइयों को, पुलिस ने गोली से मार गिराया।

मजदूर : हां जी, यहां पर खबर भेजी थी किसी ने।

स्वामी जी : हमने भी पढ़ी खबर अखबार में। तो फिर हम वहां पर एक जांच दल, एक टीम लेकर के गये। जिसमें पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट के जो पहले जस्टिस रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश वो जस्टिस तेवतिया जी थे और मैं। जब हम गये भुवनेश्वर से वहां रायगढ़डा।

मजदूर : आप क्या सरकार हैं जो जांच दल करके गये थे आप, सरकार हैं आप?

स्वामी जी : नहीं जी, हम सरकार तो नहीं हैं | लेकिन हम गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं | हमें पूरा अधिकार है भारत के एक नागरिक होने के नाते से , कि किसी भी भाई के ऊपर, देश के किसी भी कौने में जुल्म होता हो | अन्याय हो रहा हो | गोलियों से उसकी लाशें बिछाई जा रहीं हो | और उसका कोई कसूर भी नहीं है | क्या है ? हालात को सचमुच जानने के लिए, हम वहां जा सकते हैं | अपनी रिपोर्ट सरकार को, अदालत को दे सकते हैं | तो हम ,गये वहां | और इसीलिए जब हम भुवनेश्वर और रायगढ़डा, रायगढ़डा से चल कर के आगे दूर काशीपुर, काशीपुर गये हम | काशीपुर, में हमने पूरा दिन लगाया | मायकंज गांव में भी गये | कुचीपदा भी गये | काशीपुर, में भी लोगों से बातचीत की | और जब सारी जानकारी ली हमने तो हमें पता चला कि ये जो पुलिस ने गोली चलाई, ये बहुत ही गलत तरीके से चलाई ।

मजदूर : क्यों चलाई जी गोली पुलिस ने ?

स्वामी जी : वहां जो आदिवासी भाई—बहन है, जो रह रहे हैं, हजारों सालों से रह रहे हैं हजारों सालों से, उन पहाड़ियों के ऊपर ।

मजदूर : अजी , हर साल आते हैं जी आदिवासी हमारे साथ काम करने को कन्सट्रक्शन पर । मैं तो बांदा का हूं | पर आदिवासी इलाके से मजदूर हर साल आते हैं काम करने ।

स्वामी जी : अब ये जो गरीब बेचारे आदिवासी । भाई—बहन रह रहे हैं वहां पर गांव—गांव में । वो अपनी खेती करते हैं । खेती के लिए इन्हें पानी मिलता है झरनों का । 330 झरने तो केवल काशीपुर की पहाड़ियों पर हैं । जिसमें कहा जा रहा है कि बाक्साइट है । यह एक खनिज पदार्थ है ।

मजदूर : वो क्या होता है जी ?

स्वामी जी : वो एक चीज है जिससे एलूमीना बनता है । जिससे फिर एल्युमिनियम बनता है ।

मजदूर : हां जी बर्तन होते हैं जी जिसके ? हां हमारी पतीली है जी ।

स्वामी जी : एल्युमिनियम के जो बर्तन बनते हैं । ये एलूमीना से बनते हैं । एलूमीना बनता है बाक्साइट से । उड़ीसा में बाक्साइट भरा पड़ा है । खदानें हैं कोरापुट जो जिला है, उसमें से अब बना है रायगढ़डा जिला, अलग से । यहां की सारी पहाड़ियों में बाक्साइट भरा पड़ा है । तो अब आप देखिये बाक्साइट के कारखाने के खिलाफ, कि नहीं लगना चाहिये, ये झरने नहीं सूखने चाहिये । उनकी खेती उनसे छीनीं नहीं जानी चाहिये । इस बात के लिए अनपढ आदिवासी 1992 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं । शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करते—करते एकदम जागरूक हो गये हैं । आज जब सरकार को, और ये बड़े—बड़े ठेकेदारों को, और ये जो बड़े—बड़े देशी—विदेशी पूँजीपति आ रहे थे वहां पर कारखाने लगाने को । उनको लगा कि अब आदिवासी तो एकदम जागरूक हो गये हैं । अब ये तो मानेंगे ही नहीं । हमें

लूटने नहीं देंगे, इस इलाके को । इनको उजाड़ने में हम कामयाब नहीं होंगे । तो उन्होंने वहां जाकरके गोली चला दी । उन्हें डराने के लिए । उन्हें मारकर भगाने के लिये ।

मजदूर : स्वामी जी आदिवासियों को गोली मारी , वो क्या अनाज का गोदाम लूट रहे थे । क्या कर रहे थे वो ?

स्वामी जी : नहीं – नहीं, वो बेचारे अपने गांव में सीधे—साधे रह रहे थे । उनकी मांग इतनी ही थी, कि हमें अपना आराम से, अपना सूखी रोटी खा लेने दो भाई । तुम, अपना ये जो बाक्साइट का कारखाना लगाकर करोड़ो रुपये कमाना चाहते हो , ये हमें उजाड़ कर । तुम जो आबाद होना चाहते हो, हमें बरबाद करके । ये मत करो ।

मजदूर : मतलब आदिवासियों का इलाका था जी उनकी जमीन है ।

आदिवासी मजदूर : हमारा इलाका है वह ।

स्वामी जी : हां आपका इलाका है वो । अब आप देखिये, जाइये वहां पता लगाइये । वहां के आदिवासी बहुत संगठित हो रहे हैं । और अपनी आजादी की, असली आजादी की, लड़ाई के लिये आज वो लोग सिर – धड़ की बाजी लगा रहे हैं । वहां गोली चली । तीन नौजवान मारे गये एक 25साल का, दूसरा 28 साल का नौजवान , एक तो कोई 40 साल का इतने कम उम्र के लोग मारे गये हैं, पुलिस की गोली से । और बिना किसी वजह से मारे गये हैं, बेचारे । तो आज वहां के लोगों में उड़ीसा में, इस बात के लिए आवाज उठ रही है कि इस गोलीकांड की निष्क्रिया जांच होनी चाहिये । न्यायिक जांच होनी चाहिये । और हमने वहां से आकर के सब को ये रिपोर्ट दी हैं । और हम जाकर के, हम राष्ट्रपति जी से मिलकर यह बात रखने जा रहे हैं । क्योंकि भारत के संविधान में गरीब आदिवासियों के लिये सबसे आखरी, कोई बड़े से बड़ा बड़ा अधिकारी है, जो उनकी जान माल की रक्षा करें, उनके मानवीय अधिकारों की रक्षा करें । तो वह भारत का राष्ट्रपति है ।

मजदूर : राष्ट्रपति, जी ?

आदिवासी मजदूर : सबसे बड़ा होता है वो !

स्वामी जी : जैसे हमारे के 0 आर 0 नारायण जी आज हैं हमारे राष्ट्रपति । तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है । तो हम उनसे मिलकर यह बात बतायेंगे , कि इस प्रकार से आदिवासीयों को गोलीयों से उड़ाया जा रहा है । उनको डराया जा रहा है । उनको उजाड़ने की सारी कोशिशें हो रही हैं ।

गीत : दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल,
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल,
रघुपति राजा राजराम /

एपिसोड 22 – प्रसारण तिथि 6–2–2001

विषय : हक्कों की रक्षा के लिये संगठन जरूरी

सूत्रधार :

इस अंक में हम लेकर आये हैं हक्कों और न्याय की रक्षा के संगठन के महत्व पर जानकारी
(नगाड़े आदि का संगीत)

स्वामी जी: का आगमन—नमस्ते मजदूर भाईयों बहनों । (पृष्ठभूमि में गीत—रघुवर के गुण गायें रें...)

मजदूर : स्वामी जी नमस्ते, स्वामी जी नमस्ते, स्वामी जी वणकम् ।

गीत :

ओ रघुवर के गुण गावें रे— ओ रघुवर के गुण गावें रे,
ओ रघुवर के गुण गावें रे— ओ रघुवर के गुण गावें रे ।

अलख निरंजन,

रावण चतुर खिलाड़ी, आया बनके भिखारी — आया बनके भिखारी ।

बोला भिक्षा दे दे माझ, सीता जी को दया आयी — सीता जी को दया आयी,
ओ—ओ, जो था घरमें, लेकर आई, कहा आगे आओ साई— कहा आगे आओ साई ।

रावण बोला, बाहर आओ, साधु से काहे शरमाओ, साधु से काहे शरमाओ ।

सीता बहकावें में आई, धेरा छोड़ा, बाहर आई— धेरा छोड़ा, बाहर आई ।

रावण ने उनको उठाया, जबरन कंधे पर बैठाया — जबरन कंधे पर बैठाया ।

लेकर चला समुन्दर पार, सीता रोवें जार—जार—सीता रोवें जार—जार ।

रोवें जंगल और पहाड़ — रोवें जंगल और पहाड़ ।

सुनकर उनका हाहाकार— सुनकर उनका हाहाकार ।

स्वामी जी : कथा सुन रहे हो, कथा चल रही है । बहुत अच्छा भई, ये बहुत अच्छी तरह से सुनों भी, और गुनों भी, समझो इसको, इसकी जो असली बात है, उस पर जब तक समझ कर, कुछ अमल नहीं करोगे । तो ये राम—कथा, कथा ही रह जायेगी तुम्हारी जिन्दगी में, कोई बदलाव नहीं आयेगा । इसलिये इसको समझो और ये जो अपने अंदर छिपी हुई ताकत है उसको निकालना है बाहर और संगठन बनाना है ।

आपको वो पता है रामायण की कहानी ?

भगवान राम जब अपनी सीता को खोजते—खोजते चले गये, ठीक है, और वो नहीं मिल रही, सीता । जब वो दूर जंगल में गये, तो वहां हनुमान जी मिल गये । तो उन्होंने फिर हनुमान जी को कहा कि अब तुम पता लगाओ सीता का । अब हनुमान जी भी अपने भगवान राम के आदेश को पूरा करने के लिये दूढ़ने लगे ।

दूढ़ते—दूढ़ते समुद्र के पास पहुंच गये । वहां उन्हें पता लगा कि अब समुद्र के पार लंका में, सीता रखी हुई है, रावण ने । अब वहां कैसे जायें ।

अब समुद्र को पास करना तो कोई हँसी खेल की बात नहीं ना, अब हनुमान जी बेचारे निराश, बैठे हुए सोचने लगे कि भगवान राम का एक अब समुद्र को पास करना तो कोई हँसी खेल की बात नहीं ना,

अब हनुमान जी बेचारे निराश, बैठे हुए सोचने लगे कि भगवान राम का एक छोटा सा काम में नहीं कर पा रहा हूँ । मैं कैसा उनका सेवक हूँ, नालायक हूँ कि समुद्र को पार नहीं कर पाता ।

वे वहां पर अब मुझे ठीक से याद नहीं है —— सम्पाती, तो शायद सम्पाती आता है वहां पर । और धीरे से उनके कान में कहता है, हनुमान ! तुम कैसे निराश बैठे हो, उठो, पार करो इसको ।

हनुमान कहता है, मैं कैसे पार करूँगा इसको, मैं कोई उड़ सकता है । उसने कहां वो कैसे ?

तू तो पवन—पुत्र है, पवन—सुत है । तू तो पवन पुत्र हनुमान है, तेरे अंदर ताकत छिपी हुई है । तुझे पता नहीं है जिस दिन वो ताकत पता चल जायेगी तू उड़कर लंका पहुंच सकता है । अब जैसे ही हनुमान के अंदर, जो छिपी हुई ताकत थी, उसका उसे पता लगा, तो वे किष्कंधा पहाड़ पर वो चढ़ गये और पहाड़ के ऊपर से उसने छलांग लगायी और जो सीधी लंका में उतरी ।

जो कोई हरे पराई सीता, उसका होकर रहे फ़ज़ीता

राम ने की लंका पर चढ़ाई, खूब हुई घमासान लड़ाई ।

ओ—ओ, ओ—ओ इधर राम, लक्ष्मण, हनुमान, उधर खड़ा रावण शैतान ।

मूरख राक्षस तू जिद मतकर, अब भी कहना मान मेरा ।

तेरी हट में, हो हटधर्मी, मौत का है सामान किया, तेरी मौत का है सामान किया ।

मेरे एक बाण के छूटते ही, निकलेंगे तेरे प्राण अभी — निकलेंगे तेरे प्राण अभी ।

तेरे दसों शीश इस धरती पे, लुढ़केंगे, गेंद सामान अभी— लुढ़केंगे, गेंद सामान अभी,

रघुवर के गुण गावें रे, हम रघुवर के गुण गावें रें— हम रघुवर के गुण गावें रें ।

और सोने की लंका में आग लगाकर व सीता को लाने में या वापिस दिलाने में कामयाब हुआ ।

बोलो सियापति रामचंद्र की जय ।

स्वामी जी : अब ये जो कहानी है, या हमारे रामायण की सच्ची बात है, जो भी है, इससे आपको समझना चाहिये कि ताकत जो है, वह कहीं न कहीं छिपी हुई है ।

गीत :

रघुवर के गुण गायें रें – रघुवर के गुण गायें रें ।

मजदूर : स्वामी जी, आप बातें तो काफी अच्छी—अच्छी बता रहे हैं । कि कानून में, संविधान में, मजदूरों का शोषण रोकने के लिये अच्छी—अच्छी बात लिखी है । परंतु हमारी जिन्दगी सुधारती क्यों नहीं, क्यों नहीं रुकता हमारा शोषण । कौन लागू करेगा इन कानूनों को? कोई हम गरीबों, मेहनतकशों की खबर लेने वाला भी है या नहीं?

स्वामी जी: लेकिन मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ । और यह एक बहुत जरूरी बात है, जितनी बार बताऊंगा । आप लोग सारे भाईयो—बहनो! अच्छी तरह सुनो और गांठ बांधकरके सुनो । कि यदि आप अपना संगठन नहीं बनायेंगे, तो कानून की किताब—किताब है, और किताब अपने आप में कोई लड़ाई नहीं लड़ती । कानून को लागू करने के लिये जो अधिकारी बैठा रखे हैं सरकार ने, आमतौर पर यह होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और सारा देश जानता है, कि ऐसे इंस्पेक्टरों को जब वे जाते हैं महीने, छह महीने में, राउंड लगाने के लिये, तब मालिक कहता है, आप कहां धक्के खायेंगे, इंस्पेक्टर जी! आप आईये, हमारे पास बैठिये, कोका—कोला पीजिये । ये लीजिये आपकी थोड़ी भेट—पूजा कर देते हैं । इसमें लिख दीजिये सब कुछ ठीक हो रहा है ।

तो यह भी कई जगह, मैं सब अफसरों के लिये नहीं कह रहा हूँ । पर कई बार मुझे यह शिकायत मुझे मिलती रहती है, कि कानून बना हुआ है । किताब में छापा हुआ है, पार्लियामेन्ट में पास किया है । सब चीजें साफ—साफ लिख दी हैं । परन्तु जिस अफसर की जिम्मेदारी लगा रखी है । जिसे तनख्वाह मिल रही है, इसी बात की । कि तुम इसकी कानूनों की जानकारी भी दो, तुम इसे लागू भी करो, जो नहीं लागू कर रहा हो, मान लीजिये, ठेकेदार या मालिक, तो उसे दण्डित करो, ऐसी सजा दो कि एक—दो बार में ही उसको पता लग जाये, आटे—दाल का भाव । और वह कानून लागू करने के लिये बाध्य हो जाये । पर यदि अफसर यह सब लागू नहीं करता, रिश्वत लेकर के, घूस खाकर के और किसी वजह से ।

मजदूर : ठीक कहो जो जी ।

स्वामी जी : बात देखो न सच्चाई को मानना पड़ेगा, और इस वजह से कानून है पचास साल से, देश आजाद है। कानून का राज नहीं हो रहा नहीं हो रहा, और राज किसी और चीज का हो रहा है, लठ का चल रहा है, राज यहां पर।

मजदूर : स्वामी जी, अब इस लठ राज का मुकाबला, हम गरीब मजदूर कैसे कर सकें हैं?

स्वामी जी : आप लोग को इसके मुकाबले में सारी जानकारियां रखते हुए इसके ऊपर बार—बार, बार—बार आपसे में बात किया करो, आपस में। और संगठन बनाओं, आप पच्चीस हैं, पचास हैं, पांच सौ हैं, आपस में मिलकर के रहो। एक दूसरे की मदद करो, इस काम को यदि आप नहीं सीखेंगे तो मेरे बताने से, या किसी कानून की किताब में छप जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला आपको लड़ना पड़ेगा। ये हक, एक तरह से, जिसे कहते हैं कि हक छीनने से मिलता है, मांगने से हक नहीं मिलता है। अब ये हक छीनने के लिये ताकत तो चाहिये। अब मुठियां हैं आपके पास। लेकिन आप भी चना नहीं जानते हो, उसका। अब ये मुट्ठी भी चना सीखो, आप। ये ऊंगलियां अलग—अलग पड़ी रहती हैं, पतली—पतली ऊंगलियां हैं कोई भी मरोड़ देगा। टूट जायेगी।

मजदूर : हम समझ गये, स्वामी जी कानून का राज तभी आयेगा संगठन बनाके।

स्वामी जी : समझ गये, ये बात तभी है कानून की, जब आप ये जो पांच ऊंगलियां हैं अलग—अलग, जो पतली—पतली हैं, ये जब इकट्ठी होती हैं, तब मुट्ठी बनती है। अर्थात् यूनियन में ताकत है। ऊंगली को तो कोई भी तोड़ सकता है, कोई मालिक, कोई ठेकेदार, कोई भी गलत आदमी। लेकिन जब मुट्ठी बन जाये तो, मजदूर भाइयो इसको कोई नहीं तोड़ सकता। मुट्ठी तो फिर जालिम के जबड़े को तोड़के दिखा देती हैं। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लो। तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपका संगठन है, जो यूनियन है, और उसके माध्यम से जो आपका संघर्ष है। असली न्याय वो दिला रहा है, आपको। कानून तो ठीक है। लेकिन वो कानून लागू कराने की ताकत वैसे नहीं है। वो आपकी संगठन शक्ति में है। संघर्ष करने की ताकत में है। और अंतर—राज्यीय प्रवासी मजदूर के लिये तो सबसे जरूरी है, संगठन।

मजदूर : हमारे यहां तो एकता है स्वामी जी, यहां तो हम सब एक हो कर रहवें हैं, हम सब।

मजदूर 2: बिल्कुल हम तो जी घूसा तानकर रखे हैं।

स्वामी जी : तो ठीक है इसीलिये आपको कुछ थेड़ी बहुत राहत मिल रही है। यदि इतना भी न रखो तो कुछ भी नहीं होगा। मारकर फेंक दिये जाओगे किसी दिन, किसी गड़दे में। या वैसे ही किसी दिन किसी दुर्घटना में मर गय, तो मालिक ने कह देना है कि पता नहीं भई कौन था, यह, हमारे तो किसी रजिस्टर में नहीं है, मस्टरोल में भी

इसका नाम नहीं है । बस लावारिस लाश की तरह कोई उठाकर फेंक देगा या नदी में डाल देगा ।

मजदूर : स्वामी जी, ठेकेदार को मंत्र आप ही पढ़ा सकते हैं । और किसी के बस की बात भी नहीं है ।

स्वामी जी : नहीं—नहीं यह ही बात गलत हो रही है । आप लोग यदि ये सोचो कि अग्निवेश या कोई भी, नहीं वो नहीं दिलाता आपको आपके हक । सच्चाई उसको पता है कि ये मजदूर संगठित हैं । यही है कि हमारे पास तो कोई ताकत है नहीं । हम ठेकेदार को, या मालिक को कहते भी हैं, तो वो हमारे बात को सुनता, इसलिये हैं कि उसको पता है कि ये मजदूर संगठित हैं । यदि वह नहीं करेगा । यदि वह नहीं करेगा ठीक से, तोये मजदूर वहां इकट्ठे हो जायेंगे, धरना दे देंगे । जलसा, जुलूस करेंगे । तो थोड़ा तो वो भी डरता है न कि उसकी इज्जत बेइज्जती का भी सवाल है । और कल को कानून में फैस गया पूरी तरह से उसको जेल भी हो सकती है । तो इन सब कारणों से — तो आप मेरे भरोसे बैठे रहोगे कि भई आप मेरे पास आ गये मुझे बता दिया तो आपका काम बन जायेगा तो यह कभी नहीं होगा । मैं इस गलत फ़हमी को बार—बार दूर करना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है या बंधुआ मुक्ति मोर्चा के दफ्तर में नहीं है ।

तो मेरे जैसे लोग तो सम्पाती का काम कर सकते हैं कि आप जिनके कान में मंतर फूंक दें । कि देख मजदूर ! तेरा हक छीना जा रहा है और तू चुपचाप बैठा है । उठ खड़ा हो, यह रहा कानून यह कानून समझ, और समझ करके हमें लागू करवा अपनी ताकत के बल पर, संघर्ष के बल पर, यूनियन के बल, अदालत में जाने कह जरूरत पड़े तो वहां जा ।

तो ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी ।

महावीर : अब उरके नहीं रहेंगे जी ।

स्वामी जी : बिल्कुल हिम्मत से काम लोगे ।

रघुवर के गुण गाये रे —रघुवर के गुण गाये रे ।

याद रखें :

संगठन बनाना आपका बुनियादी अधिकार हैं । संविधान ने सभी नागरिकों को अपने हितों और अधिकारों की रक्षा के लिये संगठित होने का अधिकार दिया है ।

(संगीत नगाड़े की आवाज)

ऐपिसोड 23 – प्रसारण तिथि 13–2–2001

विषय : निर्माण मजदूर – 1, टिहरी, बांध दुर्घटना और

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996

सूत्रधार : असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के इस कार्यक्रम में हम लेकर आये हैं निर्माण उद्योग से जुड़े मजदूरों के बारे में जानकारी। तीन करोड़ मजदूरों में भी तीस फीसदी महिलायें और बच्चे हैं। हम मजदूरवाणी में उनकी स्थिति की चर्चा करेंगे। उनके संघर्ष, उनके लिये बने कानूनों और अधिकारों की जानकारी देंगे। इन अधिकारों को प्राप्त करने के रास्ते में खड़ी बाधाओं पर विचार करेंगे।

स्वामी जी : मजदूर भाइयों सबको नमस्ते राम—राम। नमस्ते, मजदूर भाईयो, नमस्ते बहनो, भई ये क्या हो रहा है। काफी उदास लग रहे हो आप लोग, काफी उदासी छाई हुई हैं। सबकुछ ठीक तो है ना? दिल बहादुर दिखाई नहीं दे रहा, नेपाल चला गया क्या?

मजदूर : नहीं स्वामी जी नेपाल नहीं गया। दिल बहादुर टिहरी गया है। वहां बांध बन रहा है ना जी,। वहां उसके गांव के भाई लोग काम करते हैं सुना है। वहां काफी लोग मर गये हैं। उन्हीं का हाल—चाल लेने गया है।

स्वामी जी : हां भई टिहरी के बारे में तो मैंने भी पढ़ा था अखबारों में। वहां पर कोई 17 मजदूर, एक बड़ी दुर्घटना में मर गये ऐसा समाचार था। उनमें ज्यादातर नेपाल के रहने वाले थे। सभी नौजवान थे। जिस दाली में बैठकर वे अपने काम पर जा रहे थे। उसका तार टूट गया और दाली 100 मीटर नीचे जा गिरी और मौके पर ही 17 नौजवान मजदूरों की मौत हो गई। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ। हर बार जब भी कोई बड़ा निर्माण का काम होता है, वहां हर बार ऐसी कोई न कोई खतरे की घंटी बजती है।

मजदूर : हां जी सब जगह मरते हैं जी।

स्वामी जी : जहां सबसे ज्यादा संख्या में मजदूरों की मौत होती है। वो है निर्माण स्थलों पर, दूर दराज के निर्माण स्थलों पर तो मौतों का कई बार पता तक नहीं चलता।

मजदूर : स्वामी जी ये तो बहुत बुरा हुआ, उनके परिवारों पर तो पहाड़ ही टूट गया, अब उनके परिवार के लोगों, उनके बाल बच्चों की कौन देखभाल करेगा। उनका क्या होगा? वो तो रोटी—रोटी के लिये मोहताज हो गये? उनको कम्पनी से या सरकार से कोई मुआवजा मिलेगा क्या?

स्वामी जी : अब देखिये इसी तरह एक भूकम्प आया हमारे देश के एक हिस्से में और वहां भी कई हजार लोग मर गये।

मजदूर : हां जी, हां जी, गुजरात में।

स्वामी जी : गुजरात के बारे में आपने सुना होगा।

मजदूर : वहां तो नाश ही हो गया । बहुत ऊंची—ऊंची बिल्डिंगें गिर गई जी, चोर हैं जी चोर ठेकेदार चोर हैं

स्वामी जी : अब उन लोगों ने जिस गलत तरीके से वो बिल्डिंगें बनायी थीं । जो बिल्डिंग तो बनी थी ठीक—ठाक,,,,

मजदूर : कहां बनी थी ठीक—ठाक, सीमेंट भी नहीं लगाते ।

स्वामी जी : जो ऐसी बनी थी ठीक—ठाक वो तो बच गई और जो बनी थी गलत तरीके से वो एकदम धराशायी हो गई । अहमदाबाद में, दस मंजिला बिल्डिंगें जो गलत तरीके से बनाई गई थीं, रिश्वत देकर के घूस खिलाकर के अफसरों को और दूसरे लोगों को, वो एकदम धड़ाम से गिर गई और उनके मलबे में दबकर सैंकड़ों लोग मर गये ।

मजदूर : अजी जांच करने तो कोई आता ही नहीं । रेत मिलावें हैं जी निरा रेत ।

मजदूर 2 : पीली ईट जी ।

स्वामी जी : अब ये सारी चीजें मजदूरों को भी पता रहती है, जिस समय यह काम हो रहा होता है । मजदूरों को उस समय भी सवाल उठाने चाहिये । क्योंकि ये जो बड़े मालिक हैं ये पैसे के बल पर गलत काम कर देते हैं ।

मजदूर : अजी हमारी कौन सुनता है । हम तो खुद दबकर मर जाते हैं, लैंटर में । कई बार मरते हैं ।

स्वामी जी : नहीं, ये तो होता है और इसलिये जब भी ऐसे हालात हो जायें देश के अन्दर, तो सबको उसके प्रति सम्बेदना होती है । सब वहां पर बचाने के लिये जाते हैं । मैं यह देख रहा हूँ कि जैसे गुजरात के भूकम्प के लिये तो देश से क्या सारी दुनिया से लोग मदद करने के लिये आ रहे हैं ।

लेकिन दूसरी तरफ ये देखिये टिहरी का यह मामला जिसमें 17 नेपाली मजदूर हमारे मर गये । मदद तो दूर रही उनकी जानकारी के लिये भी कोई बड़ी कोई कमीशन कोई इस तरह का अभी तक नहीं बैठा है, और बात आई—गई हो जायेगी । दो दिन में, चार दिन में लोग उन्हें भूल जायेंगे । और उनके परिवार के लोगों का, उनके बाल—बच्चों का, जैसे अभी ये साथी पूछ रहे थे । इसी तरह मुझे भी खतरा लग रहा है कि उनको सब भूलकर के, उनके परिवारों को, इसी तरह से रोजी—रोटी के लिये दर—दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी । लेकिन आपको यह सोचना चाहिये कि नौजवान की मौत हो जाती है । लेकिन हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मजदूर साथी हैं वो अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझेंगे तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं जब भी होंगी तो मुआवजे के लिये निश्चित रूप से हर मजदूर जागरूक होगा वो लड़ेगा वो खड़ा होगा और वो जो इस प्रकार से लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, वो आगे से नहीं होगा । उसके बच्चे अनाथ नहीं होंगे जैसे आज हो रहे हैं ।

स्वामी जी : और वो नौजवान पूरे—पूरे परिवार पाल रहे हैं। एक—एक नौजवान मां—बापों की देखभाल के लिये उनके बच्चों की लिखाई—पढ़ाई की ये सब जिम्मेदारी उनके नौजवानों के ऊपर थी। तो उनके पूरे के पूरे परिवारों पर तो पहाड़ ही टूट गया। उनका एकमात्र सहारा था छीन गया। अब वो जो सरकार है कम्पनी से मुआवजा मिलने की बात है तो जो उनका मालिक है जिसके लिये वो काम कर रहे थे उसे चाहिये कि अब आगे बढ़कर के पूरा मुआवजा उन परिवारों को दें और उन्होंने कहा तो है कि कहीं अखबार में छापा था कि वो पूरा मुआवजा जो देंगे।

मजदूर : अजी, हमने तो आज तक कहीं देखा नहीं कि किसी ने दिया हो मुआवजा मजदूर तो यूं ही मरते रहे हैं। दो साल पहले हम दिल्ली में ही एक साईट पर काम कर रहे थे। वहां छत का लेटर टूट कर गिर गया। पहले ही कहीं थी हमारे मिस्ट्री ने कि देखो रेत ज्यादा लगा रहे हो, सीमेंट ज्यादा लगाओ पर मानी ही नहीं ठेकेदार ने। अब मजदूर दबकर मर गये। ठेकेदार ने उनके कफन दफन का इंतजाम कर दिया और पांच—पांच हजार रुपये देकर उनके परिवार के लोगों को भगा दिया। स्वामी जी ये भगाने वाला सिलसिला हर जगह पर यही सुनाई पड़ता है। और जब भी आप कुछ करोगे, कुछ आवाज उठाओगे तो मालिक की तरफ से पहली कोशिश होगी की ये आवाज उठाने वाले भगा दिये जायें। कोई संगठन नहीं बना पाये, कोई संघर्ष नहीं

कर सके तो ये उनकी पूरी कोशिश होती है लेकिन अपने अधिकारों को नहीं जानोगे। तो ऐसा ही होता रहेगा।

ये जो आप लोग जितने भी हैं। सब लोग ध्यान से सुनिये इस बात को जो निर्माण मजदूर हैं। आपके लिये और आपके बाद यदि किसी दुर्घटना में आप नहीं रहे तो आपके परिवारों की सुरक्षा कल्याण और भलाई के लिये हमारे देश में दो खांस तरह के कानून बने हैं।

मजदूर : अच्छा जी।

स्वामी जी : हां जी, इसमें आप लोग जितने भी काम करते हैं आप लोगों की तादाद जो है निर्माण मजदूरों की इस देश में। कम से कम तीन करोड़ आंकी गई हैं।

मजदूर : तीन करोड़।

स्वामी जी : तीन करोड़ हैं जो बिल्डिंग सड़क आदि सब बना रहे हैं। अब इनके लिये कानून बना 1996 में। हांलाकि अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है। इस पर अमल नहीं हो रहा है और आप लोग भी यदि चुपचाप बैठे रहेंगे, आंख मूँद करके सोते रहेंगे तो ये कानून अलमारियों में पड़ा रहेगा, दीमक इसको चाटते रहेंगे और ये लागू नहीं हो पायेंगे। आपको इसके लिये चाहिये अपनी यूनियन बनायें, संगठन बनायें, कुछ संघर्ष करें तब जाकर के ये कानून लागू होंगे।

- मजदूर :** स्वामी जी, ये निर्माण मजदूर क्या होते हैं ।
- स्वामी जी :** निर्माण का मतलब होता है जो लोग काम कर रहे हैं पत्थर खदानों में काम कर रहे हैं, ईट के भट्टों में काम कर रहे हैं । निर्माण मजदूर किसे कहते हैं यह अच्छी बात है आपने यह सवाल पूछा, क्योंकि जिन निर्माण मजदूरों के लिये बने लेकिन इससे भी ज्यादा जो लोग इस कानून के अंतर्गत आते हैं । उनको हम मोटे तौर पर कहते हैं बेलदार, कुली, राजमिस्त्री, पुताई और रंग रोगन करने वाले, जो बढ़ई होते हैं लकड़ी का जो काम करते हैं, बिजली, पलम्बर, सेनिट्री का काम करने वाले तथा लोहे का काम करने वाले इसी के साथ ही पत्थर खदानों, चूना भट्टियों में जो काम कर रहे हैं । दूसरे भी पत्थर तोड़ सब इसी कोटि में आते हैं ।
- मजदूर :** स्वामी जी, हम ईट भट्टे पर काम करने वाले खदानों में पत्थर और गिट्टी तोड़ने वालों और सड़कों पर जो पत्थर कटते हैं वो भी हम कानून में आयेंगे । इनको भी फायदा मिलेगा ।
- स्वामी जी :** बिल्कुल—बिल्कुल पूरी तरह आयेंगे । आप सभी ईट भट्टों पर काम, और जितने भी पत्थर खदानों में, खानदार जिनको कहते हैं । और जो लोग सड़क बना रहे हैं ये सब निर्माण मजदूरों की गिनती में शामिल होते हैं और आपको गिट्टी पत्थर तोड़ने हैं । आपको इन सारे कानूनों का भी लाभ मिलेगा और एक—एक कार्यक्रमों में हम लोग एक—एक बात खोलकर समझा रहे हैं इनको अच्छी तरह सुनिये आप ।
- मजदूर :** परन्तु स्वामी जी वे कानून हैं क्या ? उनके बारे में तो कुछ बताइये ।
- स्वामी जी :** कानून के बारे में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पहले तो आप इनसे फायदा क्या निकाल सकते हैं । इस बारे में जानिये । यदि मजदूरों की भलाई के लिये उनके कल्याण के लिये इस देश की सरकार ने, संसद में, पार्लियामेंट में अगस्त 1996 में कानून बनाये । इनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिये । 1996 में केवल एक कानून नहीं बना दो—दो कानून बने ।
- मजदूर :** अच्छा स्वामी जी दो कानून बने ।
- स्वामी जी :** दो कानून बने और केवल निर्माण मजदूरों के लिये बने । एक कानून बना, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 और दूसरे कानून का नाम है 'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996' अच्छा जी ये आपको हिन्दी नहीं लगी जो मैं बोल रहा हूं । हिन्दी इसी तरह होती है इन कानूनों का यही नाम रखा हुआ है सरकारी क्रिताबों में ताकि किसी हिन्दी जानने वाले को भी वह समझ में न आये । अब यह जो सरकारी बगला होता है न इसके काम करने के तौर तरीके ऐसे ही होते हैं ।

अब आप लोगों को समझाने के लिये इसे सरल करके बताता हूं। सुनिये एक तो ये है कानून जो भवन अर्थात् जो बिल्डिंगें हैं, मकान हैं और अन्य निर्माण काम में जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं। उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिये। उनके श्रम कल्याण के लिये। जैसे उसमें काम की शर्तें हैं, उनके स्वास्थ्य की बातें हैं, उनकी सुरक्षा की बातें हैं और बाकी जितनी कल्याणकारी सुविधाएं हैं जैसे बीमारी में, इलाज, बुढ़ापे में पेंशन का सवाल है। उनको मकान बनाने के लिये कुछ कर्ज देना है। कुछ सहायता देनी है ये सब बातें इस एक कानून में आती हैं पहले नम्बर के कानून में जो निर्माण मजदूरों के लिये बनाया गया है।

(गीत) – अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है, लूट कैसी भी हो, अब इस देश में रहने न पाये।

आज सबके वास्ते, आज सबके वास्ते धरती, गगन आजाद है।

अब कोई गुलशन न उजड़े अब वतन आजाद है।

ऐपिसोड 24 – प्रसारण तिथि 20–2–2001

विषय : निर्माण मजदूर – 2, भवन और अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996

सूत्रधार :

पिछले अंक में शुरू किये गये सिलसिले को जारी रखते हुए आज फिर हम लेकर आये हैं निर्माण उद्योग से जुड़े मजदूरों के संघर्ष और कानूनों की जानकारी ।

स्वामी जी : नमस्ते मजदूर भाइयो नमस्ते सभी मजदूर बहनों को ।

मजदूर : (समवेत स्वर) नमस्ते नमस्ते स्वामी जी आइये !

स्वामी जी : क्या हो रहा है ये काफी उदासी छायी हुई है । मामला क्या है सब ठीक है तो यदि मजदूरों को अपनी भलाई के लिये इस देश की सरकार ने संसद में, पार्लियामेंट में अगस्त 1996 में कानून बनाये । इनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिये ।

1996 में एक कानून नहीं बना बल्कि दो-दो कानून बने ।

मजदूर : अच्छा स्वामी जी, दो-दो कानून बन गये ।

स्वामी जी : दो कानून बने और केवल निर्माण

मजदूरों के लिये बने एक कानून बना, जो भवन और सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन और सेवा शर्त विनियम) अधिनियम 1996 ।

और दूसरे कानून का नाम है 'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 ।

एक तो है यह कानून जो भवन, अर्थात् जो बिल्डिंगें हैं, मकान हैं और अन्य निर्माण कार्यों में जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं । उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिये उनके श्रम कल्याण के लिये जैसे उसमें काम की शर्तें हैं । उनके स्वास्थ्य की बातें हैं और सुरक्षा की हैं । बाकी जितनी कल्याणकारी सुविधायें हैं । जैसे बीमारी में, ईलाज में, बुढ़ापे में पेंशन का सवाल है । उनको मकान बनाने के लिये कोई कर्ज देना है कोई सहायता देनी है । ये सारी बातें इस एक कानून में आती हैं । पहले नम्बर के कानून में जो निर्माण मजदूरों के लिये बनाया गया है ।

मजदूर : स्वामी जी चाहे निर्माण मजदूर कह लो, कर्मकार कह लो । हमारा तो रोज मालिक बदलता रहता है । कभी ये आज काम कर रहे हैं यहां पर परसों को बम्बई चले जायेंगे फिर कहीं और चले जायेंगे । तो यह फायदा हमको कौन पहुँचायेगा । मालिक देगी, सरकार देगी कौन पहुँचायेगा ये फायदा हमें । इसके लिये पैसा कहां से आयेगा ?

स्वामी जी : हां यह एक सवाल तो आया है । जिसको काफी ध्यान में रखकर असंगठित क्षेत्र के तीन करोड़ निर्माण मजदूर हैं उनकी जो मूलभूत मानवीय सुविधायें हैं जो जरूरी होती हैं हर

इंसान को मानवीय जिन्दगी जीने के लिये और उन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिये और वे अच्छी तरह से मजदूरों को प्राप्त हो सकें, इसके लिए साधन जुटें, इसके लिए उन्होंने दूसरा कानून बनाया । इस दूसरे कानून को जैसे मैंने पहले बताया 'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996' अब इस दूसरे कानून के माध्यम से जितने भी हमारे देश में प्रांत हैं, जितने राज्य हैं उनकी सरकारों को यह अधिकार दिया गया है अब ये सरकार ने उसमें एक सीमा बांध रखी है और कहते हैं कि जिस बिल्डिंग की, जिस निर्माण की लागत 10 लाख रुपये से अधिक है । वहां निर्माण मजदूरों के कल्याण के एक शैस लगाया जायेगा शेरू तो कह देते हैं अंग्रेजी में, शुद्ध हिन्दी में कहते हैं उपकर मतलब छोटा कर, छोटा टैक्स और वेलफेर टैक्स । तो ये इस प्रकार जो है ये पूरा का पूरा जो छोटा टैक्स है उपकर ये कुल लागत पर एक प्रतिशत की दर से इकट्ठा किया जाता है ।

मजदूर :

अच्छा स्वामी जी यह जो कल्याणकारी उपकर है । ये मकान जो अपना रहने के लिये बनाते हैं घर उन पर जो रेल लाईन बिछाते हैं और जो नहर बना रहे हैं और कोई लोग बिल्डिंग बनाते हैं उन पर भी लागू होगा और ये कहां से इकट्ठा करेंगे ये सब पैसा जो आप बता रहे हैं ।

स्वामी जी :

अब बात को जरा ध्यान से सुनो, जरा पूरी तरीके से सुनो, मैं यह समझा रहा था आपको कि ये जो निर्माण कार्य हैं, ये चाहे प्रांतीय सरकार करवाये या फिर ग्राम पंचायत करवाये, केन्द्रीय सरकार करवाये कोई भी । या जैसे कोई विभाग होते हैं । सरकार के रेलवे का विभाग है, फौज के, बड़ी-बड़ी सड़के बनती हैं ये सी०पी० डब्ल्य००डी० वाले हैं या फिर किसी प्राईवेट बित्टेस के द्वारा ही कोई कालोनी, मार्केट ये सारी चीजें बनवाई जा रही हैं या फिर कई लोग अपने रहने के लिये बनवाते हैं । मकान, दुकान, कारखाने ये सबके सब अपने सभी प्रकार के निर्माण कार्य बना रहे हैं वो उसका वो लागत निकालेंगे कि इसमें इतना लाख, इतना करोड़ रुपया लगेगा । उसका उनको एक प्रतिशत अलग से निकालकर के देना होगा जिसमें मजदूरों के कल्याण के लिये केवल उनकी भलाई के लिये वो पैसा खर्च किया जायेगा । अब यहां पर एक बात और अच्छी तरह समझने की है । कि इस कानून की जो कमी है । जहां इन्होंने शर्त लगा रखी है न ये कि दस लाख से अधिक का निर्माण कार्य होना चाहिये ये कुछ न कुछ घोटाला है । ये कानून बनाने वाले कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं । ताकि गरीब मजदूर को छोटे मकान बनाते समय, या छोटी कोई चीज बनाते समय, उनको इस बात का फायदा न होने पाये ।

अजी हम कह देंगे कि हम तो दस लाख से कम में मकान बना रहे हैं ।

स्वामी जी :

बस यही झगड़ा है । इसीलिये तो हम लोग काफी संघर्ष कर रहे हैं । हम लोगों ने इस कानून को बनवाने के लिये जहां लड़ाई लड़ी । अब हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये

जो कल्याणकर है, सभी निर्माण कार्यों पर वसूल किया जा रहा है इसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिये । 10 लाख, पांच लाख, दो लाख, कुछ भी सीमा नहीं होनी चाहिये । जो मजदूर काम कर रहा है । और उसके लिये कुछ न कुछ, एक परसेंट, दो परसेंट उसका हिस्सा अलग से निकालकर के रख दिया जाना चाहिये ताकि वो मजदूरों की भलाई के लिये खर्च में आ सके ।

मजदूर : स्वामी जी ये जो पैसा इकट्ठा होगा । इस पैसे का क्या होगा, इसका हमें क्या लाभ ? किस प्रकार हम इसका फायदा उठा पायेंगे ।

स्वामी जी : आपको अभी बताया मैंने कि इसका लाभ आपको मिलेगा ।

देखिये तमिलनाडु है हमारे देश का एक हिस्सा, वहां निर्माण मजदूर पंचायत संगम हैं और इस मजदूर पंचायत संगम का मतलब हुआ कि सारे तरीके के जो निर्माण मजदूर हैं । इसमें संगठित होकर के संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने अपनी ताकत के बल पर इस कानून को लागू करवा लिया है ।

मजदूर : अच्छा जी !

स्वामी जी : अब जब भी कोई दुर्घटना होती है वहां और मर जाये कोई मजदूर तो एक लाख रुपया तत्काल, एकदम तुरंत, मुआवजा मिलने लग गया उनको, शुरू हो गया ।

मजदूर : एक लाख रुपया !

स्वामी जी : एक लाख रुपया एक मजदूर के मरने पर तुरंत मिलने लगा है ।

मजदूर : तब तो बाल—बच्चे पल सकते हैं जी बाद में ।

स्वामी जी : निर्माण की जो और गतिविधियां हैं । इन कामों पर लगने वाली कुल लागत पर लगने वाला ये कल्याण का जो टैक्स है ये दुर्घटना होने की स्थिति में, मजदूरों के जो परिवार वाले हैं, जो इस मजदूर के ऊपर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं । उनको तत्काल सहायता देने के लिये है ।

अब बुढ़ापे में मान लीजिये कोई मजदूर बूढ़ा हो गया और 60 वर्ष उम्र हो गई तो इस तरीके से आज तक क्या था कि सरकारी कर्मचारियों को तो पेंशन मिल जाती थी रिटायर्ड होने पर । ठीक है न ।

मजदूर : हां जी बिल्कुल ।

स्वामी जी : लेकिन किसान मजदूर के लिये कोई इस तरह का प्रावधान नहीं था, हमारे देश में ।

मजदूर : अजी सोच भी नहीं सकते थे ।

स्वामी जी : इस कानून में पहली बार यह आया है कि जो निर्माण मजदूर जिनका नाम मैंने अभी लिया इस तरह के जैसे बेलदार हों और मिस्त्री कोई भी हों ।

मजदूर : ईट भट्ठे वाले भी जी ।

स्वामी जी : ईट—भट्टे वाले भी । जब उनकी उम्र 60 साल की हो जायेगी तो उनको इसी कल्याणकर में से, इसी फण्ड में से पेंशन देने के लिये भी योजना बनाई गई है ।

मजदूर : ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ।

स्वामी जी : अब 60 साल का बूढ़ा तो कमा नहीं सकता अब मान लो उसका बेटा है, नहीं है ठीक—ठाक वो कमाये नहीं, कुछ खिलाये नहीं, तो बूढ़ा तो वैसे ही भूख से मर जायेगा तो उसके लिये पेंशन की व्यवस्था की गई है और उसमें ये फंड जो है वो इस्तेमाल आयेगा । अब मजदूर जो है अपना सिर छुपाने के लिये खुद भी कोई घर बनाना चाहता है ।

मजदूर : अजी झोपड़ी में ही रहवें हैं हम तो घर क्या जी

स्वामी जी : सारी जिन्दगी दूसरों के लिये मकान बनाते—बनाते मजदूर मर जाता है । पत्थर तोड़ते—तोड़ते, ईट पकाते—पकाते मर जाता है लेकिन अपने लिये कोई मकान बना नहीं पाता । यदि एक मकान छोटा भी बनाना हो तो उसमें बीस, तीस, चालीस, पचास हजार रूपये तो लग ही जायेंगे और वो पैसा कहां से आयेगा, कौन देगा, कर्जा कौन देगा, उधार कौन देगा ?

मजदूर : अजी हम तो झोपड़ी में ही मर जावें हैं, झोपड़ी में ही पैदा होते हैं ।

स्वामी जी : इसी के लिये अब सोचा गया है इस कानून के अंतर्गत कि वो मजदूर अपना मकान भी बनाना चाहे, तो इस फण्ड में से इस राशि में से, उसको भी उधार मिल सकता है ।

मजदूर : अच्छा, अब हम अपना मकान भी बना सकते हैं ।

स्वामी जी : मकान ही नहीं, मकान के अलावा अब आपको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है ठीक ढंग से ।

मजदूर : स्वामी जी, हम भी अफसर बनाना चाहते हैं अपने बाल—बच्चों को ।

स्वामी जी : अफसर तो क्या बना पाओगे, कम से कम थोड़ा भी पढ़ाना चाहो । तब भी सोचकर देखों । आजकल पढ़ाई लिखाई भी काफी खर्चीली हो गई । अब उसके लिये भी आपको पैसा चाहिये, उधार लेना है तो आपको इस फंड से ये सारी सुविधायें मुहैया हो सकती हैं ।

मजदूर : मजा ही आ गया फिर तो, अब तो जिन्दगी बदल गई हमारी ।

स्वामी जी : नहीं, लेकिन आप ऐसे सोच रहे हो जैसे ये रखे हैं और आप गप—गप खालो, ये पैसे ऐसा नहीं हैं ये । इतनी जल्दी उतावले हो जाते हो आपको लगता है कि अब सब ठीक हो गया । इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं ।

मजदूर : अच्छा जी ।

स्वामी जी : हां जी बिल्कुल । ये खुश होने की कोई खास बात नहीं है । अभी ये जो केन्द्रीय कानून, पहली बात तो यही समझ लो । ये जो केन्द्रीय सरकार ने कानून बनाये तो पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया । 1996 में, अगस्त के महीने में ।

मजदूर : पांच साल हो गये जी पांच ।

स्वामी जी : अब ये साढ़े चार—पांच साल हो गये, अभी तक ये केवल और केवल सरकारी अलमारियों में पड़े हैं और धूल चाट रहे हैं। या फिर बड़ी धीमी गति से जैसे ये कछुआ चलता है न, इस तरीके से ये इनकी चाल है। कहीं पर अन्य राज्यों में, जो राज्य सरकारें, जिनकी जिम्मेदारी है इसको लागू करने की उन्होंने तो इस कानून की सुध नहीं ली है और इसलिये कई राज्यों में तो क्या अधिकांश राज्यों में अब तक यह कानून लागू नहीं हुआ है।

मजदूर : लागू ही नहीं हुआ अभी तक।

स्वामी जी : नहीं, वैसे इन कानूनों में अपने आप में भी बहुत बढ़िया कानून में नहीं समझता, इसमें काफी कमियां हैं। बहुत सी खामियां।

मजदूर : कमियां भी हैं इसमें अभी।

स्वामी जी : कमियां हैं और कितनी सहायता मिलनी चाहिये, कितनी पेशन मिलनी चाहिये, क्या—क्या कल्याण योजनाएं हैं। ये सारी चीजें साफ खोलकर के इस कानून में अभी बताया नहीं है। इसलिए हम सोचते हैं कि इस कानून को अभी और अच्छा बनवाया जाये इसकी कमियों को दूर करवाया जाये।

मजदूर : तब इनका लाभ हम मजदूरों को कैसे मिलेगा स्वामी जी, जब इतनी कमियां हैं इसमें तो?

स्वामी जी : ये सब सोचने की बात है। इनका लाभ तीन करोड़ मजदूरों को मिलना है, तीन करोड़ मजदूरों को, और उनके सास्ते में अभी बड़ी सारी बाधाएं हैं। बड़ी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये काफी संघर्ष करना पड़ेगा, जगह—जगह जो निर्माण मजदूर लगे हुए हैं काम तो कर रहे हैं लेकिन संगठन कोई बना नहीं रखा और यदि संगठन भी यदि कहीं बनाया हुआ है। नामात्र का और संघर्ष कहीं शुरू नहीं हुआ, तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब तक हमारे मजदूर भाई संगठित होकर संघर्ष नहीं करेंगे और प्रांतीय सरकारों पर दबाव नहीं डालेंगे कि भई इस कानून को लागू करो। इसकी मांग के लिये जलसे करें जुलूस निकालें, कुछ झगड़ा करें। कुछ आवाज उठायें, थोड़ी बहुत तब जाकर के ये कानून जो अभी आधे अधूरे हैं अभी पूरे नहीं हैं। हमारी नजर में इनमें अभी कमी है। लेकिन इनको भी पूरा कराने के लिये। आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और हम लड़ेंगे और ता जिन्दगी लड़ेंगे आओ एक बार फिर नारा लगायें कमाने वाला खायेगा, कमाने वाला खायेगा, लूटने वाला जायेगा, नया जमाना आयेगा, नया जमाना आयेगा, जरूर आयेगा।

स्वामी जी : अब ये सारी चीजें मजदूरों को भी पता रहता है जिस समय यह काम हो रहा होता है।

मजदूरों को उस समय भी सवाल उठाने चाहिये। क्योंकि ये जो बड़े मालिक हैं ये पैसे के बल पर गलत काम कर देते हैं।

मजदूर : अजी हमारी कौन सुनता है हम तो खुद दबकर मर जाते हैं लैंटर में। कई बार मरते हैं।

स्वामी जी : नहीं ये तो होता है और इसलिये जब भी ऐसे हालत हो जायें देश के अंदर, तो सबको उसके प्रति मजदूरों के जो परिवार वाले हैं, मजदूर के ऊपर निर्भर होते हैं । आश्रित होते हैं, उनको तत्काल सहायता देने के लिये हैं ।

एपिसोड 25 – प्रसारण तिथि 27-2-2001

विषय : निर्माण मजदूर – 3

1996 के कानून की प्रमुख बातें

सूत्रधार :

क्या आप जानते हैं कि अपने देश की पंचवर्षीय योजनाओं का लगभग आधा बजट पचास फीसदी निर्माण उद्योग में खर्च होता है ?

निर्माण मजदूर अपना खून पसीना बहाकर राष्ट्र और सभ्यताओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं । परन्तु क्या उनके अपने जीवन में कोई सामाजिक सुरक्षा मिली हुई है ?

(स्वामी जी बस्ती में आते हैं, स्वामी जी को देखकर)

मजदूर : स्वामी जी आ गये भी स्वामी जी आ गये ।

(स्वामी जी के आगमन से उत्साहित मजदूर समवेत स्वर में नारे लगाकर स्वामी जी का स्वागत करते हैं)

स्वामी जी : आज तो आप लोग काफी जोश—खरोश में दिखाई पड़ रहे हो । भई मामला क्या है ?

मजदूर : स्वामी जी बात ही ऐसी है आप अच्छे—अच्छे कानून की बात हमें बता रहे हो ।

स्वामी जी : हम आपको और बात बतायेंगे, विस्तार से खोलकर बतायेंगे । आप लोग संघर्ष के लिये तैयार रहे हैं । अपने अधिकारों के लिये लड़ने के लिए तैयार रहे । सब काम ठीक होगा ।

मजदूर : अजी आप तो बस बताते जाओ, हमारे कानून, लड़ तो हम लेंगे अपने आप इकट्ठा होकर ।

स्वामी जी : जो लोग राष्ट्र के लिये और सभ्यताओं के निर्माण के लिये काम कर रहे हैं । ऐसे हैं ये निर्माण मजदूर, जो वास्तव में राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और वही इतने बदहाल हों और वही बेचारे इतने बेबस और लाचार हों । ये कितनी बुरी बात हैं । इसके लिये हम लोगों ने नवम्बर 1985 से एक अभियान शुरू किया । उस समय एक सम्मेलन हुआ ।

ये कानून जो अभी आधे—अधूरे हैं, अभी पूरे नहीं हैं हमारी नजर में, उनमें अभी कमी है । लेकिन इनको भी पूरा करवाने के लिये आपको कुछ संघर्ष करना पड़ेगा । अब ये कानून बन भी नहीं गये अपने आप । कोई संसद में बैठे मेम्बरों को कोई अपने आप सपना नहीं आया कि आओ भई इनके लिये कानून बना दें ।

आप लोगों को पता नहीं हैं मैं यह बताना जरूरी समझता हूँ कि इस कानून को पास करवाने के लिये बारह साल तक, बारह साल सारे देश के मजदूर इधर-उधर बड़ी-बड़ी पंचायत और मीटिंग करके, और सरकार पर दबाव डाला | तब जाके यह कानून बना ।

मजदूर :

स्वामी जी 12 साल का समय ।

स्वामी जी :

अरे ! क्यों 12 साल तो, ये समझ लो कि बारह साल लगे और जो पास हुआ है वो आधा—अधूरा कानून पास हुआ है । अब पिछले साढ़े चार साल बीत गये इसको पास हुए, इसको बने हुए और अभी तक राज्यों की सरकारों ने इसको लागू नहीं किया है ।

आखिर ये हैं क्या चीज ? सरकार क्यों नहीं बनाती समय पर कानून ? और कानून यदि एक बार बना दिया तो उसको लागू क्यों नहीं कराते । ये सब बातें हैं । जिसके लिये हमें बार—बार—बार—बार आप सभी मजदूर भाईयों से यह कहना पड़ता है कि भई जब तक ये आधे—अधूरे कानून भी, जो करोड़ों मजदूरों के लिये बारह साल लम्बा संघर्ष करके बनवाया गया । और इसके पीछे, काफी लोगों ने तपस्या की, काफी लोगों ने साधना की, काफी लोगों ने अपना समय और शक्ति लगायी और इसके लिये कई—कई बार और मुझे तो स्वयं याद है । हमने यहां पार्लियामेंट के सामने दिल्ली में प्रदर्शन किये, मांग की, कई बार प्रांतों की राजधानी में इस प्रकार के प्रदर्शन हुए और हजारों—लाखों लोगों ने दस्तखत करके, प्रधानमंत्री को हमने भेजा और कहा कि जल्दी बनाओ इस कानून को, और जितने भी असंगठित क्षेत्र के करोड़ों निर्माण मजदूर हैं । उनकी दुर्दशा के बारे में हमने अपने नेताओं को बताया उनकी बदहाली के बारे में बताया और कहा कि देखो ! यदि वो चाहे तो हालात बदल सकते हैं । एक कानून बनाकर के नया युग ला सकते हैं ।

हमारे देश के सुप्रीमकोर्ट, जो सबसे बड़ी अदालत है । उसके वो जज थे । उनका नाम है न्यायमूर्ति वी0आर0 कृष्ण अच्यर जी, वहां पर हम लोगों ने उनको बुलाया था, उस सम्मेलन में बुलाया और तमिलनाडु में जो राज्य निर्माण मजदूर यूनियन है और वहां पर जो उनकी नेता हैं । बड़ी जुझारू बड़ी लड़ाकू । वो बहन है हमारी, उसका नाम है गीता और उसके बहुत साथी हैं । बड़े समर्पित हैं और कई तो अच्छे—अच्छे वकील भी हैं । एडवोकेट हैं, ट्रेड यूनियन के नेता वो सबके—सब लोग आये उस सम्मेलन में, और वहीं पर हम लोगों ने ये फैसला लिया कि एक राष्ट्रीय अभियान निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए एक केन्द्रीय कानून बनवाने के लिये हमें चलाना पड़ेगा राष्ट्र भर में, पूरे देश में ।

- मजदूर :** अभियान क्या होता है स्वामी जी ।
- स्वामी जी :** अभियान का मतलब हुआ कि जगह—जगह मीटिंग, जगह—जगह जलसे, जुलूस करके लोगों में जागृति करेंगे, दबाव डालेंगे सरकारों के ऊपर ।
- मजदूर :** समझाना बताना ।
- स्वामी जी :** समझाना बताना ये ठीक कह रहे हो । तो हमारे जो जज साहब थे वी0आर0 कृष्ण अख्यर जी, उन्होंने स्वीकार किया, हम लोगों की प्रार्थना को और वो उसके अध्यक्ष बन गये, उस कमेटी के, और उसके बाद हम लोगों ने जगह—जगह लोगों से मजदूरों से खुद पूछा कि बताओ कानून क्या बने, कैसे बने । ताकि वो सचमुच में लागू हो सके और यह राष्ट्रीय अभियान समिति जगह—जगह पर, हर प्रांत में जा—जाकर अपनी मीटिंगें करने लगी ।
- मजदूर :** हमें याद है जी आप यहां पर भी आये थे पूछने तब वकील थे आप लोगों के साथ में दो—तीन ।
- स्वामी जी :** हम लोग आये थे और उस समय यह जो हमारा बंधुआ मुक्ति मोर्चा है और जो दूसरे मजदूर संगठन हैं ये सबके सब उसमें शामिल हुए थे । हमने मांग की इसके लिये कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अपने अधिकारों के लिये ये कानून मिलना चाहिये । जिस समय हमें यह बनाना था । उस समय हम लोगों ने उसका एक प्रारूप तैयार किया । प्रारूप कहते हैं जैसे एक खाका, एक नकशा, एक उसमें पूरे तरीके से विस्तार के साथ बातचीत करके मजदूर भाई—बहनों से, जगह—जगह बात करके, हमने एक पूरा खाका बना करके दे दिया कानून सरकार को दिया ।
- मजदूर :** मतलब कि ऐसा होना चाहिये कानून ?
- स्वामी जी :** कि ऐसा कानून बनना चाहिये । अब उसकी मांग हम लोगों ने की और उस कानून को बनवाने के लिये जो हमारे देश में पहले, जो भारत सरकार में रह चुके थे श्रमसचिव, उनका नाम है टी0एस0 शंकरन् साहब ये पहले भारत सरकार में श्रम सचिव रहे ।
- मजदूर :** टी0एस0 शंकरन् साहब जी ?
- स्वामी जी :** हां शंकरन् साहब और हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील मित्र हैं वैकटरमणी जी, उन लोगों ने भी अपनी कानूनी जानकारी वैराग्य दी इसके अन्दर बहुत लोगों ने इसमें मदद की और यह सारा प्रारूप बनाकर के एक अच्छा कानून क्या होना चाहिये ये हम लोगों ने पेश किया था । 1986 की पांच दिसम्बर को, लोकसभा में हम लोगों ने वहां की जो एक याचिका समिति होती है उसको देकर के कहा कि ऐसा कानून जल्दी से जल्दी बनाइये ।

अब ये बन गया है तो यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है । इसमें जो हमारे देश की ओर बड़ी—बड़ी यूनियनें हैं । हिंद मजदूर सभा भी है, सीटू है, एटक है, इंटक है, ये भारतीय मजदूर संघ है, और इफ्टू का नाम आपने सुना होगा, हिंद मजदूर किसान पंचायत, निर्माण मजदूर पंचायत संगम है, टी०य०सी०सी०, यू०टी०य०सी०, यू०टी०य०सी० लेनिन सरणी, ए आई सी०सी०टी०य० इस तरह के जितने हमारे देश के बड़े—बड़े मजदूर संगठन हैं । उन्होंने भी अपनी आवाज, इस अभियान के साथ जोड़ दिया । तभी जाकर के सरकारों पर दबाव पड़ा और तभी जाकर के ये जो कानून है हालांकि आधा—अधूरा है । लेकिन ये भी तभी बना जब इतना बड़ा राष्ट्रीय अभियान चला और जिसमें कृष्णअर्यर जी जैसे महान लोगों ने, अपनी आवाज उठायी ।

1986 का दिया हुआ कानून, दस साल तक पड़ा रहा संसद में इधर—उधर होता, होता अब जाके 1996 में अब आप देखिये, 1996 में जाकर के यह पास हुआ ।

मेम्बर पार्लियामेंट भी, बड़े अच्छे लोग उनके अंदर थे कई सारे तो उनके मेहनत के चलते, देर तो हुई लेकिन ये 1996 में जाकर के ये पास हुआ । जब पास हो रहा था । तब संसद सदस्यों ने सवाल उठाये कि ये तो गड़बड़ है । इसके अंदर, पूरी बात नहीं है अच्छी बात नहीं । जो अभियान समिति वालों ने लिखकर दिया था । उसके अनुसार यह कानून नहीं है तो कहा गया कि नहीं कोई बात नहीं है एक बार पास हो जाने दो बाकी जो इसके अंदर कमियां हैं थोड़े बहुत सुधार और करने हैं उनको बाद में कर लेंगे ।

आप लोगों को शायद पता हो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, श्री देवगौड़ा जी । देवगौड़ा जी किसानों के, मजदूरों के बड़े समर्थक थे उन्होंने भी यह सुझाव दिया कि एक बार कानून बन जाने दो । क्योंकि अभी सुधार—सुधार सारी चीजें एक साथ कराने की कोशिश करेंगे तो यह कानून और लटक जायेगा तो इसलिये । उन्होंने कहा कि एक बार तो कानून बन जाने दो मेरे रहते—रहते और फिर आगे हम जो इसके लिये सुधार के लिये संघर्ष कर लेंगे ।

मजदूर : तब स्वामी जी, इसमें सुधार हो पाये क्या ?

स्वामी जी : अब देखो सुधार की बात तो छोड़ो, अभी जो कानून बना भी है आधा—अधूरा जिसको मैं कह रहा हूं ।

मजदूर : अजी कानून के बारे में हमें थोड़ा मोटा—मोटा तो बता दो जी, कौन से कानून हैं स्वामी जी ।

स्वामी जी : अब वो कानून में बता रहा हूं आपको कि जो हम लोगों ने इसके बारे में उसमें सुझाव दिये थे । हालांकि सारे सुझाव मंजूर नहीं हुए । लेकिन अभी जो बन गया कानून, आ गया हमारे सामने रखा है । उसको यदि हम देखने की कोशिश करेंगे । तो इसमें कई चीजें बहुत अच्छी हैं । इसमें पहली बात तो यह है कि सब मजदूर जो भी निर्माण के काम में लगे हुए हैं वो रजिस्टर्ड हों । और रजिस्टर्ड होने के साथ ही, जैसे ही रजिस्टर्ड हुआ मजदूर, उसको सारी सुविधाएं सारे जो इसमें हक दिये हैं । उनके वो हकदार बन जायेंगे । जैसे मान लीजिये ।

मजदूर : हकदार क्या हो स्वामी जी ।

स्वामी जी : हकदार का मतलब जैसे कोई भी बात हो गई जैसे दुर्घटना हो गई अब आपको चाहिये तुरंत सहायता । अब आप उसके हकदार होंगे । अधिकार मिल जायेगा आपको ।

मजदूर : मतलब मांगना नहीं पड़ेगा, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी ठेकेदार से ।

स्वामी जी : भीख नहीं मांगनी पड़ेगी । बल्कि अधिकार पूर्वक आप कहेंगे कि यह कानून हैं, ये करो, ये लागू करो ।

अब ये 60 वर्ष जैसे मजदूर किसी की उम्र हो गई । अब उसको पेंशन मिलना है । अब आप उसके अधिकारी हो गये ।

अब आपको अपना मकान बनाना है । तो पैसा चाहिये, उधार चाहिये आप यहां से ले सकते हैं । आपका अधिकार हो गया । अब ये जैसे सामूहिक बीमा है । अब एक-एक निर्माण मजदूर तो अपना बीमा कम्पनी में जाकर बीमा करवा नहीं सकता । उसकी किश्तें दे नहीं सकता । लेकिन ये जो फंड बन गया । सहायता के लिये इसमें से आप लोगों की सामूहिक बीमा पचास की, सौ की इकट्ठी एक योजना बनायी जा सकती है ।

मजदूर : अच्छा जी ।

स्वामी जी : हां जी, बिल्कुल ।

मजदूर : अच्छा जी वो जो आप शैस फंड बता रहे थे ।

स्वामी जी : हां, वो जो शैस फंड है, वो जो उपकर कहा या छोटा टैक्स कहा । उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उससे आपके ये बीमा योजना भी लागू हो जायेगी आपके बच्चों की पढ़ाई के लिये आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिये, लोन चाहिये, कोई भी और जरूरत पड़ जाये वो भी इसमें से मिलेगा । आपके जो परिवार वाले हैं । अब आपको मान लो चोट लग गई, आप बीमार पड़ गये तब तो सीधे-सीधे मालिक को ही देना पड़ेगा । लेकिन आपके परिवार में दूसरे लोग रह रहे हैं वो

आपके ऊपर निर्भर हैं । उनको भी ऐसी कोई बड़ी बीमारी पड़ गई । जिसमें बच्चे वगैरह की तो बात हैई है ।

मजदूर : अजी बड़ी बीमारी में तो बहुत पैसा लगे हैं ।

स्वामी जी : तो ऐसी बड़ी बीमारी आपकी अपनी हो या किसी आपके परिवार के किसी सदस्य की हो तो उसके इलाज के लिये सरकार इस फंड में से पैसा देने के लिये बाध्य है । उसे देना पड़ेगा इसलिये यह फंड बनाया जा रहा है ।

गरीब मजदूरों के लिये आज तक कानून में कोई प्रावधान नहीं था । अब ये जो निर्माण मजदूर का 1996 का जो नया कानून है इसमें फंड बना दिया और फंड बनाकर कह दिया किसी भी महिला मजदूर को जिस समय कोई बच्चा कोई प्रसूति वगैरह होना हो तो उसमें से वो खर्च ले सकते हैं । इसके अंदर से ।

मजदूर : स्वामी जी ये रजिस्टर्ड निर्माण मजदूर कौन होंगे । उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ और कौन करेगा ?

स्वामी जी : अब देखिये कि अभी मैंने बताया अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जो कानून के मुद्दे हैं, इनके सभी पहलुओं को जानना जरूरी है और इसकी जो चर्चा है वो हम अगली बार करके आपको बतायेंगे । कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कहाँ होगा ।

मजदूरवाणी के अगले अंकों में हम लेकर आयेंगे निर्माण मजदूरों के सवालों पर कुछ और जानकारी ।

ऐपिसोड 26 – प्रसारण तिथि 6-3-2001

विषय : निर्माण मजदूर – 4

महिला दिवस विशेष : नये कानूनों में, औरतों के अधिकारों को जगह

सूत्रधार :

दुनिया की आधी आबादी औरत हैं। क्या औरत के बिना इस सृष्टि, इस दुनिया और संसार की कल्पना की जा सकती है? नहीं ना? तो फिर उसको उसके अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहे?

दो दिन बाद, 8 मार्च को पूरी दुनिया में नारी दिवस मनाया जायेगा। दुनियाभर की औरतें फिर एक बार, अपने अधिकारों की याद दिलायेंगी। अपने अधिकारों के लिये संघर्ष का संकल्प दोहरायेंगी।

क्या निर्माण मजदूरों के लिये बने नये कानूनों में, औरतों के अधिकारों को जगह मिली हैं? क्या उनके जीवन में कोई सुधार होगा?

गीत

आई हैं रे आई हैं – हमने, आई है रे आई हैं,
आई हैं हम सब बहनें, महिला दिवस मनाने—महिला दिवस मनाने,
आई हैं हम सब बहनें, महिला दिवस मनाने—महिला दिवस मनाने,
महिला दिवस मनाने, ओ अपना दिन मनाने।
महिला दिवस मनाने, ओ अपना दिन मनाने।

आई हैं रे आई हैं

खायेंगे आज हम कसमें, मांगेंगे हक हम अपने,
खायेंगे आज हम कसमें, मांगेंगे हक हम अपने,
मांगेंगे हम अपने, लड़कर लेंगे हम अपने—अपने,
आई हैं रे आई है—हमने—आई है रे आई है।

मजदूर : नमस्ते स्वामी जी नमस्ते, राम—राम

स्वामी जी : नमस्ते भाई साहब सब बहनों को सबको नमस्ते

मजदूर : अब जोश—ख्रोश की बात तो है ही स्वामी जी आप इतनी अच्छी—अच्छी कानूनों की बातें हमें बता रहे हैं। हर बार बताते हैं।

स्वामी जी : नहीं हम आपको और बतायेंगे, अच्छी तरह खोलकर बतायेंगे। आप संघर्ष करने के लिये तैयार रहें। लड़ने के लिये अपने अधिकारों के लिये तैयार रहें। सब काम ठीक होगा।

आप लोगों को आज एक अच्छी बात बताना चाहता हूं। आपको बड़ी खुशी होगी आज हमारे बहुत अच्छे नौजवान साथी सुभाष भटनागर जी, हमारे साथ आये हैं यहां पर, आप लोगों से मिलने के लिए और सुभाष जी पिछले 15–16 सालों से, जो निर्माण मजदूर हैं सारे भारत के उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिये अच्छा बनाने के लिए और यह सोचकर के वो भी आखिर मजदूर भी एक इंसान है। और वो एक इंसान की जिंदगी जी सकें। इसके लिये उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया इस संघर्ष में उन्होंने जो न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय अभियान समिति बनाई निर्माण मजदूरों के लिये और उसके लिये केंद्रीय कानून बनवाने के लिये। आज तक इतने साल हो गये। अब आज तक बहुत काम किया है उन्होंने और उस कानून को लागू करवाने के लिये, और पूरा उसमें जो कमियां हैं उनको ढूँढ़—ढूँढ़कर निकालकर ठीक करवाने के लिये हमारे साथी सुभाष जी बहुत काम कर रहे हैं। आओ हम लोग आज हम इनसे ही पूछते हैं कि अरे भई ये कानून तो बनवाये हैं, पर ये लागू क्यों नहीं हो रहे और इन्हें कैसे लागू करवाया जा सकता है।

मजदूर : नमस्ते सुभाष जी, नमस्ते।

सुभाष भटनागर : स्वामी जी आप तो जानते ही हैं जहां कहीं निर्माण मजदूर संगठित हैं और सजग हैं वहां ये कानून लागू हो चुके हैं। जैसे तमिलनाडु और केरल में वहां के निर्माण मजदूर इनका लाभ भी उठा रहे हैं।

मजदूर : स्वामी जी, तमिलनाडु के निर्माण मजदूर इन कानूनों से क्या—क्या लाभ उठा रहे हैं। इस बारे में कुछ जानकारी दें।

मजदूर 2 : क्या—क्या फायदे हुए हैं जी?

स्वामी जी : सबसे पहले तो ये समझ लो कि तमिलनाडु के मजदूरों ने निर्माण मजदूर पंचायत संगम बनाया और इस संगठन को बनाने में जो हमारी बहन है गीता उसके नेतृत्व में एक जोरदार लड़ाई छेड़ी गई धरने दिये, जूलूस निकाले गये और तमाम तमिलनाडु की जितनी राजनैतिक पार्टीयां हैं चुनाव से पहले उनपर इतना दबाव डाला और उनसे ये वायदा ले लिया कि वे सरकार में आयेंगे उनसे से कोई भी पार्टी या मिलीजुली पार्टी यदि सरकार में आयी तो निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिये निर्माण मजदूरों के कल्याण के लिए उन्हें कानून बनाना पड़ेगा।

अब वो जो मजदूरों का जुझारु संघर्ष हुआ। उसका यह फल निकला। ये समझो आप ऐसे ही अपने आप नेता लोगों को सपना नहीं आ गया कि इनके लिये फायदे कर दें। नहीं, वो जो मजदूरों का संघर्ष हुआ उसका परिणाम ये निकला कि तमिलनाडु की सरकार ने 1982 में, शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों, अपना खून पसीना बहाकर जो मेहनत करते हैं ऐसे मजदूरों के कल्याण के लिये, एक कल्याणकारी

कानून बनाया। अब इसका लाभ बाद में निर्माण मजदूरों को भी मिला। इसी कानून के अंतर्गत सरकार ने जितने निर्माण मजदूर हैं उनके लिये कुछ—कुछ कल्याण की भी योजनाएं बनायीं। और अब ये सब भी जिन दो केंद्रीय कानूनों के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। जो 1996 में बना और भारत की संसद ने बनाया था। और उससे भी पहले ही तमिलनाडु के निर्माण मजदूरों को कुछ लाभ मिलने लगे। अब बताओ केंद्र की सरकार कानून बनाये उससे पहले ही प्रांत के मजदूरों को उनके संघर्ष की वजह से, कुछ—कुछ फायदा मिलने लगा था।

मजदूर :

अच्छा जी, उनको पहले ही लाभ मिलने लगा ?

स्वामी जी :

पहले ही मिलने लगा क्योंकि उन्होंने वहां पर संघर्ष पहले छेड़ा। और वो इसलिये मिले जैसा कि हमारे साथी सुभाष भट्टनागर जी ने बताया, कि वहां के मजदूर संगठित थे, जागरूक थे, सजग थे और अपने अधिकारों के लिये जूझे लड़े तब ये सब कुछ तमिलनाडु में संभव हो पाया।

मजदूर :

स्वामी जी तमिलनाडु के मजदूरों को इन कानूनों से क्या—क्या फायदे हुए ?

स्वामी जी :

ये तो आप अच्छी तरह जान लो कि इन कानूनों का जो लाभ हुआ निर्माण मजदूरों को इसके लिये बहुत जरूरी है। कि वो निर्माण मजदूर उनके कल्याण के लिये बने त्रिपक्षीय बोर्ड बना है उस बोर्ड के बोर्डर सदस्य बनें।

मजदूर :

अच्छा जी नाम लिखा गया वहां पर।

स्वामी जी :

नाम लिखा गया वहां उस बोर्ड में और जो भी मजदूर इस बोर्ड रजिस्टर्ड है। बकायदा उनका दफ्तर है वहां पर रजिस्टर हैं वहां पर जाते हैं मजदूर, उसमें नाम दर्ज करवाते हैं। और उन्हीं को फिर ये फायदे मिलते हैं। और फायदों में सबसे बड़ा फायदा तो यह मिलता है कि उन्हें जो मजदूर हैं उन्हें सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ पूरा मिलता है।

अब इसका मतलब ये है कि बोर्ड में रजिस्टर्ड हर एक मजदूर जब दुर्घटना ग्रस्त हो जायेगा तो दुर्घटना बीमा उसके ऊपर लागू हो जायेगी।

मजदूर :

मतलब जब मर जायेगा तो उसे बीमा मिल जायेगा।

स्वामी जी :

हां बीमा मिलेगा। दुर्घटना का शिकार होने पर, मजदूर के घरवालों को मुआवजा मिलेगा जो अलग—अलग जगह दिहाड़ी करने वाले मजदूरों को, आज तक नहीं मिल पा रहा था। अब वो इधर—उधर काम करते हुए किसी दुर्घटना में ग्रस्त हुए और मारे गये। उनको कोई भी इंश्योरेंस, इस तरह की चीज बीमा जैसी चीज उनको नहीं थी। अब जबसे उनका नाम दर्ज होने लगा है बोर्ड के रजिस्टर में, तब उन मजदूरों को यदि उनमें किसी की भी मौत हो गई। तो उनके घरवालों को उनके निकट

सम्बन्धियों को, तुरंत बुलाते हैं, और बताते हैं और उनको नकद सहायता दी जाती है

|

मजदूर : अच्छा जी ! तब तो बोर्ड बहुत अच्छी चीज है ।

स्वामी जी : इसके अलावा देखिये एक और बात में बता रहा हूं आपको, तो बोर्ड में दर्ज हो गया जिस मजदूर का नाम, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई इन सब कामों के लिये भी बोर्ड की तरफ से मदद मिलती है ।

मजदूर : अच्छा बोर्ड मदद देगी ?

स्वामी जी : बोर्ड मदद देगी और इसी तरह, एक और बात सुनो अब ध्यान से सुनो ये सारी बातें, कि हमारे समाज में एक और भी बात है, जरूरी है और वो क्या है ? विवाह—शादी । अब आप लोग मेरी तरह से साधु सन्यासी तो हैं नहीं कि आप लोगों को शादी ब्याह तो कराना ही पड़ता है । तो वो जो निर्माण मजदूर बोर्ड में रजिस्टर हैं । मजदूर साथी का नाम वहां पर हैं, अब उसके जब बेटे—बेटियों की जब कोई शादी होगी, उस समय भी उसको कुछ न कुछ आर्थिक सहायता रूपये—पैसे से मदद दी जाती है ।

महिला मजदूर : स्वामी जी, स्वामी जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं ।

स्वामी जी : जी, पूछो—पूछो क्या बात है ।

महिला मजदूर : बोर्ड में महिला सवालों को भी जगह दिया गया है ।

स्वामी जी : बिल्कुल—बिल्कुल, पूरी तरीके से महिला मजदूरों को इसमें खासतौर से जगह दिया गया है । उसमें उन लोगों को पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जाता है । और एक फायदा और सुनिये एक फायदा है हमारी बहनों को, ये जो हमारी बहन बैठी हैं उर्मिला जी — इनको सब बहनों को बताना चाहिये जाकर के, कि महिला निर्माण मजदूर को, जो उसकी प्रसूति होती है, जच्चा बच्चा का टाईम जब आता है । उस समय उस महिला मजदूर को भी, इस बोर्ड की तरफ से पैसे दिये जाते हैं ।

अब देखिये ये जो बोर्ड बनता है उसमें कोई भी व्यक्ति औरत है, आदमी है, और वो निर्माण के काम में लगा हुआ है । अब जैसे मानों पत्थर खदान में, ईट के भट्ठों में, या सड़क बना रहा है, मकान बना रहा है । कोई भी काम कर रहा है, निर्माण उद्योग से जुड़ा हुआ मजदूर है ।

और वो अपना नाम दर्ज करवाने के लिये जायेगा । तो अपना रजिस्ट्रेशन जैसे उसने करवाया । उसके लिये उसको बहुत थोड़ा सा जैसे कुल 25 रुपया उसको देना होगा । अपना नाम लिखवाने के लिये, दर्ज करवाने के लिये ।

मजदूर : मतलब पच्चीस रुपया देना पड़ेगा ।

स्वामी जी : पच्चीस रुपया देकर वो एक तरह से उस बोर्ड का मेम्बर बन गया उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई । अब देखो अक्टूबर सन् 2000 तक तमिलनाडु में दो लाख तरेसठ हजार से

भी ज्यादा निर्माण मजदूरों ने अपने आपको कल्याण बोर्ड के रजिस्टर में दर्ज करवा लिया ।

आजकल पूरे देश में एक अभियान चल रहा है । पूरे देश के निर्माण मजदूर इकट्ठे हो—होकर के, भारत के प्रधानमंत्री जी को, एक ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं । और उसमें लाखों—लाखों निर्माण मजदूरों के हस्ताक्षर, उनके दस्तखत, उनके अंगूठे वो सब लगवाये जा रहे हैं । और इनके ज्ञापन के ऊपर यदि करोड़ों दस्तखत हो जायें, और वो करके प्रधानमंत्री को इन कानूनों को लागू करवाने के लिये ज्ञापन दे दिया जाये । तो देखिये जो हमारा सपना था और हमारा क्या सपना ? शहीद—ए—आजम भगत सिंह का सपना । कि भई जो दूसरों का मकान बनाता है जिस दिन उसका अपना मकान बनेगा तो भगत सिंह ने कहा था कि उस दिन को मैं समझूँगा कि देश आजाद हुआ है । वो सपना पूरा होगा । और ये हमारे अभियान के साथियों ने फैसला किया है कि 23 मार्च शहीद—ए—आजम भगत सिंह की शहादत का दिन है ।

मजदूर :

हां जी, उनको तो फॉसी लगा दी थी अंग्रेजों ने ।

स्वामी जी :

हां, उनको अंग्रेजों ने फॉसी पर लटका दिया उस नौजवान को और उसने फॉसी का फंदा गले में डालने से पहले नारा लगाया था — इंकलाब—जिंदाबाद, इंकलाब—जिंदाबाद, और कहा था कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये देश आजाद होगा । और इस आजाद हिन्दुस्तान में जो गरीब से गरीब मजदूर होंगे उनके लिये सही कानून बनेंगे । लागू किये जायेंगे और उसके लिये हम लोगों को भगत सिंह को याद करके । 23 मार्च के दिन याद रखिये 23 मार्च, अभी थोड़े दिन रहते हैं इसके लिये । 23 मार्च को सारे देशभर में धरने देने हैं, उसमें बैठना है, दफतरों के सामने सरकार के, और वहां पर बड़ी संख्या में शामिल होना है, ताकि आपकी ताकत दिखाई पड़े । और भगत सिंह को याद करके ये मांग करनी है कि भगत सिंह का सपना साकार करो । सरकार में बैठे हुए नेताओं, अफसरों इस निर्माण मजदूर कानून को अच्छी तरह ईमानदारी से लागू करो ।

निर्माण मजदूरों के संघर्ष और कानून की यह गाथा मजदूरवाणी में सुनना न भूलें ।

गीत

खायेंगे आज हम कसमें, मांगेंगे हक अपने, मांगेंगे हम हम अपने, लड़कर लेंगे हक अपने—अपने आई हैं रे—आई हैं आई हैं रे—आई हैं हमबे—हमबे

ऐपिसोड 27 प्रसारण तिथि : 13 – 3– 2001

विषय :- निर्माण मजदूर 5

तमिलनाडू में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड और उसके लाभ

सूत्रधार :

पिछले अंक में शुरू किए गए सिलसिले को जारी रखते हुए आज फिर हम लेकर आए हैं निर्माण मजदूरों के संघर्ष और कानूनों की जानकारी।

मजदूर: नमस्ते स्वामी जी, आईय, आईय।

मजदूर : स्वामी जी पिछले कई सप्ताह से जो आप हमें निर्माण मजदूरों के कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं | ये कानून लागू क्यों नहीं हो रहे हैं ? और इन्हें कौन लागू करवा सकता है ।

स्वामी जी : भई ये कानून जो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना खोल—खोल करके, समझाकर के और ये जो सवाल आप अब पूछ रहे हैं । आपको मालूम होना चाहिए कि इस सवाल का भी जवाब आप ही के पास है । ये कानून जो इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्ष के बाद बनाये गये और ये आधे—अधूरे हैं मान लिया, कि ये पूरी तरह जैसे होने चाहिये वैसे नहीं हैं कानून, जैसे होने चाहिये थे, लेकिन फिर भी ये लागू नहीं हो पा रहे हैं । इसलिए आप लोग इसको बार—बार ध्यान से सुनिये कि जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे, और संगठित होकर कोई सजग जागरूक और एक अच्छा मजबूत और लड़ाकू संगठन बनाकर के आप आन्दोलन नहीं करेंगे, तब तक आपके अधिकार और आपके कल्याण के कानून आपसे दूर रहेंगे । इन कानूनों का कोई फायदा, आपको तभी होगा जब आप एक मजबूत और लड़ाकू संगठन बनाकर आवाज उठायेंगे । ये बात समझ लो अच्छी तरह ।

मजदूर : स्वामी जी, इन सब कल्याण योजनाओं के लिये पैसा और साधन कहां से आयेगा? कहां से मिलेगा हमें ये कर्ज वगैरह । स्कूल के बच्चों के लिये ।

स्वामी जी : ये जो पैसे अपी मैं आपको बता रहा था, कल्याण बोर्ड के पास होगा । और कल्याण बोर्ड को कहां से मिलेगा ? ये आपने ठीक पूछा । अब कल्याण बोर्ड के लिये एक कानून बना हुआ है कि जिस आदमी को भी कोई बिलिंग सकान, सड़क, पुल कुछ भी बनवाना हैं । तो उसे अपनी कुल लागत बतानी पड़ेगी कि देखिये साहब ये मेरा बजट जो है । इतने लाख, इतने करोड़ रुपये का है और वो जितने का भी उसका टोटल बजट है । कुल खर्च है, उसका वो शून्य दशमलव तीन प्रतिशत, इसका मतलब हुआ आधे प्रतिशत से भी कम, वो उसको कल्याण बोर्ड में जमा करवाना पड़ेगा, काम शुरू करवाने से पहले ।

मजदूर : हर आदमी को जी, जो भी निर्माण करवायेगा ।

स्वामी जी : जो भी करवायेगा जो कहेगा कि मेरे लिये ये बनाओ वो बनाओ । तो बनायेंगे तो जरूर लेकिन इसकी गारंटी होनी चाहिये कि बनाने वाले मजदूरों का हक न मारा जाये । और इसके लिये इस बोर्ड में उसे पहले ही कुछ राशि उसको जमा करनी पड़ेगी ।

मजदूर : सरकार के निर्माण कार्य पर भी यह पैसा वसूला जायेगा ।

स्वामी जी : बिल्कुल सरकार को भी देना पड़ेगा, सरकार कोई इससे बाहर नहीं है । क्योंकि वो भी बहुत बड़ा निर्माण का काम करवाती हैं हमारे देश में, तो सबसे बड़ा निर्माण करवाने वालों जो मालिक है, वो सरकार ही खुद है । सरकार के ऊपर भी यह कानून लागू हो गया है । और इसलिये जैसा हमने अभी बताया शून्य दशमलव तीन प्रतिशत । यदि सौ रुपये का काम करवाना है किसी को, तो उसको तीस पैसे । ये तो बहुत कम हैं जी, मामूली है बिल्कुल ।

मजदूर : नहीं, देखो तो सही, अभी सुनते चलो, उसको सौ रुपये का काम करवाने के लिये, तीस पैसे कल्याण बोर्ड में, मजदूरों के कल्याण बोर्ड में जमा करवाना पड़ेगा ।

मजदूर : कुल तीस पैसे सौ रुपये में ?

स्वामी जी : लेकिन अब देखो इसका परिणाम कितना निकला तमिलनाडु सरकार ने जो अक्टूबर, 2000 में इस कल्याण बोर्ड के लिये पैसा इकट्ठा किया वो आपको जानकर आश्चर्य होगा । पच्चीस करोड़ रुपये इकट्ठे हो गये ।

मजदूर : पच्चीस करोड़ । मतलब तीस पैसे से एक सौ रुपये में इतने पैसे इकट्ठे हो गये ।

स्वामी जी : अब आप सोचो जरा जब आधे प्रतिशत से भी कम की दर पर पौने तीन लाख मजदूरों के लिये पच्चीस करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकते हैं तो इसको दो प्रतिशत की दर से इकट्ठा किया जाये तो अंदाज लगाओ । अरबों रुपये इकट्ठा हो जायेंगे । ये सारे का सारा पैसा इन मजदूरों के कल्याण के लिये । अपने आप पहले बोर्ड में जमा हो जायेगा और बोर्ड फिर हर मजदूर को जिसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो उसके काम केलिये देता रहेगा ।

मजदूर : इस राशि का, इस पैसे का, इस योजना का, कुछ ठोस लाभ भी तमिलनाडु के मजदूरों को मिला है क्या ?

स्वामी जी : अरे भई मिलता नहीं, तो वहां के मजदूर उत्साह के साथ, आज जैसे लड़ रहे हैं । वो क्यों लड़ते और आपको बता रहा हूं मैं, अभी पिछले दिनों 58 निर्माण मजदूर पूरे तमिलनाडु में, कुछ ऐसे 58 निर्माण मजदूर थे अलग—अलग दुर्घटनाओं में वो बेचारे मारे गये । और उनका नाम इस बोर्ड में दर्ज था । कुछ तो ऐसे भी थे अपंग हो गये, घायल हो गये और उनको, उस दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत तुरंत

लाभ मिला । उनको कुल मिलाकर , पच्चपन लाख, पचास हजार रूपया इन मजदूरों को, जिन 58 का नाम मैंने बताया आपको ,उन लोगों को मिला और प्रत्येक मजदूर को कम से कम एक—एक लाख रूपया ।

मजदूर : एक—एक लाख रूपया ।

स्वामी जी : एक—एक लाख रूपया कम से कम मिला इस योजना के अंतर्गत । इस मजदूर की दुर्घटना में मौत होने पर पहले कोई पूछता नहीं था । पता ही नहीं चलता था । इधर—उधर लाश छुपा देते थे । या दो—चार हजार रूपये रिश्तेदारों को देकर भगा देते थे । अब बकायदा बोर्ड में दर्ज है, तो परिवार वालों को बुलाया जाता है, | एक लाख रूपया तत्काल उनको मुआवजा मिल जाता है । अब एक तो हुआ मरने पर एक लाख रूपया दुर्घटना में । यदि अपंग हो गया, धायल हो गया तो उस हालत में भी अब उसकी ताकत पहले जैसी रही नहीं, कमाने की ।

मजदूर : हां जी पैर टूट जाते हैं जी बिल्कुल ।

स्वामी जी : पैर टूट जाये, हाथ टूट जाये, कुछ भी हो जाये तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं कि उसका कितनी कमाने की ताकत कम हुई है उसी हिसाब से उसको मुआवजा भी दिया जाता है ।

मजदूर : स्वामी जी अपना राम पाल है न जी, इसके दोनों पैर टूट गये सातवीं मंजिल से गिर गया था जी इसको भी मिलेगा जी पैसा ।

स्वामी जी : इसको जरूर मिलेगा ।

मजदूर : मतलब बोर्ड में नाम लिखवाना जरूरी है, जी ।

स्वामी जी : और इससे खाली दुर्घटना— दुर्घटना की बात नहीं है । मरने और धायल होने की बात नहीं है । आपके बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़—लिख नहीं सकते । आजकल पढ़ाई—लिखाई बहुत मंहगी हो गई है । लेकिन यदि आपके नाम बोर्ड में दर्ज हैं कल्याण बोर्ड में, तो आपके बेटे—बेटियों को दसवीं कक्षा पास करने पर साढ़े सात सौ रूपया मिलेगा । और बारहवीं कक्षा पास करेंगे तो एक—एक बच्चे को एक—एक हजार रूपये का सहयोग दिया जायेगा । हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और हमारी ये जो निर्माण मजदूर पंचायत संगम है, उसकी तो बड़ी जबरदस्त मांग है कि ये योजना इन गरीब बच्चों के लिये कॉलेज तक होनी चाहिये । और उनके बच्चों को कालेज की शिक्षा के लिये भी पूरा उत्साह दिया जाये । उनको मदद की जाये ये हमारी कोशिश चल रही है ।

मजदूर : स्वामी जी आप मजदूरों के बाल—बच्चों की शादी विवाह में सहायता के बारे में बता रहे हैं ।

स्वामी जी : बता तो रहा था मैं, आप लोगों का तो इसमें भी ध्यान रखा गया है । खाली बच्चों को पढ़ाने की बात नहीं है । आपके घर में कोई शादी—ब्याह करो और उसके लिये वो एक हजार रुपये की सहायता । कोई भी मजदूर साथी शादी करे तो एक—एक हजार रुपये की मदद उनको मिलती है और यदि बोर्ड में नाम दर्ज है महिला मजदूर का । निर्माण मजदूर का और उसके बच्चे को जन्म देना है उसमें तो उसको उसकी जच्छी के लिए 2000/- रुपये की सहायता मिलती है ।

मजदूर : 2000 रुपये ?

स्वामी जी 2000 रुपये उसका बच्चा होने वाला है, तो इसी तरह से अब मान लीजिये यदि उसका काम करते समय कई बार इसी तरह का गिरना पड़ना उसका हो जाये और उसका गर्भपात हो जाये तो उस हालत में भी, उसको दो हजार रुपये की सहायता मिलती है ।

मजदूर : अच्छा यदि एक्सडेंट में गर्भ गिर जाये उसका तो तब भी ये 2000 रुपये उसका मिलेंगे ?

स्वामी जी : हाँ उसको 2000 रुपये मिलेंगे उसे बोर्ड की तरफ से और वो अपना सही ईलाज वगैरह भी कुछ दिन आराम करना हो और इस मदद से वो आराम कर सकती है ।

मजदूर : स्वामी जी दुर्घटना में कोई मजदूर

स्वामी जी : अब ये, आप दुर्घटना की बात तो अलग है लेकिन ये ध्यान रखना कि ये बच्चे के जन्म में पैसे मिलेंगे इस लालच में दबादब बच्चे पैदा करने शुरू मत कर देना ।

(मजदूरों का समवेत ठहाका)

स्वामी जी : तुम लोग अपनी इन्डस्ट्री खोल दो ।

मजदूर : नहीं जी स्वामी जी, अब तो हमारी बस्ती में दो—तीन ही रखते हैं इससे ज्यादा नहीं करते ।

स्वामी जी : बस ये ध्यान रखो, ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिये — दो से ज्यादा तो किसी हालत में नहीं होने चाहिये ।

मजदूर : अजी उमेश तो यूं कहे हैं कि मेरे तो लौड़ियां ही हो गई दो । ये तो रुकता ही नहीं अब चाहे लौड़ियां हों या लोड़े हों, लड़का हो लड़की हों । दोनों परमात्मा की कृपा से संतान मिली हैं आपको । उनको पढ़ाइये—लिखाइये, तैयार कीजिये जिन्दगी में, और ये नहीं होना चाहिये कि रुपये के लालच में कि शादी के लिये पैसा मिल रहा है, बच्चा होने पर पैसा मिल रहा है तो लाओ जी बस यही काम करना शुरू कर दें । ये सब काम नहीं होना चाहिये ।

मजदूर : स्वामी जी दुर्घटना में कोई मजदूर मर जाये तो उसके परिवार को एक लाख रुपया मिलेगा, कफन—दफन के लिये भी कुछ सहायता मिलेगी परन्तु स्वामी जी

कोई निर्माण मजदूर स्वाभाविक मौत पर जाये बूढ़ा होने पर या बीमारी से मर जाये तो उसके घर—परिवार के लोगों को भी क्या इस बोर्ड से कोई सहायता मिलेगी ?

स्वामी जी : देखो जो भी आदमी, जिसका भी नाम दर्ज है बोर्ड में और वो जैसे उम्र पूरी हो गई बूढ़ा होकर के मर गया तो अब उसके ऊपर जो निर्भर हैं उसके परिवार वाले हैं और वो खुद नहीं कमा रहे हैं तो उनको पांच हजार रुपये की सहायता, वो बोर्ड की तरफ से दी जायेगी । और उस बूढ़े का जो आदमी अपने आप मर गया बीमारी से या अपनी उम्र की वजह से, तो उसका अंतिम संस्कार करना है । उसके लिये भी दो हजार रुपये की सहायता ।

मजदूर : अजी कोई जवान आदमी मर जाये बीमारी से या सांप काट ले तो क्या तब भी मिलेगी ये सात हजार ?

स्वामी जी : हाँ । यदि इस प्रकार कोई भी बात हो जाती है । जवान आदमी है और इस प्रकार किसी बेचारे का अकाल मृत्यु हो गई तो उस समय भी उसको यह सात हजार रुपये की मदद जरूर दी जायेगी और शादी मौत बच्चे की पढ़ाई प्रसूति जच्चा—बच्चा ये जो सारी बातें बताई मैंने ये तो बहुत साधारण लग सकती हैं । किन यही समय होता है जब गरीब मजदूर बेचारा । यदि ओर कोई सहायता देने वाला ना हो कोई इस तरह की विपत्ति में खड़े होने वाला ना मिलें तो वो साहूकार के चंगुल में फंसकर के, कर्ज के जाल में फंसकर के बंधुआ बनकर के अपनी, अपने बच्चों की इज्जत गिरवी रख देता है ।

इन सब बातों को मैं इसलिये बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये कानून जो बने हैं इससे आप मदद लीजिये और पूरा फायदा उठाइये और संगठन को तेज कीजियें । जितना संगठन तेज करेंगे । उतना संघर्ष भी तेज होगा । जितना संघर्ष तेज होगा उतना ही आपके लिये ये कानून और अच्छे बनेंगे ।

मजदूर : (समवेत) ठीक कर रहे हैं स्वामी जी आप !

हाँ जी ठीक तो कह रहा हूँ लेकिन तमिलनाडु के निर्माण मजदूरों ने जो रास्ता दिखाया है पूरे हिन्दुस्तान के अलग—अलग जितने प्रांत हैं वहां के मजदूरों को इस रास्ते पर चलने के लिये तैयार होना चाहिये ।

आओ आप मेरे साथ मिलकर के नारा लगाओ लड़ेंगे—जीतेंगे । लड़ेंगे—जीतेंगे ।

बहुत अच्छा, बहुत अच्छा । जरूर—जीतेंगे ।

निर्माण मजदूरों के संघर्ष और कानून की यह गाथा मजदूरवाणी में सुनना न भूलिये ।

बोर्ड जो बने हुए हैं दूसरे राज्यों में वहां—वहां सब मजदूरों को चाहिये कि वहां जल्दी से जल्दी अपना नाम दर्ज करवायें और केवल पच्चीस रुपये देकर के

देखिये कि आपको कितने ज्यादा अधिकार, कितनी ज्यादा सुविधाएं उसमें प्राप्त हो जाती हैं ।

ऐपिसोड न0 – 28 प्रसारण तिथि : 20–3–2001

विषय : निर्माण मजदूर 6 : भगतसिंह शहीदी दिवस पर विशेष

निर्माण मजदूरों के संघर्ष की जानकारी

सूत्रधार :

आज से तीन दिन बाद 23 मार्च है । 23 मार्च भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है । 23 मार्च, 1931 की काली रात को, अंग्रेजों ने भारत माता के महान् सपूत्रो शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की हत्या कर दी । एक दिन पहले ही चोरी से फॉसी पर लटका दिया था ।

उनका सपना, एक ऐसे भारत का सपना था जहाँ सभी भारतवासी इज्जत और सम्मान के साथ, आजाद हवा में सांस ले सकें, जहाँ कोई भूखा, बेघर और लाचार न हो ।

भारत मा के एक और सपूत, जो भारत की आजादी के लिये लड़े, गोवा की आजादी के लिये लड़े और देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिये जूझे, ऐसे नेता डा० राम मनोहर लोहिया का भी जन्मदिन है 23 मार्च । उनका सपना था कि सरकारी कर्मचारी और जन प्रतिनिधि वास्तव में जनता के सेवक बने । वे कहते थे लोकतंत्र में जनता मालिक होती हैं ।

इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर भारत के निर्माण मजदूर अपने हकों के लिये उठ खड़े हुए हैं । उन्हीं के संघर्ष को समर्पित है । यह अंक

गीत

देख के वीरों की कुर्बानी— देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला—

मेरा रंग दे बसंती चोला — मेरा रंग दे बसंती चोला — मेरा रंग दे बसंती चोला

स्वामी जी : मजदूर भाईयो, सबको नमस्ते, राम—राम सलाम, सब लोगों को, आज बहुत बहुत खुशी हुई । एक बार और आप लोगों से मिलने का मौका मिला ।

आजकल पूरे देश में एक अभियान चल रहा है । पूरे देश के निर्माण मजदूर इकट्ठे हो—होकर के, भारत के प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं । और उसमें लाखोंलाख मजदूरों के हस्ताक्षर उनके दस्तखत और उनके अंगूठे वो सब लगवाये जा रहे हैं ।

अब आपकी संख्या करोड़ों में है, करोड़ों हैं आप इस समय भारत के अंदर । अगर सब गिनती की जाये, न जाने कितने करोड़ बनेंगे । कितने होंगे, सुभाष जी इस समय भारत में ।

सुभाष : तीन करोड़ से अधिक ।

स्वामी जी : तीन करोड़, तीन करोड़ के लगभग, तो ये निर्माण मजदूर हैं अकेले । और अगर इनके ज्ञापन के ऊपर यदि करोड़ों दस्तखत हो जायें और वो करके, प्रधानमंत्री को इन कानूनों को लागू कराने के लिये ज्ञापन दे दिया जाये । तो देखिये । जो हमारा सपना था और

हमारा क्या सपना । शहीद—ए—आजम भगत सिंह का सपना कि, भई जो दूसरों के लिये मकान बनाता है, जिस दिन उसका अपना मकान होगा, तो भगत सिंह ने कहा था कि उस दिन मैं समझूँगा देश आजाद हुआ है ।

अब जैसे मैंने पहले बताया था निर्माण मजदूरों के लिये केन्द्रीय कानून बनवाने के लिये संघर्ष कर रही है । एक राष्ट्रीय अभियान समिति । उसने कानून का एक प्रारूप बनाया था । प्रारूप का मतलब होता है उसका एक खाका बनाया । कि भई उसमें क्या—क्या होना चाहिये । उसमें उन्होंने ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी । उन्होंने कहा कि कानून तो इस देश में न जाने कितने बनते रहते हैं ।

मजदूर : अजी हजारों ।

स्वामी जी : हजारों कानून रोज बनाकर के निकालते रहते हैं । लेकिन वो लागू नहीं होते, अब लागू न हों तो उस कानून को लेकर क्या करेगा मजदूर — चाटेगा । क्या करेगा ?

तो इस बारे में ये जो अभियान समिति थी । इसने काफी—काफी इस बारे में, सलाह की लोगों से, कानून दा लोगों से, हमारे वैकटरमणी जी से सलाह की, जो वकील हैं । दूसरे शंकरन् साहब से की । जो पहले भारत सरकार में बड़े ऊंचे अधिकारी थे । ऐसे सब लोगों से पूछकर के जांच करके । दूसरे कानूनों को देखा, जहां पर कुछ नई बात है, लागू कराने की, उसमें तौर—तरीके हैं । इस काम की जिम्मेदारी, जवाबदेही होनी चाहिये कि ये कानून बने तो लागू भी जरूर हों ।

मजदूर : अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा । संगठन बनाकर आवाज उठानी पड़ेगी ।

स्वामी जी : हां, ये जो भगत सिंह ने कहा था कि बहरी कानों को सुनाने के लिये धमाका करते रहने की जरूरत है । इसको हमेशा याद रखो । और राष्ट्रीय अभियान समिति अपने क्षेत्र में, जितने भी संसद् सदस्य हैं, मेम्बर पार्लियामेंट और जो विधान सभा के सदस्य हैं उनके ऊपर भी वो चाहती है कि दबाव डाला जाये ।

मजदूर : विधायकों पर जी ।

स्वामी जी : विधायकों पर डाला जाये, सांसदों पर डाला जाये । उनको कहा जाये कि जल्दी से जल्दी 1996 के जो कानून, उनमें जो कमी है । उनको ठीक किया जाये, उनको बदला जाये । जिसके लिये अब पूरे देश में, यह अभियान चल रहा है और जैसे मैंने कहा 23 मार्च, याद रखना ।

मजदूर : 23 मार्च ।

स्वामी जी : 23 मार्च, 23 मार्च इसलिये मैं कहा रहा कि ये शुरू हो चुका है । ये जो नया साल आया है । 2001 इसकी 23 जनवरी से, 23 जनवरी का दिन पता है न क्यों ? हम लोग मनाते हैं, पूरे देश में ?

मजदूर : सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिन है जी मेरे ख्याल में ।

स्वामी जी : हां । उस दिन आप सब लोगों ने मीटिंग की थी यहां पर । हम लोग आये थे यहां पर ।

मजदूर : आप आये थे स्वामी जी ।

स्वामी जी : हमने बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने नारा दिया था । तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा । और नेताजी के संघर्ष की वजह से ये देश आजाद हुआ । तो उस दिन से शुरू हो गया ये अभियान पूरे देश में चल रहा है और 23 मार्च तक चलेगा । और देश भर के तमाम् निर्माण मजदूर, एक नई चेतना के साथ एक नये विश्वास के साथ कि लड़कर के कुछ लिया है और आगे लेंगे ।

ये अहसास लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं । 23 मार्च की तरफ । ये दोनों तारीखें हमारे देश के लिये हमारी जनता के लिये । हमारे गरीब बहन—भाईयों के संघर्ष के लिये । बहुत जरूरी हैं । सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्मदिन, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे । और उनका जन्मदिन हमारे लिये प्रेरणा का दिन है । उन्होंने, अंग्रेजी हकूमत को तोड़ा । उसको गिराया, उसके खिलाफ उन्होंने पूरे, देश के अंदर नौजवानों की धमनियों में, एक गर्म—गर्म खून दौड़ाया ।

मजदूर : अजी, दिल्ली चलो का नारा दिया था उन्होंने—दिल्ली चलो ।

स्वामी जी : दिल्ली चलो । बर्मा के जंगलों से उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो—लालकिले की तरफ चलो और वो लालकिले की तरफ चलों ओर वो लालकिले पर आज हमारा झंडा फहरा रहा है । तो सुभाषचंद्र बोस को याद करो । 23 जनवरी और इस साल और अगले साल फिर हमें मनाना है । और 23 मार्च देखिये क्या गजब की बात है कि 23 और 23 मार्च को, समाजवादी जो हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता हुए डा० राम मनोहर लोहिया उनका जन्म हुआ था । और उन्होंने तो और एक कदम आगे बढ़कर कह दिया था कि एक बार सरकार बन जाती है तुम्हारी वोट डालते हो, चुनाव हो गया । सरकार बन गई । तो ये चुपचाप मत बैठे रहो कि जी कि हमारी सरकार है वही करेगी जो कुछ करना है । सही—गलत करे । हम चुपचाप बैठेंगे नहीं, उन्होंने कहा जो जिंदा कौमें होती हैं । वो पांच साल के लिये इंतजार नहीं करती । हां

मजदूर : अच्छा ! जिन्दा कौमें पांच साल इंतजार करतीं ।

स्वामी जी : कि अगले पांच साल के बाद आयेंगे जी, वोट मांगेंगे तब बतायेंगे । नहीं । यदि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो उसको अगले चुनाव तक चुपचाप मत चलने दो, अपना आंदोलन तेज करो । संघर्ष को तेज करो । और चुनाव से पहले—पहले ही ऐसी निककमी सरकार को अपने आंदोलन के सहारे से गिरा दो, पीछे खींच लो और कहो कि तुम्हें इस तरीके से राज करने के लिये नहीं भेजा था । ये नारा ये विश्वास डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था । वो समाजवादी नेता थे । हमारे देश के, उनका भी जन्म 23 मार्च

को हुआ । और 23 मार्च के बारे में, मैं जैसा अभी बता रहा था, शहीद—ए—आजम भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई ।

मजदूर : शहीदी दिवस ।

स्वामी जी : शहीदी दिवस । 23 मार्च को उन्हें, रात्रि के तट पर उन्हें अंग्रेजों ने, चुपचाप अंधेरे में ले जाकर रात को फांसी के फंडे पर लटका दिया । लेकिन भगत सिंह ने उस समय कहा था । कि मुझे इस प्रकार से मौत के घाट उतार करके तुम चाहते हो, तुम सोचते हो कि तुम देश के ऊपर अपनी गुलामी थोपकर के रखोगे । ये नहीं हो सकेगा । कभी न कभी ये देश आजाद होगा । और उस दिन, जब देश आजाद होगा । इस देश की जनता अपने संगठन के बल पर, अपनी आजादी के बल पर अच्छे संगठन के बल पर, अपनी आजादी के बल पर अच्छे से अच्छे कानूनों को लागू करवाकरके रहेगी । अपनी किस्मत और अपने बच्चों की तकदीर बदलकर के रहेगी ।

तो इसलिये आज हमें इन महापुरुषों को याद करके । चाहे वो नेताजी सुभाषचंद्र बोस हैं । डा० राम मनोहर लोहिया हैं, शहीद—ए—आजम भगत सिंह हैं । और राजगुरु, सुखदेव इनको भी उसी दिन फांसी दी गई थी । अब इन सबको याद करते हुए हमें चाहिये । कि अब ये जो अभियान चला है पूरे देश में निर्माण मजदूरों का, इसके हस्ताक्षर अभियान में जुट जाये । दस्तखत करवायें । लोगों से अंगूठा लगवायें । जितने लाख करोड़ लोगों से हम करवा लेंगे और प्रधानमंत्री को जब ये देंगे तो हमारी ताकत उस समय सामने आयेगी । सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये कुछ चंद लोग नहीं हैं । इनके पीछे करोड़ों की ताकत है । कानून हमने बनाया है । तो लागू करना पड़ेगा । अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो उनको भी दूर करना पड़ेगा । इस प्रकार से ये कानून आपके फायदे में कारगर सावित होगा ।

मजदूर : अजी मजदूर प्रतिनिधि तो खुद मजदूरों में चेतना ही नहीं जगाते । उनके लिये बोर्ड वगैरह के सदस्य कैसे बनेंगे ।

स्वामी जी : अब ये सारी चीजें मैं अगली बार बताऊंगा । जैसे हम लोग आज तक बात करते आये हैं । फिर मैं आऊंगा किसी दिन, आप लोगों के बीच में, तो हम लोग फिर सब इस बात को करेंगे ।

लेकिन अब तो इस अभियान को जो राष्ट्रीय अभियान समिति ने शुरू किया है । इसको लागू करने के लिये आपलोग मुद्दी भींचो और निकल पड़ो ।

और इसलिये एक बार फिर लगाओ नारा — कमाने वाला खायेगा ।

स्वामी जी : अरे भई खाना है तो जरा जोर से आवाज लगाओ ।

कमाने वाला, खायेगा

इंकलाब—जिन्दाबाद

गीत

देख के वीरों की कुर्बानी— देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला—
मेरा रंग दे बसंती चोला — मेरा रंग दे बसंती चोला — मेरा रंग दे बसंती चोला

जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पर,
जिसे यहां पर झांसी की रानी ।
आज उसी को पहन कर निकला हम मरतों का टोला —
मेरा रंग दे बसंती चोला — देख के वीरों की कुर्बानी— देख के वीरों की कुर्बानी,
अपना दिल भी डोला—
मेरा रंग दे बसंती चोला — मेरा रंग दे बसंती चोला — मेरा रंग दे बसंती चोला

निर्माण मजदूरों के संघर्ष और कानून की यह गाथा मजदूरवाणी में सुनते रहें ।

एपिसोड 29, प्रसारण तिथि : 27-3-2001

विषय : निर्माण मजदूर -7

केरल में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड और उसके लाभ

सूत्रधार

23 मार्च को देश भर के निर्माण मजदूरों ने उनके कल्याण के लिये बने केंद्रीय कानूनों को लागू करवाने के लिये । उनमें सुधार करवाने के लिये आंदोलन किया, धरने दिये । इसकी खबरें हमें मिल रही हैं ।

आज हम आपके लिये लेकर आये हैं केरल से एक अच्छी खबर । जहां निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड काम कर रहा है । उससे वहां के निर्माण मजदूरों को क्या लाभ मिल रहे हैं ।

(स्वामी जी को आता देखकर मजदूर उत्साहित हो उठते हैं ।)

मजदूर : अरे—अरे स्वामी जी आ गये स्वामी जी भई स्वामी जी ।

(सभी मजदूर समवेत स्वर में नारे लगाते हैं)

इंकलाब—जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद

कमाने वाला खायेगा, कमाने वाला खायेगा, लूटने वाला जायेगा, नया जमाना आयेगा ।

स्वामी जी : वाह—वाह जरूर आयेगा और बहुत जल्दी आयेगा । बहुत खुशी हो रही है आपको इतने जोश—खरोस में देखकर ।

मजदूर : स्वामी जी नमस्ते—नमस्ते ।

स्वामी जी : नमस्ते भाई साहब सब भाइयों को सब बहनों को ।

मजदूर : स्वामी जी आपने केरल का नाम लिया था । क्या केरल में भी निर्माण मजदूरों के कल्याण के कानून लागू हो रहे हैं ।

स्वामी जी : हां, आपने ये बहुत अच्छा पूछा । केरल तो एकदम दक्षिण में है । भारत के एकदम कोने में, नीचे से नीचे जहां लंका है न, श्रीलंका जो रावण की लंका कहते हैं । उसके नजदीक है केरल का प्रांत । बहुत ही सुन्दर है । अभी में हाल ही में होकर आया । कोचीन गया था । और भी कई जिलों में इधर—उधर कई जिलों में घूमकर के आया मैं, इतना सुंदर है । और भी खास बात यहां सब औरत हों, आदमी हों और बच्चे सब पढ़े—लिखे हैं । कोई भी अंगूठा छाप । अब आप लोगों जैसा वहां कोई अंगूठा छाप नहीं है । सब पढ़े—लिखे भी हैं ।

मजदूर : मैं तो रोज कहता हूं इनको कुछ पढ़ लिख लो शाम को क्लास लगती है आपकी ..

स्वामी जी : ये तो बीड़ी हुक्का पीते बैठे रहेंगे । ताश खेलेंगे लेकिन यही टाईम यदि ये लोग पढ़ने—लिखने में लगा दें तो ये कभी भी

मजदूर : अजी उर्मिला जी को भी मैंने कही है कि पढ़ लो ।

स्वामी जी : हां पढ़ना चाहिये । बहनों को पढ़ने से तो ज्यादा फायदा है ।

मजदूर : आओगी न उर्मिला जी शाम की क्लास में

उर्मिला : आयेंगे ।

स्वामी जी : तो बहन अपने गोद के बच्चों को भी अभी से तैयार करो पढ़ाने—लिखाने के लिये । पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है । देखो केरल से हमको ये सबक मिलता है कि वहां के लोग बहुत जागरूक हैं । गरीब से गरीब मजदूर भी इतना जागरूक है । इतना संगठित है और वो इतना संघर्ष करते हैं कि केरल की सरकार ने 1989 में, एक कम नब्बे, उस साल में उनके लिये एक कानून बनाया । और 1990 में एक साल के बाद कल्याणकारी योजनाएं भी बना दी ।

मजदूर : अच्छा जी 96 से पहले ही बना दी ।

स्वामी जी: बहुत पहले ही बना दी । ये ही बात है, वहां के जागरूक मजदूरों ने संघर्ष करके, केरल में अपने फायदे के लिये कानून बनवा लिया ।

अब ये कानून 1996 में केन्द्र सरकार ने जो बनाया है उससे भी ज्यादा अच्छा है । केन्द्र सरकार तो पीछे—पीछे चल रही है और राज्य सरकारें उन मजदूरों की वजह से जो जागरूक हैं उनके आगे—आगे चल रही हैं ।

मजदूर : अच्छा जी । क्या केरल में भी कोई बोर्ड बना है जी ? क्या वहां भी निर्माण मजदूरों को अपने नाम दर्ज करवाने पड़ते हैं ?

स्वामी जी : बिल्कुल—बिल्कुल—बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड बना है । और मैंने जो वहां के बारे में सूचना दी है आपको, वो तो दो साल पुरानी है । अब इन दो साल पहले तक, मतलब पहली मार्च 1999 तक वहां 6 लाख 32 हजार के लगभग निर्माण मजदूरों के नाम बोर्ड में दर्ज हो गये, रजिस्टर्ड हो गये । वो उसके मेस्बर बन गये । अब वहां निर्माण मजदूरों की 26 श्रेणियां जैसे अलग—अलग कोटि होती है ना राजमिस्त्री, बढ़ई, लौहार इस प्रकार के 26 अलग—अलग श्रेणियां बनायी गई हैं । और बहुत अच्छे तरीके से वहां उनके कल्याण के लिये फंड भी इकट्ठा हो रहा है । तुम्हें पता है कितना इकट्ठा हो रहा है आपको बता रहा हूं मैं, । पिच्चासी करोड़ पचास लाख रुपया ।

मजदूर : पिच्चासी करोड़ !

स्वामी जी : हाँ जी, अब ये कोई कम पैसा नहीं है । पिच्चासी करोड़ पचास लाख रुपया वहां बोर्ड में इकट्ठा किया जा चुका है ।

मजदूर : स्वामी जी आप बता रहे हैं कि करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया इसका कुछ लाभ निर्माण मजदूरों को भी मिल रहा है क्या ?

स्वामी जी : और—और किसके लिये इकट्ठा हो रहा है । यहीं तो बात समझने की है । अच्छी तरह सुनो और ये बात समझो कि अधिकारों को जानने के लिये बहुत उतावला रहना चाहिये, तैयार रहना चाहिए । अच्छी बात है । ये जो आप पूछ रहे हो । ये पिच्चासी करोड़ और पचास लाख रुपये मजदूरों के कल्याण कोष में इकट्ठा हुआ है । उसमें से सात करोड़ चालीस लाख रुपया, मजदूरों के कल्याण कार्यक्रमों में और बोर्ड को चलाने की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके रखरखाव के ऊपर खर्च हुआ है ।

मजदूर : साढ़े सात करोड़ रुपया खर्च भी हो गया ?

स्वामी जी : साढ़े सात करोड़ रुपया वहां के गरीब मजदूरों को दिया गया है और यह काम बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है ।

आज मैं आपको और खुशी की बात बताता हूँ कि केरल में, 15 हजार चार सौ अस्सी से भी अधिक निर्माण मजदूरों को बूढ़े हो जाने पर, उनको पेंशन मिल रही है ।

मजदूर पेंशन मिल रही है ये तो कभी नहीं सुना हमने !

मजदूर 2: ये कैसे हो सकता है ! ये तो कभी नहीं सुना था ।

स्वामी जी : ये सरकारी अफसर, दफ्तर में काम करने वाले, ये तो पेंशन ले जाते थे । लेकिन गरीब मजदूर कभी सपने में नहीं सोच सकता था ? बुढ़ापे में कभी पेंशन भी मिलेगी कभी ?

मजदूर : आजी हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा ।

स्वामी जी : बुढ़ापे में कभी पेंशन भी मिलेगी कभी किसी ने सोचा ।

मजदूर : आप सच कह रहे हैं स्वामी जी ?

स्वामी जी : मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ । । अब देखो वहां पन्द्रह हजार चार सौ अस्सी ये गरीब मजदूर जो पत्थर तोड़ते हैं, सड़क बनाते हैं, मकान बनाते हैं । ये बूढ़े हो गये । जैसे उनकी बुढ़ापे की उम्र हुई है वहां इस बोर्ड से उनको बकायदे हर महीने पेंशन मिल रही है ।

मजदूर : औरतों को भी मिलेगी क्या ?

स्वामी जी : औरत या आदमी क्या मजदूर नहीं होते ? बिल्कुल होते हैं । औरत को भी उतना ही मिलेगा जितना आदमी को मिलेगा । अब जिन लोगों ने अपनी जवानी में अपना खून और पसीना दिया । राष्ट्र का निर्माण किया । तो आज राष्ट्र की, सरकार की सबकी जिम्मेदारी है कि वो बुढ़ापे में इज्जत के साथ दो रोटी खा सकें । अपने घर में बैठकर के और केरल में चौदह कल्याण योजनाएं चल रही

है, चौदह की चौदह योजनाएं मजदूरों को फायदा दे रही हैं | और ये सब संगठन बनाकर के संघर्ष कर—करके उन्होंने हासिल किया है ।

मजदूर : ये चौदह योजनाएं निर्माण मजदूरों के लिये हैं जी ?

स्वामी जी : ये चौदह योजनाएं तो अभी शुरू हुई हैं और संघर्ष जारी है । और कह रहे हैं कि अभी जितना पैसा इकट्ठा हुआ है । साढ़े पिछ्चासी करोड़ और उससे भी कहीं ज्यादा इकट्ठा होने वाला है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ढाई सौ करोड़ रुपया, ढाई सौ करोड़ रुपया ठेकेदार जो निर्माण कराने वाले हैं और मालिकों पर बकाया है ।

मजदूर : अभी बकाया है जी ।

स्वामी जी : हां वो उसको वसूलना चाहते हैं मजदूर लगे हुए हैं । आवाज उठाते हैं । यह ढाई सौ करोड़ रुपया और जमा कराओं । अब जब आप सोचो ये ढाई सौ करोड़ रुपया और आ जायेगा ये पिछ्चासी करोड़ रुपया अभी बताया मैंने आपको तो कितना—कितना पैसा हो जायेगा । कौन सी ऐसी सुविधा है जो निर्माण मजदूर को फिर नहीं मिल सकेगी । ये हैं असली बात निर्माण मजदूर की जो मूलभूत मानवीय अधिकार हैं । जैसे उसका स्वास्थ्य है, जैसे उसके बच्चों की शिक्षा है, उसके बुढ़ापे की पेंशन है । और उसको अपना सिर छुपाने के लिए भी तो घर चाहिये ।

मजदूर : हां जी बिल्कुल चाहिये जी, हम तो झोपड़ी में ही रहते हैं ।

स्वामी जी : अब देखिये जो लोग दूसरों का मकान बनाते—बनाते मर जाते हैं । आज तक आजाद हिन्दुस्तान में उनका अपना मकान भी नहीं था । लेकिन इस निर्माण मजदूरों के कल्याण बोर्ड के बन जाने से केरल में, तमिलनाडु में जहां—जहां मजदूर संघर्ष कर रहे हैं वहां उनके लिए अपने मकान की भी व्यवस्था की जा रही है । और ये इन मजदूरों ने अपने संघर्ष से सिद्ध कर दिया ।

मजदूर : हमारे को भी मिलेंगी ये सारी बातें ?

स्वामी जी : मिलेंगी ! ऐसे ही बैठकर लड्डू खाने से, और ख्याली पुलाव बनाने से नहीं मिलेंगे । इसके लिये जरूरी है अपना संगठन बनाइये, संघर्ष कीजिये और ये जो राष्ट्रीय अभियान समिति चला रही है । इस आन्दोलन को, इसमें सारे मजदूर बड़े पैमाने पर शामिल हो जायें । इसको जो कानून में नया सुधार लाना है । उनको भी सुधार करवायें और इन सारे कानूनों को केवल कागजों में, किताबों में मत रहने दें । बल्कि सड़कों पर लागू करवायें । जिन्दगी को बदलने की कोशिश तो करें ।

मजदूर : स्वामी जी, जब केरल और तमिलनाडु में 1996 में कानून से पहले ही इतने अच्छे कानून बन गये थे । तो फिर राष्ट्रीय कानून के लिए अभियान की क्या जरूरत थी या है ।

स्वामी जी : देखो ये बात अभी बतायी मैंने आपको कि बिना लड़े बिना संगठन बनाये तो कुछ मिला नहीं । संघर्ष वहां वालों ने शुरू कर दिया । सन् 1982 में संघर्ष किया तो तमिलनाडु में एक स्टेट लेबल पर तो राज्य स्तर पर कानून बन गया । फिर इसी तरह केरल वालों ने संघर्ष किया वहां भी कानून बन गया । लेकिन भारत के दक्षिण के दो राज्यों में कानून बन जाय तो इससे तो कोई बात बनने वाली नहीं । तो इसके साथ जरूरत हुई कि पूरे भारत के लिए ऐसा कानून बनवाया जाय । तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं – कृष्ण अर्यर जी, उनसे बातचीत की गई, उनसे अनुरोध किया गया कि इस कानून को पूरे भारत में लागू करवाने के लिये और अच्छा कानून बनवाने के लिये आप हमारा नेतृत्व कीजिये । उन्होंने बहुत टाईम दिया और बहुत जगह–जगह पर गये मजदूरों में उन्होंने भाषण भी दिये उनके साथ बैठकर सलाह मशविरा भी किया और तब जाकर के राष्ट्र के पैमाने पर भारत के स्तर पर एक निर्माण कानून निर्माण मजदूरों के लिये कानून बनाया गया । और यह संघर्ष आज से शुरू नहीं हुआ । ये तो 1985 से ये अभियान चल रहा है निर्माण मजदूरों के लिये अच्छा कानून बने । दो प्रांतों में सफलता मिली है और अब पूरे भारत के स्तर पर भी सफलता मिली है । केन्द्र में भी कानून बन गया । हांलाकि इसमें अभी कुछ कमियां हैं लेकिन संघर्ष अभी जारी है ।

अब ये बातें हैं, अगली बार भी बतायेंगे लेकिन आप लोगों को सारी बातों को सुनते हुए ओरों को भी समझाइये कि ये जो मजदूरवाणी का प्रोग्राम है इसको हमारे बहुत से मजदूर भाई सुन रहे हैं । हमारे पास बहुत सी चिट्ठयां आ रही हैं । हमारे पास लोग आते हैं मिलने के लिये । पहले जिनको पता भी नहीं था हमारे दफ्तर का वो अब आने लगे हैं 7, जन्तर मन्तर रोड पर आने लगे हैं । लेकिन अभी भी बहुत से मजदूर ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं कि ऐसा बंधुआ मुकित मोर्चा के द्वारा कोई मजदूरवाणी प्रोग्राम चल रहा है । जिस समय इतनी बढ़िया बात बतायी जा रही होती है । उस समय हमारे बहुत से मजदूर खाली कोई फिल्मी गाना सुनते रहते या बेकार में खाली बैठे—बैठे बीड़ी पीते बैठे रहते हैं ।

अब सारे मजदूर—भाईयों को चाहिये सारे हिन्दुस्तान भर के मजदूर भाईयों को जो हमारी आवाज सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, संगठित हो सकते हैं । उन्हें मजदूर वाणी प्रोग्राम के लिये बिल्कुल पहले से तैयार रहना चाहिये । आठ बजे

नहीं, मंगलवार की रात को, आठ बजने में पांच मिनट बाकी हों उसी समय रेडियो ऑन करके अपना मजदूरवाणी प्रोग्राम के लिये तैयार हो जाना चाहिये । और पूरी बात सुनकर के यदि उसमें कुछ उनको लगे कि भई ये इसमें ये स्वामी जी ने बताई लेकिन इसमें बात समझ में नहीं आयी । तो फिर अगले दिन ही चिट्ठी डालनी चाहिये । चिट्ठी डालकर अपना सवाल उठायें या उनको लगे कि भई ये कानून उनके इलाके में लागू नहीं हो रहा है तो भी हमें शिकायत करके भेज सकते हैं । हम तत्काल सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं । उन तक उनकी चिट्ठी को उनकी शिकायत को भिजवायेंगे । इसी तरीके से मजदूरवाणी प्रोग्राम जो है वो देशभर के मजदूरों की जो अब तक बेजुबान रहे उनकी आवाज कोई नहीं उठती थी । ये उनकी आवाज बनकर आया है और ये आवाज गूजे । ये आवाज सड़कों पर सुनाई पड़े, ये आवाज मजदूर के दिल में एक नया आत्म विश्वास, एक भरोसा पैदा करे । ये हमारी मंशा है । हमारी इच्छा है । इसके लिए मजदूर भाईयों को चाहिये कि इस प्रोग्राम को चलाये रखने के लिये भी । जो समर्थ हों जो दो-चार, दस रुपये दे सकते हों । उन्हें चाहिये कि हमारे पते पर वो अपनी तरफ से सहयोग के लिए भेजें ।

एपिसोड 30, प्रसारण तिथि : 10-4-2001

विषय : संविधान की पांचवीं अनुसूची

सूत्रधार :

चैत्र के इस महीने में प्रकृति जैसे नाच उठी है । पेड़ों पर हरे कोमल पत्ते, और उनको नचाती हवा, महुआ और पलास के फूलों से सजे पेड़ जिन्हें देख मन नाच उठता है । इस माहौल और प्रकृति की गोद में, हजारों सालों से रहते आये हैं । वनपुत्र—पुत्रियाँ/वनवासी, आदिवासी/— जो अपने जीवन की ताल और लय/ इन जंगल, पहाड़ों और झारने, तालाबों के साथ सदियों से बैठाये हुए हैं । परन्तु आज उनके वहां बने रहने पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं । उन्हें अपना घर—बाहर, झारने, जंगल जमीन छोड़कर, दर—दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं । शहरों में आकर असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करनी पड़ती है ।

क्या हमारे संविधान में हमारे कानूनों उन लोगों कोई सुरक्षा मिली है ?

स्वामी जी : नमस्ते मजदूर भाईयों, नमस्ते सभी बहनों को ।

मजदूर : नमस्ते—नमस्ते स्वामी जी आइये !

मजदूर : स्वामी जी आप गांधी जी की शहादत के दिन इधर आये थे ना जी, आपने प्रार्थना सभा की थी तो उसमें आपने वो जो उड़ीसा में आप गये थे । बच्चे के बारे में बताया था कि आदिवासियों को गोली से मार दिया तो जी, जो वहां पर रहे हैं इतने साल से, उन लोगों का अपनी जमीन पर, जंगल पर, वहां पर कोई अधिकार कानून में नहीं है क्या है ? जो उन्हें इस तरह से पुलिस ने गोली से मार दिया उन्हें ।

स्वामी जी : ऐसा है, उनके अधिकार वगैरह जितने भी गरीब से गरीब हमारे आदिवासी भाई हैं, बहन हैं, उनका अधिकार तो पूरा है । सरकार की तरफ से, उनको इस तरह से गोली से मारने का काम जो हुआ, हम तो मानते हैं कि बहुत गलत हुआ । बहुत ज्यादा गलत हुआ । जितने भी बन हैं, झारने हैं, जंगल हैं, जमीन हैं । उसके ऊपर उनका बुनियादी अधिकार है, खासतौर पर आदिवासियों के लिये तो हमारे देश के संविधान में साफ लिखा है कि जो भी आदिवासियों का इलाका है वहां से आप उनको उजाड़ नहीं सकते वो मालिक हैं वहां के, उनके अधिकारों को बल्कि संविधान में सुरक्षित किया गया है उसको कहते हैं पांचवीं अनुसूची ।

मजदूर : उजाड़े तो रोज जा रहे हैं जी ।

स्वामी जी : जिसको कहेंगे फिफथ शैडयूल या पांचवीं अनुसूची का मतलब हो गया कि इसको कोई छेड़ नहीं सकता चाहे कोई गौरमेंट हो, सरकार हो, कोई भी वहां से उनको उजाड़ नहीं सकती । इतनी ज्यादा मजबूती के साथ उनके अधिकारों को वहां पर

मजदूर : मतलब उनको वहां से कोई हटा नहीं सकता ।

स्वामी जी : और केवल उनकी झोपड़ी को वहां से हटाने का सवाल नहीं है । उनका जो अधिकार वहां के जो प्राकृतिक संसाधन हैं । जैसे परम्परा से उनके बाप—दादों के जमाने से, जो खेती करते चले आये या पशु पालते चले आये । जंगल का, अधिकार है उनका । तो ये सब चीजें उनकी बनी रहेगी । उनको कोई छीन नहीं सकता । अब इस बात को केवल संविधान की पांचवीं अनुसूची में डालकर के चुप नहीं बैठ गये । हमारे देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है । सुप्रीम कोर्ट, उसने एक बहुत बड़ा फैसला दिया ।

मजदूर : अच्छा जी ।

स्वामी जी : यह फैसला आज से तीन—चार साल पहले आया था । 11 जुलाई 1997 को, ये एक बहुत बड़ा, महत्वपूर्ण फैसला आया । और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि जो संविधान में लिखा है । इसको ईमानदारी से लागू करो ।

मजदूर : अच्छा, मतलब ईमानदारी से लागू करो ।

स्वामी जी : ईमानदारी का मतलब हुआ जो जगह, जमीन—जंगल आदिवासियों के नाम पर है । वो उन्हीं की बनी रहेगी । उसको कोई छेड़ नहीं सकता । इस बात की एक तरह से वार्निंग कह लो, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दे दी ।

मजदूर : स्वामी जी, इसका मतलब हुआ कोई अनुसूची क्षेत्र में, आदिवासी को वहां से कोई निकाल नहीं सकता ।

मजदूर 2 : मतलब उन क्षेत्रों से उनको कोई निकाल नहीं सकता ।

स्वामी जी : नहीं, देखिये अब मैं बता रहा हूं आपको कि पांचवीं अनुसूची में संविधान में लिख दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट तो इतना जोर देकर कह रहा है कि विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर, कोई डिवलेपमेंट के नाम पर, आप उनकी जमीनों को, उन गरीब आदिवासियों की जमीनों को गैर—आदिवासी लोगों को नहीं दे सकते । गैर—आदिवासी को दोगे तो शांति भंग होगी । वो उजड़ेंगे और गैर—आदिवासी को देना संविधान की भावना के खिलाफ है । इतनी सख्त बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी । और यहां तक कह दिया है कि अब गैर—आदिवासी का मतलब कोई आदमी हो यह जरूरी नहीं है । किसी कम्पनी को बेच दोगे, किसी और व्यक्ति को, मतलब किसी और संगठन को दे दोगे तो भी वह माना जायेगा कि गैर—आदिवासी को दिया जा रहा है ।

इसलिये सुप्रीम कोर्ट ने तो व्यक्ति और कम्पनी के बीच में कोई भेद—भाव नहीं किया ।

स्वामी जी : मतलब आदिवासी की जमीन किसी दूसरे को गैर—आदिवासी कम्पनी, गैर—आदिवासी पूंजीपति उसको आप नहीं दे सकते चाहे सरकार वहां विकास करे या ना करे । लेकिन जमीन जंगल के उपर उनका अधिकार बना रहेगा । और ये जो आदिवासियों की जमीन है उसमें राज्य की संरचना के माध्यम से ही उसका इस्तेमाल होना चाहिये ।

सुप्रीम कोर्ट साफ—साफ कह रहा है कि राज्य का मतलब सरकार को यह जमीन किसी भी गैर—आदिवासी को सौंपने का कोई अधिकार नहीं है। उसको पट्टे पर भी नहीं दे सकती। बेचना तो दूर रहा।

मजदूर : तब तो स्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदिवासियों के हक में बहुत अच्छी बात कर दी जी। परन्तु फिर भी ये इतनी बड़ी संख्या में, आदिवासी उजड़—उजड़ कर यहां दिल्ली में, या और दूसरे शहरों में क्यों आ रहे हैं। कोई रिक्षा चलाते हैं, कोई पत्थर तोड़ते हैं तो क्यों आ रहे हैं, यहां पर? वहाँ पर जब इनका अपना मकान है, जमीन है। अब इनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर किया। कि केन्द्र में प्रधानमंत्री एक कमेटी बनाकर के, खुद उसके अगुवा होंगे और राज्य में जहां—जहां, जिस—जिस राज्य में, ये कमेटी बनेगी वहां मुख्यमंत्री उसका अगुवा होगा। उनकी अध्यक्षता होगी। और जो कमेटी बना देंगे। उस कमेटी में ये स्पष्ट रूप में लागू किये जायेंगे। और उस कानून में यह साफ है कि इस समय भी जो—जो कल—कारखाने उद्योग—धंधे चल रहे हैं उन कल—कारखानों को उद्योग धंधों का अपनी कमाई में से, उनका जो प्रोफिट है, कमाई है, लाभ जिसको हम कहते हैं। उसमें से बीस प्रतिशत कम से कम, या ज्यादा भी निकाल कर दे सकते हैं। एक तरह से पांचवा हिस्सा उनको निकालकर देना पड़ेगा। किसको? उन गरीब आदिवासियों के लिये सौ रुपये में बीस रुपया उनके पढ़ाई के लिये, उनकी दवाई के लिये, उनके पानी के लिये और मकान आदि इन सब अच्छी बातों के लिये खर्च करना पड़ेगा।

अब ये बातें, संविधान की बात को अच्छी तरीके से सुप्रीम कार्ट ने फैसला देकर के कहा कि प्रधानमंत्री केन्द्र में, और मुख्यमंत्री राज्य में कमेटी बनाकर इन कानूनों को लागू करें।

मजदूर : स्वामी जी, इस निर्देशन में, सरकार ने हमारे लिये कुछ कदम उठाये हैं क्या?

मजदूर 2 : कोई कानून लागू हुए हैं क्या?

स्वामी जी : ये लागू की बात तो मैं आपको क्या बताऊँ मुझे भी खुद बहुत दुःख हो रहा है। यह कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला दिये, इतने साल हो गये। अभी बताया ना क्या था वो ग्यारह सितंबर —————?

मजदूर : ग्यारह जुलाई उन्नीस सौ सत्तानवे बताया आपने।

स्वामी जी : जब भी, उन्नीस सौ सत्तानवे, से ही आज चार साल हो गये। चार साल हो गये, ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला दिये हुए। आजतक उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। और जिनके हाथों में संविधान के द्वारा मिले हुए अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी लगाई है। और आदिवासियों के जो हक हैं उनकी रक्षा करने की जो जिम्मेदारी लगाई है और आदिवासियों के जो हक हैं हकूक हैं। उनकी रक्षा करने का बात कही

गई है । और वही राज्य, वही सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से, ईमानदारी से, निभा नहीं रहा है । अब यही तो वजह है कि वहां से उजड़—उजड़कर आदिवासी बेचारे दिल्ली में, मुम्बई में, शहरों में रिक्षा चलाने के लिए दर—दर की ठोकरें खा रहे हैं । अब गरीब आदिवासी को उजाड़कर आप दूसरों को अमीरों का, ऊँची जात के लोगों का विकास करेंगे ! ये कौन सा कानून है ?

ये गलत कानून है, इस कानून को हम नहीं मानते हैं । यदि सरकार ऐसी कोई गलत हरकत करती है तो हमें बताना पड़ेगा । सरकार को होश में लाना पड़ेगा कि गरीब आदिवासी इस देश का मालिक है । इन आदिवासियों की वजह से ही हम लोग अंग्रेजों को इस देश का मालिक है । इन आदिवासियों की वजह से ही हम लोग अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकलवाने में कामयाब हुए । इन आदिवासियों के बड़े—बड़े कांतिकारी नेताओं ने ।

मजदूर : हां जी, ताना भगत हुए जी, उन्होंने गांव—गांव जाकर के अलख जगाई ।

स्वामी जी: और भी बहुत से लोग हुए जी । उन नेताओं की, उनकी कुर्बानियों की वजह से, आज हमारा देश आजाद हुआ । और आज हम उनको उजाड़ देंगे हम उनका भगा देंगे । दर—दर की ठोकर खाने के लिए । ये बरदाशत नहीं किया जा सकता । और ये आदिवासी जब अपना संगठन बनायेंगे । और कोई भी उजाड़ने के लिये आयेगा उनको तो ताकत से साथ खड़े हो जायेंगे । मैं यह नहीं कहता कि वो कोई धनुष—तीर लेकर किसी के ऊपर चलाने लग जायें । लेकिन बाहर निकलेंगे । हजारों—हजारों, लाखों—लाखों की ताकत बनाकर के सड़कों पर आ जायेंगे । जैसे अभी पिछले दिनों हमने देखा कि काशीपुर के और रायगढ़डा के तमाम आदिवासी लाखों की संख्या में आ गये सड़कों पर और इतनी ताकत दिखाई कि अब उड़ीसा की सरकार जो पहले गोली चलाकर के सोच रही थी कि इनको डरा देंगे ।

मजदूर : पहले हुआ था जी हमारी तरफ ।

स्वामी जी : हां हुआ था ना । तो सरकार तो सोच रही थी कि गोली चलाकर के दो—चार आदिवासियों को भून देंगे और ये बेचारे डरकर के भाग जायेंगे । फिर पूँजीपतियों को फैक्टरी बनाने के लिये अपनी सारी जमीन उनके हवाले कर देंगे । उन्होंने सोचा था उनका रास्ता साफ हो जायेगा । लेकिन शहीदों की कसम खाकर, के, उनके खून की कसम खाकर के, आदिवासी सड़कों पर निकले और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने अपना आंदोलन खड़ा कर दिया । एक आवाज पर लाखों आदिवासी सड़कों पर आये और सरकार को भी अब होश ठिकाने लग गया । सरकार ने अब मोटा—मोटी ये फैसला कर लिया है कि काशीपुर की पहाड़ी में, वहां की बाक्साईट की खदानों में कोई कारखाना अब नहीं लगेगा । अब उन आदिवासियों को नहीं उजाड़ा जायेगा ।

अब ये जो बात हुई है कि जो बात पांचवीं अनुसूची में लिखी है । कागज पर लिखी है । जो बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिख दी है । अब वो कागज की लिखी हुई चीज हमारे गरीब, आदिवासी भाई—बहनों ने, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया । और उसकी वजह से, आज वो एक जबरदस्त आंदोलन उभर करके आया है । और इसके लिये ये बात पूरी तरीके से समझा करके साफ—साफ लिख कर रखी हुई है । कि जब भी उनकी जमीन का कोई भी उपयोग होगा, उन जमीन का, जंगल का और वहां खनिज पदार्थ जो भी हैं तो उसमें शर्त लगा दी गई है कि जब भी इसका उपयोग होगा, कोई उपयोग होगा तो पहले ये देखना पड़ेगा कि वहां की जनता वहां जो बस रही है, हजारों साल से, सैकड़ों साल से । उनके सबसे ज्यादा लाभ में वो फैक्टरी लगे, या कारखाना लगे, या खदान लगे और दूसरा जो भी साधन हैं वहां के, जल, जमीन, जंगल उसका कोई एक व्यक्ति मालिक न बन पाये । अब ये सब कुछ चीजें हैं । और धीरे—धीरे आंदोलनों से ये चीजें लागू हो रही हैं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के हित मैं राज्यपाल को अधिकार दिये गये हैं । और यह कहा गया है कि पांचवीं अनुसूची को जो कोई भी छेड़खानी करे तो राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके । राज्य सरकार को सावधान करे कि मैं इस गलत काम को नहीं होने दूंगा । और देश के ऊपर राष्ट्र के अंदर जो सबसे बड़ा हमारा अधिकारी है वो राष्ट्रपति है वो ।

मजदूर : अच्छा जी राष्ट्रपति ?

स्वामी जी: और राष्ट्रपति इस बात के लिये निगरानी रखेगा कि भारत के संविधान में अधिकार दिये गये हैं । पांचवीं अनुसूची में उनका मामला डाला गया है । कोई भी राज्य, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री भी इसमें छेड़खानी करेगा तो राष्ट्रपति इसके लिये बोलेगा और कहेगा खबरदार । ये नहीं कर सकते तुम ।

ऐपिसोड 31, प्रसारण तिथि : 17-4-2001

विषय : सामाजिक सुरक्षा और रोजगार का अधिकार

सूत्रधार :

पिछले कुछ अंकों में हमने बताया, कि तमिलनाडु और केरल में/ असंगठित क्षेत्र के निर्माण मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये/ कुछ कदम उठाये गये हैं।

अब पश्चिम बंगाल से एक और खुशखबर मिली है। अभी मार्च में पश्चिम बंगाल सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये भविष्य निधि योजना की घोषणा की है। इसका लाभ असंगठित क्षेत्र के 30 लाख मजदूरों को मिलने की संभावना है। इस बारे में हम अगले अंकों में विस्तार से बतायेंगे। देश के अन्य प्रांतों के असंगठित मजदूरों को कब मिलेगी सामाजिक सुरक्षा?

क्यों जरूरी है सामाजिक सुरक्षा?

क्या है सामाजिक सुरक्षा? हम आज इस बारे में चर्चा करेंगे।

मजदूर : आइये—आइये स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी नमस्कार।

स्वामी जी : नमस्ते, सलाम, राम—राम सब भाईयों को और सब बहनों को सब लोगों को हमारी ओर से बहुत—बहुत बधाई हो, इधर कई दिन हो गये हमें आपस में मिले, बातचीत किये।

मजदूर : हां जी, बहुत दिन बाद आये आप तो इस बार।

स्वामी जी : जी, लेकिन अब ऐसा है हम भी इधर—उधर बहुत दौरा करते रहते हैं। पूरे देश के अंदर। हर जगह पर मजदूरों की इतनी ही भयंकर समस्या हैं मैं बता नहीं सकता। ये कौन—कौन हैं। ये कौन—कौन नये साथी हैं।

मजदूर : ये साबिर अली जी हैं।

स्वामी जी : साबिर अली?

मजदूर : हां, ये कुछ पूछना चाहते हैं इसीलिये आज आये हैं।

स्वामी जी : गांव कौन सा है आपका?

मजदूर : बड़ौत के पास है।

स्वामी जी : बड़ौत के पास हैं, ये यूपी० में? बहुत अच्छा। भट्टे पर काम करते हैं आप?

मजदूर : जी—जी।

स्वामी जी : बहुत अच्छा।

मजदूर : तो ये कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल?

स्वामी जी : जरूर पूछिये। कोई भी सवाल हो किसी भाई के, बहन के मन में कोई सवाल हो, पूछिये, बार—बार पूछिये कोई शरमाने की बात नहीं है।

मजदूर : पूछ ना भई अब, साबिर।

मजदूर 2 : स्वामी जी हमें थोड़ा समझाइयें कि सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं | इसका हमारी जिन्दगी में क्या मतलब है ? हमें इसके बारे में थोड़ा समझाइये कि क्या है , यह सामाजिक सुरक्षा ?

स्वामी जी : देखिये पहले भी मैंने आपलोगों को कई—कई बार समझाया है कि सामाजिक सुरक्षा का सीधा मतलब है कि जो लोग पूरे देश के अंदर, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दौलत पैदा करते हैं | और वो हमारे देश के बड़े सम्मानीय नागरिक हैं | ऐसे नागरिकों को अपनी—अपनी योग्यता के अनुसार, अपना—अपना काम करने के लिये | अपनी ताकत पूरी तरह से झोंकनें के लिए उनको कुछ न कुछ, कम से कम जो बुनियादी जरूरतें हैं, वो मिलनी चाहियें |

मजदूर : हाँ जी ।

स्वामी जी : अब ये जैसे भट्ठा मजदूर हैं | अब हम इनको कहेंगे कि ये निर्माण मजदूर हो गये | अब कोई सड़क बना रहा है, मकान बना रहा है | कोई पुल बना रहा है | इसी तरह देखिये कोई हमारे गरीब किसान भाई हैं, या फिर कोई रिक्षा ही चला रहा है |

मजदूर : हाँ जी, रिक्षा भी बहुत चलाते हैं |

स्वामी जी : या फिर हमारे गांव में, गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिये जो हमारी मास्टरनी बहन जी हैं, मास्टर जी हैं | जैसे गरीब मरीज लोगों की सेवा करने के लिये कोई नर्स हैं, डाक्टर हैं | अच्छा ये शहर गांव की बात छोड़ दीजिये | दूर—दराज जंगलों के अंदर भी हमारे आदिवासी भाई—बहन रहते हैं | उनका भी एक काम है, पेशा है | वो कुछ ना कुछ सामान इकट्ठा करते हैं, जंगल से | कोई शहद इकट्ठा कर रहा है | कोई चिरौंजी ला रहा है, कोई न कोई ऐस———

मजदूर : हाँ जी, ऑवला भी इकट्ठा करते हैं |

स्वामी जी : आंवला, हरड़, बहड़ ना जाने क्या—क्या चीज होती हैं | जंगल से तेढ़ूं पत्ता भी इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं, अपनी रोजी—रोटी कमाते हैं | ठीक है ना ?

लेकिन ये सब करते हुए ,वो हर एक व्यक्ति वो किसान भी है, मजदूर भी है, वो रिक्षा चलाने वाला भी, वो ईट पाथने वाला भी, वो ईट—भट्ठे से भराई निकासी करने वाला भी | हर आदमी राष्ट्र का निर्माण कर रहा है देश को बनाने में, खड़ा करने में मदद कर रहा है |

मजदूर : अच्छा जी ! पत्ता तोड़कर भी देश का निर्माण कर रहा है ?

स्वामी जी : बिल्कुल—बिल्कुल कर रहा है | हर व्यक्ति कर रहा है | बल्कि, मैं तो यह कहूँगा कि ये बड़े—बड़े दफतरों के बाबू लोग हैं, जो कलम चलाते हैं या हमारे सेठ—साहूकार हैं जो इधर का माल उधर करते रहते हैं | उनसे तो ज्यादा ईमानदारी से ये हमारे जो गरीब अनपढ़ मजदूर हैं | इनका राष्ट्र के निर्माण में ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है |

मजदूर : अच्छा ! हम जो रिक्षा चलाते हैं, पत्थर तोड़ते हैं | हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं |

- स्वामी जी :** जरूर जरूर !
- मजदूर :** ये तो बड़ी अच्छी बात बतायी आपने ।
- स्वामी जी :** ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप लोग । यह अहसास आपको होना चाहिये कि हम मामूली व्यक्ति नहीं हैं । हम इस देश के नागरिक हैं और देश की जिम्मेदारी है कि आपके लिये भी जो कुछ ऐसे सवाल हैं । उनका वो देश ध्यान रखे । सरकार ध्यान रखे, समाज ध्यान रखे । जैसे कोई भी व्यक्ति है उसको जिन्दा रहने के लिये आगे बढ़ने के लिये, काम सुविधापूर्वक करने के लिये । भोजन चाहिये । उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिये । और इन सारी चीजों को जब वो देखेगा लागू होता हुआ तो वो अपने आपको सुरक्षित समझेगा और पूरे तरीके से मन लगाकर के, दिल लगाकर के देश की सेवा में जुटा रहेगा । एकाग्रता के साथ, पूरा एक मनोयोग के साथ उसको कोई इधर-उधर की कोई चिन्ता नहीं रहेगी । अपने बुढ़ापे के बारे में, या दुःख तकलीफ के बारे में । वो सोचेगा कि भई में देश के लिये कर रहा हूं, और देश मेरे लिये कर रहा है । और देश मेरे बारे में सोच रहा है ।
- मजदूर :** अजी हम तो यूं ही मर जाते हैं । हमारे लिये तो कोई कुछ करता नहीं ।
- स्वामी जी :** नहीं – अब करता नहीं है कि बात अलग है । पर होना चाहिये । कोई मजदूर मर जाये या किसी को कोई ग्रीमारी हो जाये । किसी दुर्घटना में या एकसीडेंट में अपंग हो जाये । या फिर कोई जैसे प्राकृतिक विपदा आ जाती है । कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं पर । अब ये जो हमारे भाई बैठे हुए हैं । आप उड़ीसा से हैं ना ? अब पिछले दिनों उड़ीसा में आया था ना एक भयंकर तूफान
- मजदूर :** हां जी एक बड़ा भयंकर तूफान आ गया था ।
- स्वामी जी :** एक तूफान आ गया हजारो—हजारों लोग मर गये, बेचारे । और उनके घर उजड़ गये । अब इस तरह के कोई भी प्राकृतिक प्रकोप आ जायें । तो उस समय जो सुरक्षा होनी चाहिये । अपनी जिन्दगी को ठीक—ठाक करने के लिये और रोजगार वगैरह
- मजदूर :** मतलब जिन्दगी को दुबारा ढर्हे पर लाने के लिये जी ।
- स्वामी जी :** जैसे जब पटरी से उतर जाये रेल, तब दुबारा उसे रेल के उपर खड़ा करके आगे चले तो इस काम को कहते हैं सामाजिक सुरक्षा ।
- मजदूर :** अच्छा जी,
- मजदूर :** स्वामी जी । मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा क्या है ? इस बारे में, कुछ जानकारी दीजिये ।
- स्वामी जी :** देखिये मजदूरों के लिये मैं बता रहा हूं कि मजदूर भी हमारे देश के सामाजिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ।
- मजदूर :** अच्छा जी,

- स्वामी जी :** बिना मजदूर के, उसकी मेहनत के कोई भी देश | कोई भी राष्ट्र खड़ा ही नहीं हो सकता | लेकिन ये जो आपने पूछा है कि मजदूरों के लिये | सीधे—सीधे मजदूर के लिये | सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या है | उसको आप अच्छी तरह ध्यान देकर सुनिये | पहले तो मजदूर को क्या चाहिये ? चाहता क्या है मजदूर ? उसको चाहिये सबसे पहले रोजगार | कि रोजगार के पर्याप्त अवसर हों |
- मजदूर :** हां जी, रोजगार मिले, ये तो हम चाहते ही हैं |
- स्वामी जी :** रोजगार मिले, पूरा मिले, सालभर मिले, काम मिलता रहे | मतलब उसको रोजगार की सुरक्षा होनी चाहिये | कोई उसको मनमाने ढंग से हटा दे, बेवजह हटा दे | तो ये उसका शोषण हो जायेगा | उसके साथ अन्याय हो जायेगा | काम के घंटे कितने होने चाहिये वह निश्चित होना चाहिये | और काम के दोरान कभी भी कोई दुर्घटना हो गयी | कोई चोट लग गई, कोई बात हो गई | उसका भी कुछ ना कुछ ईलाज उसमें उसको मुआवजा वगैरह मिलना चाहिये |
- मजदूर :** अच्छा जी, मतलब ईलाज का इंतजाम भी होना चाहिये |
- स्वामी जी :** इंतजाम होना चाहिये, हर तरीके से | उसके जो अपने हुनर है, अपनी कारीगरी है उसको आगे और सुंदर बनाने का, और बढ़िया करने का उसके लिये भी उसको अवसर मिलना चाहिये |
- मजदूर :** टरेनिंग जी, टेरेनिंग |
- स्वामी जी :** हां टरेनिंग जिसको कहते हैं टरेनिंग | वो जो ट्रेनिंग है, वो मजदूर के लिये बहुत जरूरी है | खासकर जो अनपढ़ मजदूर हैं | जिनको मौका ही नहीं मिला स्कूल, कॉलेज जाने का, या मान लो कोई आई0टी0आई0 या पालिटेक्निक में जाने का | उन लोगों के लिये भी अलग से कोई न कोई प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये |
- मजदूर :** अच्छा बेलदार जो है, राज मिस्त्री बन सकता है ट्रेनिंग लेकर |
- स्वामी जी :** बिल्कुल बन सकता है | और भी आगे बन सकता है | और ऊपर से ऊपर की ट्रेनिंग मिलती रहे | उनकी जो भी आमदनी है, मजदूरी का भुगतान है वो समय पर ठीक से हो | और जो बीमारी या बुढ़ापा है, तो बुढ़ापे में भी खासकर के वो अपनी जिन्दगी को ठीक से चला सके, इज्जत से चला सके | ये सब सवाल जिन बातों से ध्यान में रखे जाते हैं | उसको कहते हैं सामाजिक सुरक्षा | और मौटेतौर पर सारी बातें उसके अंदर आ जाती हैं | जिसको हम मानवीय अधिकार कहेंगे | हयूमन राईट्स कहते हैं, अंग्रेजी में, इन चीजों को पक्का करना निश्चित करना ये है सामाजिक सुरक्षा का दायरा |

मजदूर : स्वामी जी, ये जो आप सामाजिक सुरक्षा की बात बता रहे हैं | उसको लागू करने के लिये हमारे देश में कोई कानून है क्या ? कोई व्यवस्था है क्या ? जिससे ये सब अच्छी—अच्छी बात हमारे लिये हो सकती हैं |

स्वामी जी : देखिये संविधान में तो बुनियादी अधिकारों की बात कही गई है | जैसे मूलभूत अधिकार जिसको हम कहेंगे | और इससे तमाम् जितनी भी सामाजिक सुरक्षा की जरूरतें हैं, उनको उसमें साफ बताया गया है | उन अधिकारों को, उन हितों की रक्षा करने के लिए, पहली बात संविधान में लिखी है कि आप अपना संगठन बना सकते हैं | अपनी यूनियन बना सकते हैं | अपना जो भी, जिस तरह से भी अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, तो भारत का संविधान इस मामले में स्पष्ट कहता है कि गरीब से गरीब मजदूर अपनी यूनियन अपना संगठन बना सकता है | और इस काम के लिये उसका एक बुनियादी अधिकार है |

मजदूर : मतलब यूनियन बनाना हमारा बुनियादी अधिकार है |

स्वामी जी : हां, और इसके साथ जो श्रम कल्याण हैं | उनके कानून जितने भी बना दिये | उसमें सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है | और सरकार के द्वारा समय—समय पर उनको ओर अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है | ये पूरे तरीके से बहुत ही अच्छे हैं | ये मैं नहीं कह रहा हूं | बहुत कुछ कमियां हैं | लेकिन ये जो बुनियादी अधिकार हैं | ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है | और इसीलिये, आपलोगों को संवैधानिक अधिकार जो मिला हैं, संवैधानिक | उसका पूरा उपयोग करने के लिये ताकत के साथ सामने आना चाहिये और यदि इस कठिन समय में हम ताकत के साथ सरकार के ऊपर भी दबाव डालेंगे | मांग करेंगे कि जो बुनियादी अधिकार हैं | उनकी रक्षा करो | और नहीं तो हम सरकार के खिलाफ भी लड़ने के लिये तैयार हो जायेंगे |

मजदूर : अजी सरकार कैसे मान जायेगी, इतनी बड़ी चीज है सरकार तो | इंस्पेक्टर तो मानता ही नहीं है हमारी |

स्वामी जी : जो सरकार है वो जनता ही चुनकर भेजती है |

मजदूर : हां जी वोट देते हैं हम |

स्वामी जी : वोट देते हो आपलोग ! और आप जैसे और तमाम् करोड़ों लोग वोट देते हैं | तभी सरकार बनती है | ये एम०एल०ए० हैं | एम०पी० हैं किसके बनाये हुए हैं ? ये आपके ही बनाये हुए हैं | ऐसे मौके पर हम लोगों को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी लेकर के और उनको लागू करवाने के लिये पूरी ताकत से सामने आना चाहिये | और इसमें रोजगार का जो अधिकार है उसको बुनियादी अधिकार में शामिल करवाना चाहिये | अभी यह संविधान में हैं नहीं | संविधान में मैं बाकी अधिकार लिख दिये हैं | लेकिन आपको रोजगार का अधिकार है | काम नहीं है आपको, या निकाल दिया है या खाली बैठे हैं आप, बेरोजगार हैं | तो चाहिये जरूर | ताकि आप अपना खुद खा सको और बच्चों को खिला सको |

मजदूर : अच्छा जी, हम कानून से नहीं मांग सकते जी !

स्वामी जी : अभी नहीं मांग सकते हैं ।

मजदूर : तब हम तो जिन्दा कैसे रहेंगे स्वामी जी ?

स्वामी जी : अब यहीं तो बात है । अभी रोजगार का अधिकार हमारे संविधान में है ही नहीं । इसलिये हमें सरकार से, सबसे पहले यह मांग करनी चाहिये, सारे देश के पैंतीस करोड़ मजदूरों को । एक स्वर से मांग करनी चाहिये कि जल्दी से जल्दी हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिये । एक केंद्रीय कानून बनाइये । कि हम अपने अधिकारों को छीनकर के रहेंगे । अधिकारों को प्राप्त करके रहेंगे । और सरकार हो, अफसर हो, बाबू हों, नाक में दम करके रखेंगे । जब तक हमारी सामाजिक सुरक्षा की हमको गारंटी नहीं की जाती । इसलिये जो आपका नारा है । वो हमेशा मुट्ठी भींचकर, दांत भींचकर मुट्ठी बंद करके : लड़ेंगे – जीतेंगे ।

जोर से बोलिये – लड़ेंगे – जीतेंगे ।

उस तरीके का आपको अपना हिसाब बनाना पड़ेगा । तब जाकर के कोई काम सुन्दर होगा ।

ऐपिसोड – 32 प्रसारण तिथि 24 –4– 2001

विषय : असंगठित मजदूर : उदारीकरण और इंस्पेक्टर राज का खात्मा

सूत्रधार :

आज पूरे देश के मजदूर तनाव में हैं / अपने रोजी—रोजगार को लेकर चितिंत हैं / उन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम हाजिर हैं /

मजदूर : नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी ।

स्वामी जी : सब भाईयों को सब बहनों को सबको नमस्ते ।

स्वामी जी : अब आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहता हूँ ।

मजदूर : बताइये स्वामी जी बताइये ।

स्वामी जी : अब पता नहीं ये बात उड़ीसा के गांवों तक गई है या नहीं गयी है । ये जो उदारीकरण कहा जा रहा है पूरे देश में बड़ी तेजी से हवा चल रही है । उदारीकरण होना चाहिये ।

मजदूर : हां जी, उदारीकरण की बात हो रही है ।

स्वामी जी : और उसके चलते हुए छोटे—छोटे जो कल—कारखाने हैं । जो छोटे—छोटे उद्योग धंधे हैं वो बड़े हो रहे हैं । मजदूरों की छटनी हो रही है । उन्हें काम से हटाया जा रहा है ।

मजदूर : ये बिल्कुल सही बात है ।

स्वामी जी : हे ना, आपने सुना होगा, इधर—उधर ।

मजदूर : हां जी, दिल्ली में ही बहुत सारे कारखाने बंद हो गये जी ।

स्वामी जी : दिल्ली का तो खैर एक दूसरा ही मामला था । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बंद करो, जितने कारखाने हैं । जिनसे प्रदूषण हो रहा है । लेकिन वैसे भी आप देखेंगे सरकार की नीतियों की वजह से ये जो छोटे—छोटे कारखाने हैं । उनके मजदूरों को काम से हटाया जा रहा है । और यहां तक की कई तो सरकारी कर्मचारी हैं, बैंक में भी काम करते हैं । उनकी भी छटनी होने का, एक तरह से उनकी ये हालत बन रही है ।

मजदूर : अच्छा सरकारी कर्मचारी की भी छटनी कर देंगे जी ।

स्वामी जी : सरकारी हों, बैंक वाले हों, इंश्योरेंस कम्पनी हो, जो बड़े—बड़े दिखते हैं न बाबू लोग, अब उनकी भी छटनी होने का मौका आ रहा है ।

मजदूर : अच्छा ! अब उनको भी आटे दाल का भाव पता चलेगा ।

स्वामी जी : पता तो चलेगा, लेकिन उनके लिये सरकार ने कुछ न कुछ इंतजाम कर दिये हैं । उनको मुआवजा देगी सरकार या जो भी कम्पनी हटायेंगी । उनको स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति ।

मजदूर : क्या होता है जी यह । स्वामी जी ?

- स्वामी जी :** जैसे उनको कहा जायेगा कि अच्छा जी आप अपने आप ही लिख दो । एक कागज पर दस्तखत करके दे दो कि मैं काम छोड़ रहा हूं ।
- मजदूर :** अच्छा ।
- स्वामी जी :** क्योंकि जानबूझकर तो कोई छोड़ेगा नहीं ।
- मजदूर :** अच्छा मुआवजा दे देंगे ।
- स्वामी जी :** उससे लिखवाकर के, उसको कुछ ना कुछ मुआवजा देंगे, ताकि वो बेचारा जाकर के अपना कोई छोटी—मोटी चाय की दुकान लगा ले या कपड़े की दुकान लगा ले । कोई तरीके से वो अपना रोजी—रोटी चलाये लेकिन ये जो हमारे असंगठित मजदूर हैं । जिनकी कोई यूनियन नहीं है । जिनका कोई रख—रखाब ठीक से नहीं है । और उनको पूरी मजदूरी भी नहीं मिल रही है । और सड़क पर उनको डाल दिया जायेगा । उनके लिये कोई सबसे ज्यादा पिसेगा । इस चक्की के अंदर देश की तरक्की के नाम पर तो वो इन लोगों की पिसाई होगी । इन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है ।
- मजदूर :** स्वामी जी मैं एक ओर सवाल पूछना चाहता हूं । हमारे बहुत सारे लोग, उड़ीसा से आये लोग यहां पर दिल्ली में चलाने लग गये । आगे उनका क्या होगा । आगे उनका गुजारा क्यों चलेगा ।
- स्वामी जी :** अब ये फैक्टरियां बंद हो गई, ठीक बात है । अब उनको जिंदा रहने के लिये कोई न कोई काम करना ही पड़ता है । और दिल्ली शहर में ही अभी जैसा आपने देखा कि छह—सात लाख रिक्षा चल रही हैं । इतनी बड़ी तादाद में ।
- मजदूर :** छह—साल लाख !
- स्वामी जी :** हां जी, और ये दिल्ली वाले कोई नहीं हैं । ये सब कोई बिहार, कोई यूपी 0 ।
- मजदूर :** हां जी, हमारे गांव के भी कई लोग रिक्षा चला रहे हैं ।
- स्वामी जी :** कोई आये हुए हैं इधर—उधर से दूर—दूर से, कोई उड़ीसा से भी आये हुए हैं । अब इनके अंदर कोई जांच करें, हम तो देखते रहते हैं । इनके बीच में बैठते हैं तो उनको किसी को दमा, किसी को टी0बी0 हो रही है । ऐसी—ऐसी जानलेवा बीमारी हो रही है । इनकी उम्र कम होती जा रही है । जल्दी मर जाते हैं ये बेचारे । कितने लोग हैं जो रिक्षा चलाकर अपना या अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में इस मंहगाई के जमाने में, और अब तो इन रिक्षों वालों को भी निकाला जा रहा है खदेड़ा जा रहा है ।
- मजदूर :** अच्छा जी ! अब इन्हें भी हटा देंगे जी ?
- स्वामी जी :** अभी आपने देखा होगा वो अखबार में छपी थी । तस्वीर
- मजदूर :** हां जी । हां, जी ।

स्वामी जी : देखा ना एक जीप जो है, सैकड़ों रिक्षों को पीछे बांध कर खींचकर ले जा रहा है । निकाल दे रहा है बाहर ।

मजदूर : हां जी, रेलगाड़ी की तरह ले जा हैं जी !

स्वामी जी : हां रेलगाड़ी की तरह और यह कह रहे हैं कि निकला बाहर, अब दिल्ली की सड़कें सुंदर करनी हैं । अब कार वाले आयेंगे । बाबू साहब चलेंगे । अपनी मेम साहब को लेकर के गाड़ी में बैठाकर के, तो वो कहती हैं कि ये रिक्षे वाले सामने—सामने चलते हैं तो, हमारी स्पीड कम हो जाती है । हमको मौज मर्स्टी के लिये ये सड़क पर गाड़ी चलाने का मजा नहीं आता । तो अब उनके लिये ये रिक्षे वाले हटा लिये जा रहे हैं ।

मजदूर : अच्छा जी, अब हमारा रिक्षे का काम भी बंद हो जायेगा ?

स्वामी जी : रिक्षा भी चलाना जो एक रोजी—रोटी का सहारा था, वो हट गया । अब आप देखिये, देखते—देखते दिल्ली में, कितने तांगें चलते थे । उसमें घोड़े का भी, घोड़ा और जो तांगेवाला होता था उसका गुजारा होता था । अब वो सब स्कूटर आ गया । टैक्सी आ गई ।

मजदूर : अब तो चलाने ही नहीं देते जी । कनाट प्लेस में तो बैलगाड़ी भी आने नहीं देते । जब मैं दिल्ली आया था ना जी तब बैलगाड़ी चलती थी दिल्ली में, अब बैलगाड़ी भी बंद कर दी जी ।

स्वामी जी : अब ये जो सब चीजें हो रही हैं । इसकी वजह से अब ये जो सब चीजें हो रही हैं इसकी वजह से ।

स्वामी जी : अब आम लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर ये सरकार और नेता लोग चाहते क्या हैं ? इसका फायदा जो नयी—नयी बातें उदारीकरण का नारा लगाया जा रहा है इसका फायदा किसको हा रहा है । ये कह रहे हैं कि हम लाईसेंस राज खत्म करेंगे । इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे । अब ये बात तो बड़ी बढ़िया सुनने में लगती है । लेकिन आखिर ये सब कहने के पीछे, दनकी भावना क्या है । इनकी निमत क्या है ।

मजदूर : अच्छा जी अब ये इंस्पेक्टर खत्म हो जायेंगे ? ये पुलिस—वुलिस वाले, ये हमारे से पैसा लेना बंद कर देंगे जी फिर तो ।

स्वामी जी : हां जी, ये धमकाकर के लेते थे आपसे पैसे । वो तो बंद हो जायेगा लेकिन उसके बाद, दूसरी बात भी सोचिये कि रिक्षा चलाने के लिये, कोई चाय, या गन्ने के रस की दुकान चला रहा है । उसके लिये लाईसेंस लेना जरूरी होता है । और शहर की बहुत सारी सड़कों पर अब रिक्षा चलाना गैर कानूनी कर दिया है । इन्होंने अब रिक्षा चलाना गैर—कानूनी कर दिया है इन्होंने ।

मजदूर : अच्छा, मतलब हमारे लिये तो इंस्पेक्टर राज रहेगा ही ।

स्वामी जी : आपके लिये दूसरे ढंग से रहेगा । कि रिक्षों को पकड़कर के कार से भी ज्यादा उसका जुर्माना कर दिया जायेगा । और गरीब मजदूर रिक्षों के पकड़े जाने पर, और यदि वह जो जुर्माना है वह जमा नहीं कर पाया । तो उसका रिक्षा भी एक तरह से है जम कर लेगी । सरकार कह लो, कमेटी कह लो ।

मजदूर : हाँ जी, कमेटी में ही छोड़ देवे रिक्षा पकड़ा जाता है तो वहीं पर छोड़ देते हैं । क्योंकि रिक्षा । हमारी बस्ती में रिक्षा वाले रहते हैं । जब रिक्षा वाले रहते हैं । जब रिक्षा पकड़ा जाता है तो वहीं पर छोड़ देते हैं । क्योंकि रिक्षा छुड़वाने में हजार रुपया लगता है ।

स्वामी जी : हाँ लगता तो है लेकिन अब इन चीजों को, आप लोग समझिये कि इस तरीके से सरकारी विभाग, जिन बातों को इतने सालों से जोड़—जोड़कर के तिनका जोड़—जोड़कर के बनाया था । करोड़ों राष्ट्रीय की इस राष्ट्रीय सम्पदा को सम्पदा को नष्ट कर दिया जा रहा है । आखिर बनेगा क्या ? इंस्पेक्टर राज के खात्में का एक और नुकसान, हमारे उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूरों को हो रहा है । पहले तो कोई ईमानदार लेबर इंस्पेक्टर होता भी था और कभी—कभार कोई एक आध—अच्छी बात भी कर देता था । खोज—खबर लेने चला जाता था । अब इंस्पेक्टर राज का खात्मा हुआ और वो आदमी जाना बंद हो गया । । मालिक और ठेकेदारों को मनमानी छूट मिल गई । मौज हो गई उनकी, अब ये जो हो रहा है यह हमारे लिये नयी चिन्ता का विषय है ।

मजदूर : अच्छा जी ! मतलब इंस्पेक्टर जांच करने ही नहीं आयेगा जी ?

स्वामी जी : नहीं, इंस्पेक्टर नहीं आयेगा और वो कह देगा कि अब हमारे को कह दिया है सरकार ने कि इंस्पेक्टर राज हमने खत्म कर दिया है । आप अपने घर बैठो या दफ्तर में बैठे रहा जब तक कोई शिकायत करने नहीं आये । तब तक आप अपनी तरफ से, जांच—पड़ताल करने मत जाओ । अब इससे क्या है कि हम लोगों के गरीब मजदूरों के भाईयों के बहनों के सामने चुनौतियां । बहुत कठिन हो गई हैं ।

मजदूर : स्वामी जी, तब जो हमारे अधिकार हैं । अपने अधिकार उनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है ?

स्वामी जी : सुरक्षा तो तभी होगी भाई मेरे तब पहले से ज्यादा जागरूक रहोगे । पहले से ज्यादा सर्तक, चौकन्ने रहोगे । पहले से ज्यादा, अपनी ताकत को संगठित होकर के बनाओगे । तो जाकर के तब तो कोई सुरक्षा होगी और नहीं तो किर खतरा ही खतरा है । अब ये जो लेबर कमिशनर हैं । श्रमायुक्त हैं इंस्पेक्टर लोग हैं । ये इनकी जिम्मेदारी है कि कानून में जितने अधिकार दिये गये हैं । उनको लागू करवायें । और उनको लागू करवाने के लिये आप अपने जिले के श्रमायुक्त के दफ्तर में जायेंगे ।

मजदूर : स्वामी जी, वो जब इंस्पेक्टर आ ही नहीं सकता जांच करने तो वो कानून लागू कैसे होंगे ।

स्वामी जी : मान लिया वो कह रहे हैं कि अब इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया । आपको जाना पड़ेगा वहां पर लिखित शिकायत दर्ज करवाने के लिये ।

मजदूर : अच्छा जी । अब हम लोगों को जाना पड़ेगा ?

स्वामी जी : जब मान लो लिखित शिकायत कर भी दी तो उसकी जांच उसको करनी होगी ।

मजदूर : कितनों ही को तो पढ़ना ही नहीं आता ।

स्वामी जी : मजदूर कानूनों को लागू करने के लिये लेबर डिपार्टमेंट, श्रम विभाग के अधिकारियों की ये सारी जिम्मेदारी तो हैं । लेकिन बार—बार मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब तक आप खुद अपना संगठन बनाकर के, बार—बार वहां शिकायत करने के लिये नहीं जायेंगे लिखित शिकायत देनी पड़ेगी । यदि खुद नहीं लिख सकते तो किसी दूसरे से लिखवाइये संगठित होकर के थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा । कुछ न कुछ वहां धरना देना होगा । कोई जलसा जुलूस करना पड़ेगा । अखबारों में अपनी बात निकालनी पड़ेगी । मेरी कहने का मतलब है कि अपने हम के लिये आवाज उठानी पड़ेगी । यह अधिकार आपको दिया है । भारत के संविधान ने । ये कोई भी उल्टे—सीधे कानून बनाकर के उदारीकरण के नाम पर या किसी नाम पर । ये जो बुनियादी अधिकार है । ये आपसे कोई छीन नहीं सकता । और इसीलिये आप लोगों को संवैधानिक अधिकार जो मिला है । संवैधानिक उसका पूरा उपयोग करने के लिये आज ताकत के साथ सामने आना चाहिये । और इस कठिन समय में यदि हम सरकार के ऊपर भी दबाव डालेंगे और मांग करेंगे कि जो बुनियादी अधिकार हैं उनकी रक्षा करो । और नहीं तो हम सरकार के खिलाफ भी लड़ने के लिये तैयार हो जायेंगे ।

मजदूर : अजी सरकार कैसे मान लेगी ? इतनी बड़ी चीज है सरकार तो ? इंस्पेक्टर तो मानता ही नहीं है हमारी ।

स्वामी जी : जो सरकार हैं । वो जनता ही चुनकर भेजती है ।

मजदूर : हां जी वोट देते हैं हम ?

स्वामी जी : वोट देते हो आप लोग । और आप जैसे और तमाम करोड़ों लोग वोट देते हैं । तब सरकार बनती है । ये एम०पी० हैं, एम०एल०ए० हैं । ये किसके बनाये हुए हैं ? ये आपके बनाये हुए हैं । और इसीलिये ऐसे मौकों पर हम लोगों को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी लेकर के और उनको लागू करवाने के लिये । पूरी ताकत से सामने आना चाहिये ।

गीत :

उठो साथियों, आज चले हम मुक्त कराने देश को, सदियों से गुलाम आज तक, अपने प्यारे देश को, गहरी जमुना—गंगा धारा बहरें जमुना—गंगाधारा, सारा हिन्दुस्तान हमारा सारा हिन्दुस्तान हमारा, अपना खुद ही बने सहारा—

उठो साथियों, आज चले हम मुक्त कराने देश को, सदियों से गुलाम आज तक, अपने प्यारे देश को, गहरी जमुना—गंगा धारा बहरें जमुना—गंगाधारा, सारा हिन्दुस्तान हमारा सारा हिन्दुस्तान हमारा, अपना खुद ही बने सहारा,

एका, यही समय का नारा—एका, यही समय का नारा /
पूरब—पश्चिम, उत्तर—दक्षिण, एक करें हम देश को—एक करें हम देश को /
सदियों से गुलाम आज तक, अपने प्यारे देश को / उठो साथियो—उठो साथियो /

हमें मजदूर भाईयों के अनेकों पत्र मिल रहे हैं | अनेक साथियों ने दिल्ली के लेबर कमिश्नर का पता जानना चाहा है | तो साथियों उनका पता नोट कीजिए | लेबर कमिश्नर, दिल्ली सरकार, 15, राजपुर रोड, नई दिल्ली – 110 054

आप अपनी शिकायत, अपनी समस्या उन्हें रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं | उनके दफ्तर में दे सकते हैं | यह दफ्तर तीस हजारी कोर्ट के पास है |

एपिसोड 33 – प्रसारण तिथि 1–5–2001

विषय : मजदूर दिवस का ईतिहास और न्यूनतम मजदूरी की स्थिति

सूत्रधार :

आज मजदूर दिवस है, जानते हैं न आप ! आज ही के दिन, एक मई अठारह सौ साठ में, शोषण और जुल्म के खिलाफ, हजारों मजदूर लामबंद होकर, अमरीका में शिकागो शहर की सड़कों पर, हाथ में सफेद झंडे लेकर उत्तर पड़े थे । जैसा कि होता है, उस जुलूस को दबाने के लिये, पुलिस और गुण्डे उस जुलूस पर टूट पड़े । मजदूरों का खून बहा, सफेद झंडे मजदूरों के खून से लाल हो गये ।

अनेकों मजदूर शहीद हो गये । आखिर में मजदूरों की जीत हुई । आठ घंटे काम के तय हुए । तथा अन्य अनेक हक, मजदूरों को मिले । उससे पहले मजदूरों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था । 12–12 घंटे, अठारह–अठारह घंटे काम करवाया जाता था । किसी तरह की सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं थीं । इस आंदोलन से पूरी दुनिया के मजदूरों में । एक नई राजनैतिक चेतना जागी । वे अपने मानवीय हकों के लिये उठ खड़े हुए । उसी घटना की याद में, उन्हीं बलिदानों की याद में, दुनियाभर के मजदूर एक मई को मजदूर दिवस मनाते हैं । अपने अधिकारों की रक्षा के लिये संघर्ष का संकल्प उठाते हैं । और उनका नारा होता है दुनिया के मजदूरों एक हो ।

परन्तु क्या ऐसा हो पाया ? क्या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की जिन्दगी में कुछ बदलाव आया ? याद रखो आज जो कुछ भी अधिकार हमें मिले हुए हैं । वे हजारों, लाखों मजदूरों ने, नौजवानों ने अपना बलिदान देकर हासिल किये हैं । उन शहीदों को सच्ची श्रद्धाजंलि यही होगी कि हम अपने असंगठित क्षेत्र के मजदूर साथियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिये, एकजुट होकर संघर्ष करें । उन्हीं शहीदों को समर्पित है यह अंक ।

(स्वामी जी का आगमन, मजदूर उत्साह से नारे लगाते हुए उनका स्वागत करते हैं ।)

मजदूर समवेत स्वर : इंकलाब जिन्दाबाद—जिन्दाबाद—जिन्दाबाद ।

कमाने वाला—खायेगा

लूटने वाला—जायेगा ।

नया जामाना—आयेगा ।

स्वामी जी: वाह—वाह— वाह जरूर आयेगा और बहुत जल्दी आयेगा । बहुत खुशी हो रही है, आपको इतने जोश—खरोश में देखकर के ।

मजदूर समवेत : नमस्ते — स्वामी जी, नमस्ते ।

स्वामी जी: नमस्ते भाई सब लोगों को नमस्ते । ये जो श्रम कल्याण हैं, उनके कानून जितने भी बना दिये । उसमें सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है । सरकार द्वारा

समय—समय पर इनको अच्छा और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। ये पूरी तरीके से बहुत अच्छे हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इसमें बहुत कुछ कमियाँ हैं। सबसे बड़ी कमी मैं आपको बताऊं। अब आप देखिये हमारे देश में जितने भी लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। देश का निर्माण कर रहे हैं उनमें से केवल 8—7 प्रतिशत मजदूर जो फैक्टरीयों में दफ्तरों में काम करते हैं। वो तो आ जाते हैं संगठित क्षेत्र में।

मजदूर: कुल 8 प्रतिशत जी,

स्वामी जी : बस, बाकी की जो करोड़ों की संख्या में हैं लगभग 35 करोड़ के लगभग है हमरे देश में लगभग 92 प्रतिशत मजदूर नब्बे दो बयानवे प्रतिशत मजदूर ये आ जाते हैं असंगठित क्षेत्र में और इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिये जो भी प्रावधान है जो भी नियम कानून है उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। संविधान ने तो लिख दिया मिलना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जैसे न्यूनतम मजदूरी, इसका कानून बना दिया सरकार ने पार्लियामेंट ने बना दिया। लेकिन आज आजादी के ये 52—53 साल हो गये। ये लागू नहीं हो रहा। अब संविधान को तो आप इसमें दोषी नहीं ठहरा सकते। अब दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर सबसे बड़ी पंचायत जुटती है। जिसको हम पार्लियामेंट, संसद कहते हैं।

मजदूर : हॉं जी संसद लगती है दिल्ली में।

स्वामी जी: अब आप दिल्ली में ही जानते हैं ये हमारी जो सबसे बड़ी अदालत कहते हैं सुप्रीम कोर्ट।

मजदूर : हॉं जी सुप्रीम कोरट, जी कोरट

स्वामी जी: अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। अब वहाँ दिल्ली के अंदर भी न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं हो रही है। तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, मामला। ठीक है ना जब यहाँ पर सब कुछ होते हुए सरकार और अदालत, और अखबार पता नहीं क्या—क्या चीज। जब दिल्ली में भी कानून लागू नहीं हो पा रहा है तो तब देश के बाकी दूर—दराज हिस्सों की हालत कितनी बुरी है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं।

मजदूर : मतलब जी भगवान ही मालिक है देश का।

स्वामी जी : देश का भगवान तो खैर मालिक है ही है, हम और आप नहीं भी चाहेंगे तो भी मालिक परमात्मा ही है। लेकिन इन सवालों पर आप लोगों को जितना समझ सकेंगे उतना ही आप लोग कुछ न कुछ आगे संगठित हो कर काम कर सकेंगे।

- मजदूरः** स्वामी जी, आप जो हम को बार—बार आ कर के बताते हैं न, हमने तो संगठन बना भी रखा है। और उसके बल पर हमको 94 रु० रोज के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी मिल भी जाती है पूरी। पर उसमें तो गुजरा ही नहीं चलता, उसमें हम बच्चों को कहाँ से पढ़ाएँ, कहाँ से इलाज कराएँ और कोई व्याह शादी, टेला भी आ जाएँ तो उसके लिए तो पैसा हाथ में बचता ही नहीं है।
- स्वामी जीः** ये तो एक मुद्दा है कि न्यूनतम मजदूरी कितनी और कैसे तय हो। जिससे ये सब काम जो आप अभी बता रहे हो, कैसे उसका भी खर्च निकले। और एक समान मजदूरी हो। सारे देश के लिए हो कम से कम न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए।
- मजदूरः** मतलब सब जगह एक जैसी हो।
- स्वामी जीः** हाँ अब अलग—अलग मजदूरी जो तय कर देते हैं। जैसे य०पी० में कुछ है, बिहार में कुछ है, दिल्ली में कुछ, हरियाणा में कुछ।
- मजदूरः** हिमाचल में 50 रु० है जी रोज।
- स्वामी जीः** आप हिमाचल छोड़ दिजिए। अब जैसे दिल्ली है, ये देख रहे हैं न? एक शहर है दिल्ली, इसके बगल में है नॉयडा, नॉयडा, कहते ही य०पी० आ गया, इसके बगल में फरीदाबाद, गुडगाँव, फरीदाबाद गुडगाँव कहते कहते हरियाणा आ गया। अब एक दिल्ली के चारों तरफ दो अलग—अलग प्रान्त आ गए। अब इन प्रान्तों में न्यूनतम मजदूरी की दरें अलग—अलग हैं।
- मजदूरः** अच्छा जी! वहाँ पर अलग है दिल्ली से।
- स्वामी जीः** जब की आप जान रहे हो, कि जो हम लोग, आप लोग दाल, चावल, तेल आदि खरीदते हैं दुकानों में या और जो भी आने—जाने के खर्चे हैं चाहे वो हरियाणा हो, य०पी० हो, चाहे दिल्ली हो खर्चा तो एक जैसा ही है।
- मजदूरः** हाँ जी, बस में बहुत किराया लगा जावे हैं जी।
- स्वामी जीः** तो अब खर्चे तो एक जैसे, मजदूरी का रेट अलग—अलग बना दिया। तो जिंदगी चलाने के लिए खर्चा एक जैसा और महँगाई भी एक जैसी। लेकिन थोड़ा सा एक कदम इधर से उधर चले गए तो य०पी० हो गया और वहाँ गाजियाबाद आ गया नॉयडा आ गया तो फरीदाबाद आ गया। तो ये जो सारी चीजें हैं। हम लोगों की आवाज उठनी चाहिए। और तेज उठनी चाहिए की पूरे देश के लिए एक न्यूनतम मजदूरी, पूरे देश के लिए एक न्यूनतम मजदूरी हो।
- मजदूरः** अच्छा जी, पूरे देश के लिय?
- स्वामी जीः** हाँ, जिसको हम कहेंगे राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी और वो लागू हो। आज तो बिमारी ये है जो न्यूनतम मजदूरी राज्यों ने तय की है। अब आपने तो कहा ठीक

है 94 रु0 रोज मिल रहे हैं । लेकिन बहुत से भाईयों को वो भी नहीं मिल रहे हैं मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से । मैं कई बार घुमता रहता हूँ शाम के समय मजदूरों की झोपड़ी में जाता हूँ, पूछता हूँ उनसे, कि भई कहाँ मजदूरी करते हो । तो आप लोग तो जैसे ईट भट्टे और पत्थर खदानों वगैरह में काम कर रहे हो । हमारे बड़े सारे मजदूर भाई दिल्ली के अंदर, कई – कई लाख मजदूर हैं, कारखानों में काम करते हैं फैक्टरीयों में काम करते हैं ।

मजदूर:

हों जी, हमारे गॉव के भी कई लड़के काम करते हैं ।

स्वामी जी:

अब उन फैक्टरी वालों का भी आप पता लगाईये । किसी को 1200 तो किसी को 1500 और बहुत हुआ तो 2000 रु0 इतने में ।

मजदूर :

अजी, 1800 रु0 बस, 2000 रु0 तो बहुत कह दिया आपने ।

स्वामी जी :

चलो मैं कह रहा हूँ कि 1800 – 1800 रु0 काम के दिये जा रहे हैं महीने के अब ये तो गलत है ये तो न्यूनतम मजदूरी नहीं है । ये तो उस रेट से बहुत कम है और काम के घंटे भी निश्चित नहीं हैं । डयूटी होनी चाहिए 8 घंटे की और उसकी जगह काम लिया जा रहा है 10–10, 12–12 घंटे । कोई पूछने वाला नहीं है । और सरकारी विभाग में भी जो काम हो रहा है उसमें अब सरकार ठेकेदार को, ठेकेदार जो होता है न, उसको बीच में डाल देगी, और काम ठेके पर दे देगी ।

मजदूर :

ठेकेदार ही काम करवाये हैं हम से तो ।

स्वामी जी :

तो ठेकेदार जो है, इस तरह से काम लेते हैं कि ज्यादा घंटे काम ले लिया और मजदूरी भी उसमें काट लेते हैं । जो कम से कम मजदूरी मिलनी चाहिए । तो ये जो सारी चीजे हैं, बिमारी है, इसकी वजह से सामाजिक सुरक्षा की जो – जो बातें हैं भारत के संविधान में कानून में हैं वो लागू नहीं हो पा रही है ।

मजदूर :

पर स्वामी जी, एक बात नहीं आई समझ मैं मेरे, आप कह रहे हैं कि जो ठेकेदार सरकारी काम करवाता है । उसमें भी मजदूरी कम दे देवे हैं । आप पिछली बार जब आए थे तब बता रहे थे कि सरकार का जो कर्मचारी है, सरकार का प्रतिनिधि उसके सामने ही ठेकेदार को भुगतान करना पड़ेगा मजदूरी का और वो उसकी जिम्मेवारी है कि पूरा भुगतान करें । तो ऐसे कैसे कम दे देगा जी, वो?

स्वामी जी:

कम तो, वो सामने नहीं होता मालिक का प्रतिनिधि, सरकार का प्रतिनिधि जो भी बड़ा मालिक है उसका प्रतिनिधि वहाँ खड़ा हो यह कानून में तो लिखा है । लेकिन कानून को तोड़ा जा रहा है, दिन दहाड़े तोड़ा जा रहा है । मैं आपको एक मामला बता रहा हूँ ।

मजदूर:

मतलब, दफ्तर में ही दस्तखत कर देते हैं जी ?

स्वामी जी: दफ्तर में ही दस्तखत कर देते हैं, कागजों में दस्तखत कर दिखा देते हैं कि हम वहाँ पर हाजिर थे। और चुपचाप ठेकेदार को कहते हैं तुझ को जो कमीशन काटना है काट ले, अपना कमीशन बना ले। और मजदूर का जितना शोषण हो सकता है करता रहे।

मजदूर : तब तो अफसरों तक भी पैसा पहुँचता होगा।

स्वामी जी : अपसरों को तो पहुँचते ही होंगे।

मजदूर : ऐसा ही होता है जी?

स्वामी जी : ऐसा ही होता है ना? होता है की नहीं। आप लोग जानते हो ये हर जगह हो रहा है कि नहीं? अब अभी पिछले दिनों देखों क्या हुआ दिल्ली में कनाटपलैस, पार्लियामेंट स्ट्रीट जिसको कहते हैं वहाँ पर ये मजदूर काम कर रहे थे। महानगर टेलीफोन निगम के लिए।

मजदूर : अच्छा टेलीफोन विभाग वाले।

स्वामी जी : हाँ ये बड़े—बड़े अमीरों के दफ्तरों में जो टेलीफोन लगता है उस तरह का काम वो लोग कर रहे थे। और उन लोगों का मामला हम लोगों ने उठाया तो पता लगा कि उन गरीब मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है।

मजदूर: अच्छा जी, ऐसी बात है।

स्वामी जी: उस मामले को लेकर जब हमने शिकायत की।

मजदूर: मतलब, काम क्या करते थे जी वो।

स्वामी जी: वो कैबल जो तार होती है बड़ी—बड़ी, मोटी—मोटी।

मजदूर : गड़ढ़ा खोद कर जो दबाते हैं।

स्वामी जी : गड़ढ़ा खोद कर, मिट्टी खोद कर, कैबल को बिछाते थे। तो बड़ी मेहनत लगती है उसमें। तो उस मामले में भी हमने देखा की सरकार की तरफ से जो न्यूनतम मजदूरी तय है दिल्ली के अंदर जो उस समय थी कोई, मेरा अंदाज है कोई 80—85 रु0 रहा होगा। लेकिन मिल रहा था उनको 60 रु0 रोज।

मजदूर : कुल 60 रु0 85 की जगह और वो भी संसद मार्ग में जी!

स्वामी जी: जब कि दिल्ली के बीचों—बीच। और इतना बढ़िया काम करने वाले गरीब

मजदूर: अजी, वहाँ तो सरकार बैठे हैं जी?

स्वामी जी : सरकार भी बैठी है अखबार वाले धूमते हैं रेडियो का दफ्तर है, सब कुछ है। लेकिन बिल्कुल नाक के नीचे जिसे कहते हैं दिये तले अंधेरा हो रहा है। वहाँ जब हमने पकड़ कर बताया, सरकार को कि ये हो रहा है साहब! बंधुआ मजदूरी हो रही है दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के पास हो रही है। और वो भी टेलीफोन के डिपार्टमेंट में हो रही है।

फिर जब हमने यह मामला उठाया और काफी कुछ उसका एक लम्बा किस्सा है मैं फिर कभी विस्तार से बताऊँगा । तो वह अभी मानवाधिकार आयोग के सामने है वो लोग जल्दी ही इस पर कोई फेसला देने वाले हैं । जब आयेगा फेसला तो मैं सारे देश के हिंदुस्तान भर के मजदूर भाईयों को विस्तार से सुनाकर बताऊगा कि किसी तरीके से हमारे सरकार के कर्मचारी, अधिकारी, नेता लोग और मिली भगत हैं इनकी ।

मजदूर : और मिलीभगत हैं जी इनकी ?

स्वामी जी: बहुत बड़ी मिलीभगत है ताकि ये लोग, मजदूर लोग, अपनी जिन्दगी की सामाजिक सुरक्षा के लिए जो भी कानून सरकार ने बनाए हैं इसको लागू न होने दे । इस तरह की मिलीभगत कर के । मजदूरों का शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है ।

गीत :

अगर थाली आपकी खाली हो, तो सोचना होगा,
कि खाना कैसे खाओगे, ये आप पर है ।

ऐपिसोड 34 – प्रसारण तिथि 8–5–2001

विषय: श्रमिक भविष्य निधि (एम्पलाईज प्रोविडेंटफण्ड)

सूत्रधार:

नमस्कार भाईयों और बहनों, मई दिवस की धूमधाम और जोशोखरोश के बाद आज फिर हम लेकर आए हैं मजदूरवाणी। आपकी शिकायत थी कि हम आपके पत्रों को कार्यक्रम में शामिल नहीं करते। आज हम आपकी यह शिकायत दूर करेंगे। हमारे साथ स्वामी अग्निवेश जी हैं जो आपके पत्रों के जवाब देंगे। स्वामी अग्निवेश जी नमस्कार।

स्वामी जी: जी नमस्कार—नमस्कार, क्या हाल है भाईयों!

सूत्रधार: स्वामी जी, एक मजदूर भाई रामदास कोईरी, ने महिपालपुर से पत्रा लिखा है।

स्वामी जी: ये दिल्ली के महिपालपुर से।

सूत्रधार: ये काफी दुखी लगते हैं उन्होंने कहा है कि मैं मजदूरवाणी कार्यक्रम सुनता हूँ उससे कुछ हिम्मत बंधी है। पांडव नायक जी, और स्वामी अग्निवेश जी को धन्यवाद। वे कहते हैं कि मैं एक समस्या का शिकार हूँ काफी कोशिशों के बाद भी मेरी समस्या हल नहीं हुई है। यदि ये समस्या हल नहीं हुई तो मेरे सामने आत्महत्या के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं है।

स्वामी जी: अरे भई, ये तो बहुत कमजोरी की बात लिख रहे हैं ये।

दिनेश: आत्महत्या करना तो बहुत कमजोरी की बात है।

सूत्रधार: आत्महत्या करना तो पाप है स्वामी जी।

स्वामी जी: पाप भी है, गैर कानूनी भी है पकड़े गये तो उल्टे जेल भी जायेंगे।

सूत्रधार: समस्या के लिए तो लड़ना चाहिए और मजबूती से लड़ना चाहिए। तो ये कहते हैं कि अपनी समस्या के बारे में आपसे मिलना चाहते हैं। एक और बात जो उन्होंने हमको धमकी सी दी है कि 24 अप्रैल तक हम इनके पत्र का जवाब दे दें।

स्वामी जी: 24 अप्रैल तो अब निकल गई लेकिन फिर भी आत्महत्या की बात इनको अपने दिल में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। गरीब हो, सताएँ गए हों, कोई भी बात हो। जिन्दगी से निराश होना अच्छी बात नहीं है। परमात्मा ने ये शरीर, जीवन दिया है तो अच्छी तरह जीने के लिए दिया है। और जो रुकावट हो तो उसके लिए संगठित होकर संघर्ष करना चाहिए। बाकी वो मिलना चाहते हैं तो आप जो पता देते हैं कार्यक्रम के बाद में, आखिर में तो उस पते पर कभी भी आए। एक बार आकर मिलें कोई ऐसी बात होगी तो हम सेवा में हमेशा हाजिर हैं। जब भी कोई मजदूर भाई आना चाहे आकर हम से 7 जन्तर मन्तर रोड, पर मिल सकता है।

सूत्रधारः देखिए ये पत्र राजस्थान से आया है । राजस्थान का जिला अलवर है और वहाँ पे निमराना है एक जगह है जहाँ से श्री यादव जी एवं उनके साथियों ने पत्र लिखा है ।

स्वामी जीः निमराना, में एक बहुत बड़ा किला है आप लोगों ने शायद कभी देखा भी न हो । एक बहुत बड़ा किला है सुंदर सा आजकल तो कुछ अमीरों ने मिलकर उसे होटल –वोटल सा कुछ बना दिया है । लेकिन है वो बहुत सुंदर सी जगह है ।

सूत्रधारः ये पत्र है यादव जी एवं उनके साथियों का ये लिखते हैं कि वे निमराना की एक धागा मिल में काम करते हैं । उनका कहना है कि उनकी मिल में लगभग 400 मजदूर काम करते हैं । जिनके वेतन से पिछले चार सालों से पी०एफ० यानि भविष्य निधि का पैसा काटा जा रहा है ।

स्वामी जीः पी० एफ० का मतलब होता है प्रोविडेंटफन्ड पी० एफ० ठीक है ना ।

सूत्रधारः उनका कहना है कि यह पैसा भविष्य निधि कार्यालय के खातों में जमा न होकर कम्पनी ने अपने खातों में डाल दिया है । इस बारे में जब प्रबंधकों से बात करते हैं तो उनका जवाब होता है कि महाप्रबंधक ने केस किया हुआ है जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता । तब तक कोई भी मजदूर अपने खाते में से पैसा नहीं निकाल सकता । स्वामी जी, उन्होंने आगे पूछा है कि भारत सरकार के कानूनों के खिलाफ कौन केस कर सकता है ? गरीब मजदूर कैसे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है ? कैसे न्याय प्राप्त कर सकता है ? ये आगे लिखते हैं कि ऐसी हालत में हम मजदूर कहां जायें, किससे गुहार करें कि हमारी मजदूरी की गाढ़ी कमाई, हमारा भविष्य निधि का पैसा हमें समय पर मिल पाये । हमें कोई रास्ता दिखाइयें ?

स्वामी जीः भई ये तो बड़े जबरदस्त सवाल कर दिये । और ये पढ़े लिखे मजदूर कर रहे हैं सवाल ।

सूत्रधारः और सवाल भी बहुत सारे ।

स्वामी जीः देखिए, जो तो हमारे गरीब अनपढ़ मजदूर होते हैं । पत्थर तोड़ने वाले खान मजदूर, भट्टा मजदूर वो सवाल करे तो समझ में भी आता है । अब ये जो पढ़े लिखे फैकट्रियों में काम कर रहे हैं उनका पी० एफ० कट रहा है और वह जमा नहीं हो रहा है और यदि जमा हो रहा है तो उनके खाते में न हो कर के कहीं गलत जगह जमा हो । मालिक उस खाते से खिलवाड़ कर रहा है । तो सवाल तो बहुत अच्छा है । लेकिन जो हमारे पढ़े लिखे मजदूर साथी है उनको ये सब पता होना चाहिए कि एम्प्लाईज प्रोविडेन्ट फण्ड और उसकी को हम छोटे में पी०एफ० कह देते हैं या हिन्दी में कहते हैं श्रमिक भविष्य निधि । तो इसी के

नाम से पता लग रहा है जो नाम इन्होंने रखा है इसी से पता चल रहा है कि यह जो फंड है ये मजदूरों के भविष्य की आवश्यकताओं के लिए एक फण्ड बनाई गई है । कर्मचारी जब अपना खून—पसीना बहाकर अपनी कमाई ईकट्ठी करता है तो उसकी मजदूरी में से थोड़ा सा पैसा बचा कर के, थोड़ा बचा कर के, सरकार के पास धरोहर के रूप में जैसे किसी के पास हम एक रखते हैं न जमा कर के । कि भई देखो ये हमारे वक्त जरूरत में काम आ जाये । बुरे—भले वक्त में कभी भी कोई सहारा बन जाए । इस प्रकार इसको प्रोविडेंट फण्ड का दर्जा देकर के जमा कराया जाता है । और आदमी जब रिटायर हो जाता है । अपना काम खत्म हो गया बुढ़ा हो गया और वो अपने आपको थोड़ा सा फिर भी ठीक ठाक से रखना चाहता है अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं जैसे उसके अपने बच्चे हैं उनकी पढ़ाई होगी किसी की शादी होगी और कभी कोई बीमार हो गया तो ईलाज करवाना । उस समय पर उसकी अपनी कोई नौकरी नहीं है और कोई तरीका नहीं है आमदनी का तो वो अपने इस प्रोविडेंट फण्ड से पैसा निकाल कर के या लेकर के पूरे ईकट्ठे अपना वो काम पूरे अच्छे ढंग से चला सकता है ।

सूत्रधार :

जब भी उसको जरूरत होगी तो निकाल कर के अपने पैसे से काम चला सकता है ।

स्वामी जी:

तो ये एक तरह से सामाजिक सुरक्षा का एक कदम है । सोशल सिक्यूरिटी जिसको हम कहेंगे अग्रेजी में । और ये मजदूर अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को थोड़ा—थोड़ा जमा करके और इसमें से कभी कोई जरूरत पड़ जाए और मान लो अभी रिटायर नहीं हुआ है और उसी समय हमें बीच में जरूरत पड़ गई तो उसमें से थोड़ा एडवांस थोड़ा अग्रिम पैसा निकाल सकता है । और इस तरीके से आप देखेंगे की ये पैसा आखिर है किस का ये असलियत में, सही मायने में उस कर्मचारी का, उस मजदूर का ही अपना पैसा है और वही मजदूर इसका असली मालिक है । अब कोई भी मालिक हो प्रोविडेंट फण्ड के पैसे को अपनी कम्पनी के खाते में डाल दे और मुनाफाखोरी के लिए डाल दे तो ये बिल्कुल गलत बात है । उसको यह पैसा भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में ही जमा कराना होगा, और जिसे रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारत सरकार उन्होंने जो बना रखें है कोई भी बैंको के जो निर्देशित बैंक हैं उन्हीं की शाखाओं में जमा करवा सकता है । ये नहीं कर सकता वो मालिक, कि अपने खाते में डाले । भविष्य निधि या पी०एफ० का जो पैसा है उसको भविष्य निधि खाते में जमा नहीं करवाना सरा—सर, आप समझ लिजिए ये सरा—सर गैर—कानूनी काम है । मालिक को अपना हिस्सा भी श्रमिकों के हिस्से के साथ ही भविष्य निधि

आयुक्त कार्यालय में जमा कराना होगा जिसे रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारत सरकार द्वारा निर्देशित बैंक की शाखाओं में जमा करवाना होगा ।

भविष्य निधि या पी०एफ० का पैसा वक्त पर भविष्य निधि खाते में जमा नहीं करवाना गैर-कानूनी है ।

यही नहीं मालिक को अपना हिस्सा भी श्रमिकों के हिस्से के साथ भविष्य निधि कमीशनर के पास आयुक्त के पास जमा कराना होगा । और मालिक अपने हिस्से का पैसा मजदूरों के वेतन आदि में से नहीं काट सकता उसको अपना हिस्सा अलग से देना पड़ेगा । वो मजदूर को अपने हिस्से का पैसा जमा कराने के लिये नहीं कह सकता । कि वो कहे कि भई मैं तुमको नौकरी दिये दे रहा हूँ भई तुम अपनी नौकरी के अपने पैसों में से अपना हिस्सा तो जमा कराओ और मेरा भी जमा करा दो । ये कोई मालिक नहीं कह सकता ये बहुत अच्छी तरह से समझा जाए । दूसरी बात भविष्य निधि योजना जो है विभिन्न संस्थानों में सही ढंग से लागू हो रही है या नहीं इस बात की निगरानी के लिये इस बात की जांच पड़ताल के लिए भी जो भविष्य निधि के कमीशनर होते हैं, वो समय-समय पर इंस्पेक्टरों को जांच के लिये भेजते रहते हैं । जा कर के देखों ये पैसा मालिक अपना काटकर के पूरा दे रहा है कि नहीं, मजदूर का पैसा पूरा जमा हो रहा है कि नहीं दोनों का पैसा एक खास भविष्य निधि फण्ड में जमा हो रहा है कि नहीं बैंक में जमा हो रहा है कि नहीं । कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई उसको गोल माल करे के मालिक ही हड्डप रहा हो या उसका फायदा उठा रहा हो ? ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए इंस्पेक्टरों को जांच के लिए भेजा जाता है । और इस योजना में शामिल सभी मजदूरों को एक-एक कार्ड दिया जाता है जिसे सदस्यता कार्ड कह सकते हैं । पी० एफ० फण्ड का एक मैम्बरशिप कार्ड हो गया । अब ये कार्ड मालिकों के पास फैक्टरी के दफतर में होता है । मजदूर या मजदूर का कोई भी व्यक्ति है वो इस कार्ड पर लिखी गई सभी जानकारियों को जब चाहे तब देख सकता है, अच्छी तरीके से ।

अब इस मामले की जो कार्यवाही है जो अभी आपने पूछा है तो उस बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि आपके पत्र से पूरी जानकारी अभी हमें नहीं मिली है । आपको हमारा सुझाव है कि आप अपनी बात को थोड़ा और खोलकर थोड़ा विस्तार से लिखकर के हमें तो भेजिए लेकिन साथ-साथ जो राजस्थान में आपका जो रिजिनल कमीशनर है, क्षेत्रीय आयुक्त, भविष्य निधि के उसके कार्यालय में भी जरूर भेजिए और उनसे कहिए कि तुरन्त मॉग किजिए बकायदा आपको इसमें गंध आ रही है किसी भ्रष्टाचार की, किसी गड़बड़ की

और इसके लिए कमीशनर साहब तुरंत किसी इंस्पेक्टर से जांच करवाएँ, प्रोविडेंट फण्ड की जॉच करवाए। और वहां से मान लो किसी वजह से कोई जवाब नहीं मिला तो फिर जो भविष्य निधि का केन्द्रीय कार्यालय है पूरा भारत के लिए सेन्ट्रल गवर्मेंट के अन्तर्गत दिल्ली में तो वहाँ पर फिर आप अपनी शिकायत को भेजिए। ये जो दिल्ली वाला है उनका पता तो मैं आपको बता देता हूँ इसका पता होगा :

**सर्तकता निदेशक, श्रमिक भविष्य निधि संगठन,
भविष्य निधि भवन, 14 न0 भीकाजी कामां प्लेस, नई दिल्ली – 110 066**

ये इसका ऑल इंडिया का दफ्तर है जहाँ शिकायत भेजनी है आपको लिख कर के वो हैं।

हमने भी आपका जो पत्र है जितना हमें समझ में आया हमने उसे सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यवाही के लिये भेजा है।

सूत्रधार :

स्वामी जी, इन सभी साथियों ने यह भी लिखा है कि एक गरीब आदमी अन्याय के खिलाफ किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है? किस प्रकार अपील दायर कर सकता है?

स्वामी जी :

ये तो एक अलग मामला है जिस पर ज्यादा विस्तार से फिर बाद में बतायेंगे। आज इतना बता देना जरूरी समझते हैं कि भारतीय संविधान की यह आत्मा है यह बहुत बुनियादी बात है हमारे देश के संविधान कि सभी नागरिकों को कानून के समक्ष उसके सामने, बिना किसी भेदभाव के न्याय मिल सके। और कोई गरीब हो कमजोर हो किसी भी प्रकार से उनको भी पूरा न्याय मिले और उचित कानूनी सहायता भी मिले। और गरीब आदमी अपना वकील नहीं कर सकता उसके लिए कानूनी सहायता भी मिले इसकी व्यवस्था हमारे देश में की गई है। और निचले स्तर के जो अदालत है जिला स्तर के जो है प्रान्त स्तर के जो है हाई कोर्ट जिसे कहेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट, हर स्तर पर हर लेबल पर यह व्यवस्था है कि जरूरत पड़ने पर गरीब लोगों को कानूनी सहायता मिलें और इसमें कोई भी प्रकार की कोई शिकायत हो तो उसको तुरंत सुनें, अदालत सुनें। उस पर कार्यवाही के लिए कदम उठायें। लेकिन जो आपने पूछा हम सुप्रीम कोर्ट तक हम कैसे केस लड़ सकते हैं आदि-आदि तो मैं ये फिर कभी अगले कार्यक्रम में विस्तार से बताऊगा आज इतना समझ लिजिए कि आपका अधिकार है। सरकार ने ऐसी बातें बना रखी हैं ताकि कोई भी गरीब से गरीब आदमी हो वह अदालत में जा सकता है। और सरकार की तरफ से अदालत की तरफ से यह व्यवस्था है कि उसको न्याय मिले।

ऐपिसोड –35 प्रसारण तिथि – 15–5–2001

विषय : रिक्षा चालन के लिये लाईसेंस

उदघोषणा

आपके पत्रों में उठाये गये सवालों के सिलसिले को जारी रखते हुए हम लेकर आये हैं रिक्षा के लाईसेंस और रिक्षा चालकों के ड्रायविंग लाईसेंस के बारे में जानकारी ।

सूत्रधारः हमारे साथ स्वामी अग्निवेश जी हैं जो आपके पत्रों के जवाब देंगे । स्वामी अग्निवेश जी नमस्कार ।

स्वामी जी : जी नमस्कार—नमस्कार, क्या हाल है भाईयों !

सूत्रधारः स्वामी जी, ये पत्र हैं जब्बार भाई और उनके साथियों का दिल्ली से । वे लिखते हैं कि हम सभी मजदूर भाई हर मंगलवान को मजदूरवाणी कार्यक्रम सुनते हैं । ये आगे लिखते हैं कि आपने हम रिक्षे वालों के दुख दर्द को अपने कार्यक्रम में जगह दी, उससे लगा कि कोई तो है हम गरीबों की भी सुध लेता है ।

स्वामी जी: चलिए अच्छी बात है हम तो बहुत खुश हैं । कि आप लोग सुन रहे हैं यह कार्यक्रम और कहीं न कहीं इस आवाज से हमारे बेजुबान भाईयों को कुछ ताकत मिल रही है । बड़ी खुशी की बात है यह ।

सूत्रधारः जब्बार भाई आगे लिखते हैं कि वे अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं तथा कक्षा नौ तक पढ़े हैं । दलित मुस्लिम परिवार से हैं । घर की आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है । इसलिये वो चार साल पहले दिल्ली आये, और एक बिजली के तार बनाने वाली फैक्टरी में नौकरी कर ली, जहाँ उन्हें 1600/ रु० महिने मिलते थे । कुछ महिने पहले फैक्टरी बंद हो गई, तो पेट पालने के लिये रिक्षा चलाने लगे । वे किराये पर लेकर रिक्षा चलाते हैं । उनका कहना है कि ईमानदारी से मेहनत मजदूरी कर पेट पालने में भी बहुत समस्या है । पुलिस वाले मार-पिटाई करते हैं । जैसे रिक्षेवाला कोई इंसान ही नहीं है । रिक्षा में पंचर या हवा की नलकी तोड़ देते हैं । स्वामी जी, उन्होंने पूछा है कि गरीब आदमी को मेहनत मजदूरी कर ईज्जत से रोटी खाने का कोई आधिकार नहीं है क्या ?

स्वामी जी: देखिए इनकी चिट्ठी पढ़कर सुनकर इसमें लगता है कि इसमें कितना दुख भरा है । बहुत ही तकलीफ जैसे इनके दिल में हो लेकिन ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी । कि आप और आपके साथी मजदूरवाणी कार्यक्रम को न केवल लगातार सुन रहे हैं । बल्कि अपनी समस्याएँ लेकर के हमारे सामने आ रहे हैं । चिट्ठी लिखेंगे सवाल आपके हम तक पहुँचेंगे, तभी बातचीत का सिलसिला बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो जाएगा । और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो जब्बार भाई, की कहानी है । ये केवल अकेले जब्बार भाई की ही नहीं है । न जाने कितने — कितने हजारों—हजारों मजदूर हैं और ऐसे भी लोग हो गए हैं जिनको पहले अच्छी नौकरियों मिली हुई थी । उधोग —धंधों में और

फैक्टरियों में लेकिन अब कुछ नये—नये कानून बन रहे हैं इस देश में तो फैक्टरिया बंद हो रही है और वो जो मजदूर थे कल तक जो ठीक—ठाक खा कमा रहे थे वो बेरोजगार हो गये हैं । और बेचारे रिक्षा खिंचकर किसी तरह अपना तथा अपने बच्चों का पेट पालने को मजबूर हो गए ।

अब ये जो सवाल उठा है कि क्या गरीब मजदूर को ईज्जत के साथ—मेहनत मजदूरी कर के पेट पालने का अधिकार है, या नहीं है ?

तो भाई भारत का संविधान जहाँ तक वो तो साफ—साफ कह रहा है कि भारत के सभी नागरिकों को अपनी रोजी—रोटी के लिये अपनी ईच्छा के अनुसार, अपनी मर्जी से कोई भी रोजगार कोई भी काम धंधा करने का पूरा अधिकार है । और केवल अधिकार ही नहीं है यह उनका बुनियादी अधिकार है । कि वो अपना जीवन चलाने के लिये, ईमानदारी के साथ मेहनत मजदूरी करे, उधोग धंधा करें । कोई भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं । स्वामी जी जब्बार भाई ने आगे पूछा है कि क्या दिल्ली में रिक्षा चलाने के लिये लाईसेंस लेना जरूरी है ?

स्वामी जी: भई दिल्ली ही नहीं सारे देश में अधिकांश शहरों और कस्बों में जहाँ रिक्षा चलाने की इजाजत मिली हुई है । वहाँ रिक्षा चलाने के लिये लाईसेंस जरूर लेना पड़ता है । और आपको जानकर थोड़ा ताजुब होगा कि कहीं कहीं तो रिक्षा चलाने वाले को उसकी ड्रायविंग लाईसेंस तक भी लेना पड़ता है । जैसे कोई कार के ड्राईविंग लाईसेंस लेते हैं न उस तरह की लाईसेंस उन्हें भी लेनी पड़ रही है । दिल्ली में भी यहाँ का जो नियम कानून है उसके अनुसार रिक्षा का लाईसेंस तो लेना ही पड़ता है जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहेंगे । इसके साथ—साथ रिक्षा चलाने वाले को एक ड्रायविंग लाईसेंस भी होना जरूरी है । लेकिन ये चीज जरा ध्यान में रखिए दिल्ली में भी सभी जगह रिक्षा चलाने की अनुमति नहीं हैं । दिल्ली इतनी लम्बी—चौड़ी है नाम एक है इसका दिल्ली । लेकिन इसका एक हिस्सा है नई दिल्ली नगरपालिका और दक्षिणी दिल्ली यहाँ पर तो रिक्षा आप चला ही नहीं सकते । इन दोनों जगह पर, इन पूरे इलाकों में रिक्षा चलाने की पूरी तरह पाबंदी है । इसके अलावा भी दिल्ली में अनेक कालोनियों और सड़कों को रिक्षावालों के लिये बंद किया हुआ है ।

सूत्रधार: अच्छा जी, बंद कर रखा है रिक्षा वालों को ।

स्वामी जी: बिल्कुल, वहाँ पर इस तरह की धीरे चलने वाले जो वाहन हैं वह नहीं होंगे ।

सूत्रधार: स्वामी जी, ये रिक्षा और रिक्षा चालकों के लिये लाईसेंस कौन बनाता है । दिल्ली में ये लाईसेंस कहाँ बनते हैं ?

स्वामी जी: देखिये, देश के अधिकांश भागों में, अन्य शहरों की भी बात में बता रहा हूँ आमतौर से रिक्षा चलाने के बारे में और उनके लाईसेंस आदि के बारे में कायदे कानून वहाँ की नगर

निगम जो होती है या नगर पालिका जो होती है म्यूनिस्प्ल कार्पोरेशन कह देते हैं जिसको वो बनाती है। और दिल्ली का जहाँ तक सवाल है। दिल्ली में भई रिक्षा चलाने के लिए और रिक्षा ड्रायविंग लाईसेंस के लिए दिल्ली नगर निगम, एम०सी०डी० जिसको कहते हैं उसके द्वारा ये लाईसेंस दिया जा रहा है। और वो प्रमीशन भी दिया जा रहा है तो जहाँ तक सरकारी तौर-तरीके हैं इसके लिहाज से तो नगर निगम ने अपने अंदर आने वाले जितने भी ईलाके हैं। उनको बारह हिस्सों में बांट दिया गया है।

सूत्रधारः

स्वामी जीः

अच्छा बारह हिस्सों में बांटा है जी ?

उनको बारह हिस्सों में बांटा दिया है। एक हिस्सा आप लोग जानते हो वो जो करोलबाग जोन, कहेंगे। करोल बाग का ईलाका वो आर्य समाज रोड़ करोल बाग वो ईधर आ गया और एक आ गया आपका वो सिविल लाईन्स, और शाहदरा है एक दक्षिणी शाहदरा उत्तरी, पता नहीं क्या-क्या दिल्ली शहर है अब इस तरह से इन्होंने बारह हिस्सों में बांट दिया है। बारह जोनों में बांट दिया है। और हर ईलाके में एक क्षेत्रिय दफ्तर है और वहाँ पर रिक्षा के लाईसेंस और रिक्षा चालक का जो ड्रायविंग लाईसेंस है वो देते हैं। और हर जोन के लिए एक और बड़ा इन्होंने इन्तजाम कर रखा है कि वो एक खास रंग का रिक्षा ताकि वो पता रहे कि इस जोन का रिक्षा दूसरे जोन में ना जाने पाय।

सूत्रधारः

स्वामी जीः

अच्छा स्वामी जी, ये लाईसेंस बनवाने के लिये उनको क्या करना होग ?

देखिये एम०सी०डी० ने, दिल्ली में नगर निगम ने यह तय कर रखा है कि वह दिल्ली शहर में 99,000 रिक्षा चालकों को रिक्षा चलाने की ईजाजत देगा 99,000। इससे अधिक रिक्षा दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। लेकिन एम०सी०डी० के कानूनों में, अर्थात् यहाँ के नगर निगम के कानूनों में रिक्षा तथा रिक्षा चालकों को लाईसेंस जारी करने के बारे में कोई एक संख्या जो है वह निश्चित नहीं की गई है।

सूत्रधारः

मतलब यह नहीं कर रखा कि ईतनी होनी चाहिए रिक्षा कि 2 लाख होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए ?

स्वामी जीः

हाँ ऐसी कोई निश्चित कोई 99 हजार पर ही फुलस्टोप नहीं लगा रखा है उन्होंने लेकिन दिल्ली नगर निगम के अफसरों ने अपनी तरफ से यह तय कर दिया है। सरकार ने तो नहीं अफसरों ने ही यह तय कर रखा है कि दिल्ली में 99 हजार से अधिक रिक्षाओं को यहाँ नहीं चलने देंगे। नहीं तो ज्यादा इनकी जो कारे-वारे है ये चलती है चमचमाती हुई उसमें रुकावट पड़ेगी। तो इसप्रकार का जो भी इन्होंने बनाया है यह फिलहाल तो 99 हजार पर आ कर रुका हुआ है।

सूत्रधारः

स्वामी जी, इस तरह की कोई सीमा कि इससे ज्यादा मोटर कार या स्कूटर, मोटर साईकिलें दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेगी क्या ऐसी भी कोई रोक है उन पर ?

स्वामी जी : मोटर कार वालों पर ? नहीं—नहीं, ये देखो आप ने क्या सवाल पूछ लिया | काफी गम्भीर सवाल है | रिक्शा वालों के लिए रोक है | यहीं तो है समझना पड़ेगा | यहीं ये असली बात भारत के संविधान में वैसे तो सभी नागरिकों को बिना किसी भेद—भाव के और सबको समान अवसर दियें हैं, सबको समान अधिकार मिला हुआ है | लेकिन सच्चाई देखिए जब सच्चाई देखेंगे तो बहुत तकलीफ होगी आपको | और तकलीफ ही नहीं काफी गुस्सा भी आयेगा, आकोश आयेगा | कि ये क्या देश बना रखा है हमने, आजादी के पचास साल पचपन साल बीतने जा रहे हैं और संवधान में, कानूनों में तो बड़े बराबर अधिकारों की बात कहीं गई है | गरीब हो, अमीर हो, ये हो, वो हो, सबको बराबर अधिकार है लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में दो तरह के कानून चल रहे हैं | एक दुनिया बनी हुई है अमीरों की दुनिया और दूसरी दुनिया है आप सब की, गरीबों की | अब ये अमीरों की दुनिया में किसी तरह के कोई कायदे कानून नहीं होते,, अपने मन के मुताबिक अपने फायदे के लिये कुछ कानून पहले बनवा लेते हैं | और उस कानून को जैसे कोई मोम की नाक हो पकड़ कर के इधर से उधर मोड़ दे | उस तरीके से उसको बनवाते हैं |

सूत्रधार: अपने फायदे को, जहाँ मिलेगा फायदा तो उधर मोड़ लेते हैं |

स्वामी जी: दूसरी तरफ गरीबों के लिए जो कानून बनते हैं एक तरह से उन पर थोपे जाते हैं, | उनकी इच्छा के खिलाफ कानून बना दिये जाते हैं | उनसे कोई पूछता तक नहीं है और उनकी रोजी—रोटी के साधन छीने लिये जाते हैं | जो बेचारे जिस काम से अपना घर परिवार चलाते हैं वो भी उनसे छीन लिये जाते हैं | तो हमारे देश में जो नौकरशाही है, अफसरों की जो एक गुलाम मानसिकता है उसमें इन 50—55 सालों में कोई बदलाव नहीं आया है | और इसलिये दिल्ली की सड़कों पर कितनी रिक्शा चले यह तो अफसर तय कर देते हैं और रोक भी लगा देते हैं | कि 99 हजार से ज्यादा नहीं चलेंगी | लेकिन वही दूसरी और आप देखेंगे कि अमीरों की चमचमाती कारों के लिये गरीबों के घर तक तोड़ रहे हैं | आपने देखा पूरी दिल्ली के अंदर सड़के चौड़ी की जा रही हैं | और सड़के चौड़ी करनी है तो बेचारे गरीब की झोपड़िया है उन पर बुलडोजर चला दो | सड़क चौड़ी करो ताकि इनकी कार धड़—धड़ती हुई पार होती जाए | और उनको खड़ा करने के लिये, कारों को खड़ा करने के लिए पार्किंग बनाई जा रही है | काफी लम्बी चौड़ी पार्किंग | बच्चों को अमीरों के बच्चों को खेलने के लिए बाग बगीचे भी बना रहे हैं | ठीक है, पार्क बगीचे तो गरीबों के भी काम आ जाते हैं लेकिन कई जगह तो बाग बगीचों को भी उजाड़ करके उनको भी उजाड़ कर के पार्किंग लॉट तैयार की जा रही है ताकि साहब की मेम साहब की कार खड़ी हो सके वहाँ अच्छी तरह और चमचमाती रहे | तो ये तो है जहाँ तक गरीब अमीर का आपने पूछा, बहुत संवेदनशील सवाल है बार — बार मत पूछते रहना आप | जरा ध्यान रखना क्योंकि ये सरकार आजकल केवल अमीरों के फायदे और सुख

सुविधाओं के लिए काम कर रही है । इसको कोई चिन्ता नहीं है कि गरीब जाए भाड़ में कि कोई क्या हो और अफसरों की तो जैसे मौज आ गई है उनको लग रहा है कि अब तो हमारा युग आ गया है हमारा सर्वानुभव आ गया है अब हम लोग यहाँ खूब ऐशा करेंगे ।

रिक्षा चालकों के लाईसेंस के बारे में जानकारी अगले कार्यक्रम में भी जारी रहेगी सुनना मत भूलिये ।